केवल आधिकारिक उपयोग के लिए

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

मुख्य लेखानियंत्रक का कार्यालय

O/o CHIEF CONTROLLER OF ACCOUNTS

लेखा एक झलक

ACCOUNTS AT A GLANCE

2023-24

लेखा एक झलक

वर्ष 2023-2024

के लिए

भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
मुख्य लेखा नियंत्रक
7 वीं मंजिल, ए-विंग, शास्त्री भवन
नई दिल्ली-110001

प्रस्तावना

वित्तीय वर्ष 2023-24के लिए वार्षिक विनियोग लेखाओं, वित्त लेखाओं, एससीटी और पीएफएमएस में निहित जानकारी के आधार पर प्रबंधकीय जानकारी लाने के लिए मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा 'लेखा एक झलक' तैयार किया गया है।

यह वार्षिक प्रकाशन मंत्रालय द्वारा किए गए कार्यकलापों और उसके वित्तीय प्रभाव का परिदृश्य देता है।

इसे सचित्र वर्णन के साथ उपयोगकर्ता के अनुकूल प्रारूप में व्यय और राजस्व से संबंधित डेटा प्रदान करने के तरीके से तैयार किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24के लिए मंत्रालय के 'लेखा एक झलक' प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और मुझे उम्मीद है कि यह उपयोगी सिद्ध होगा। प्रकाशन के प्रारूप और सामग्री को बेहतर बनाने के सुझावों का हार्दिक स्वागत है।

दिनांक: 30/08/2024
स्थान: नई दिल्ली

(अजय एस. सिंह)
मुख्य लेखानियंत्रक

विषय-वस्तु

क्रम. सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
1.	मंत्रालय का परिदृश्य, भूमिका और कार्य	01-23
2.	(क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय का लेखा संगठन	24-31
	(ख) मंत्रालयों/विभागों में लेखा संगठन के प्रमुखों के रूप में प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक/मुख्य लेखा नियंत्रक/लेखा नियंत्रक (आईसी) के चार्टर के अनुसार सीसीए की भूमिका	32-39
3.	सरकारी लेखे	40-47
4.	लेखा विशेषताएं	48-55
5.	अनुदान विश्लेषण	56-58
6.	(क) वित्तीय वर्ष **2023-24** के लिए प्राप्ति विश्लेषण (ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान गैर-कर प्राप्तियों (एनटीआर) का विवरण	59-61 62-63
7.	(क) व्यय विश्लेषण (ख) पिछले पांच वर्षों के लिए बजट प्राक्कलन (बी.ई.), संशोधित प्राक्कलन (आर.ई.) और वास्तविक व्यय के साथ-साथ बीई और आरई के संदर्भ में व्यय का प्रतिशत। (ग) पिछले पांच वर्षों के लिए बजट प्राक्कलन के संदर्भ में बजट प्राक्कलन (बीई) और तिमाहीवार व्यय (घ) पूर्वोत्तर राज्यों के लिए स्कीम परिव्यय	64-67 68-69 70-71 72
8.	लेखाओं का कंप्यूटरीकरण	73-82
9.	महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर	83-93

अध्याय -1

मंत्रालय का परिदृश्य, भूमिका और कार्य

सूचना और प्रसारण मंत्रालय जनता तक पहुंचने और सक्षम दृष्टिकोण प्रदान करने में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। मंत्रालय को विभिन्न मीडिया साधनों के माध्यम से सरकारी नीतियों, स्कीमों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का प्रसार करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। मंत्रालय और इसकी मीडिया यूनिटों द्वारा रेडियो, टेलीविजन, फिल्म, प्रेस और प्रिंट प्रकाशन, डिजिटल और सोशल मीडिया, पोस्टर, विज्ञापन और संचार के पारंपरिक तरीके जैसे नृत्य, नाटक, लोक गायन, कठपुतली शो - इन सभी के माध्यम से सूचना का प्रसार और मुक्त प्रवाह में प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है।

यह मंत्रालय प्राइवेट प्रसारण, लोक प्रसारण सेवा (प्रसार भारती) के प्रबंधन, मल्टी-मीडिया विज्ञापन और भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के प्रचार, फिल्म संवर्धन और प्रमाणन तथा प्रिंट और डिजिटल मीडिया के विनियमन से संबंधित नीतिगत मामलों के बारे में केंद्र बिंदु है।

मंत्रालय को कार्यात्मक रूप से तीन क्षेत्रों अर्थात् सूचना, प्रसारण और फिल्म में विभाजित किया गया है। इनमें 07 मीडिया यूनिटों/संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय, 5 स्वायत्त निकाय, 3 प्रशिक्षण संस्थान और 2 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) शामिल हैं।

सूचना क्षेत्र प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के माध्यम से भारत सरकार की नीतियों और कार्यकलापों की सूचना के प्रसार और जागरूकता सृजन, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सरकारी विज्ञापनों के दर निर्धारण के लिए नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करने और प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 और प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है।

प्रसारण क्षेत्र आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से सरकारी स्कीमों और पहलों के दूरगामी प्रचार-प्रसार में मंत्रालय की सहायता करता है। यह क्षेत्र प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 को प्रशासित करके इन लोक प्रसारकों की देखरेख करता है। यह केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और समय-समय पर जारी नीतिगत दिशानिर्देशों के माध्यम से प्राइवेट टीवी चैनलों और बहु-प्रणाली ऑपरेटरों और स्थानीय केबल ऑपरेटरों के नेटवर्क को भी विनियमित करता है। यह डीटीएच/एचआईटीएस ऑपरेटरों को उनके संबंधित संचालन के लिए लाइसेंस देता है। मंत्रालय द्वारा प्राइवेट एफएम रेडियो नेटवर्क को एफएम चैनलों की नीलामी, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के प्रचालन के माध्यम से विनियमित किया जाता है।

फिल्म क्षेत्र वृत्तचित्रों के निर्माण और वितरण, फिल्मों के संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के आयोजन और पुरस्कारों के संस्थापनद्वारा अच्छे सिनेमा के संवर्धन के लिए उत्तरदायी है। यह चलचित्र अधिनियम, 1952 को शासित करता है जो लोक प्रदर्शन के लिए फिल्मों के प्रमाणन की जांच करता है और विकासात्मक और संवर्धनात्मक कार्यकलापों सहित फिल्म उद्योग से संबंधित अन्य मामलों को देखता है।

एकीकृत वित्त प्रभाग का नेतृत्व अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार द्वारा किया जाता है और यह वित्तीय प्रबंधन बजट और अन्य सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन मुद्दों के लिए जिम्मेदार है। संयुक्त सचिव (वित्त), निदेशक और अन्य अधिकारी उनकी सहायता करते हैं। उनके समग्र मार्गदर्शन के तहत, बजट और लेखा का नेतृत्व मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा किया जाता है। सीसीए द्वारा सीए, डीसीए, एसीए, पीएओ, एएओ और लेखा अधिकारियों की मदद से संपूर्ण भुगतान, प्री-चेक, लेखा और आंतरिक लेखा परीक्षा को नियंत्रित किया जाता है। बजट मामलों के लिए उन्हें अवर सचिव(बी एंड ए) और अन्य अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

आर्थिक विंग ओएंडएम कार्यकलापों पर मामलों की देखभाल करता है और एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कैबिनेट सचिवालय को विभिन्न मुद्दों पर आवधिक रिपोर्टिंग करता है।

ऑनलाइन/डिजिटल मीडिया से संबंधित मामलों की देखभाल के लिए एक नया कार्यक्षेत्र जोड़ा गया। यह केंद्र सरकार के 9 नवंबर, 2020 की अधिसूचना के माध्यम से लिए गए निर्णय के मद्देनजर था, जिसके तहत कार्य आवंटन नियम, 1961 में संशोधन करके इस मंत्रालय से संबंधित कार्यकरण नियम में निम्नलिखित शामिल किए गए हैं:

"Vक डिजिटल/ऑनलाइन मीडिया

22क. ऑनलाइन सामग्री प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई फिल्में और ऑडियो-विजुअल कार्यक्रम।

22ख. ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर समाचार और समसामयिक विषयों की सामग्री।

मंत्रालय की अध्यक्षता सचिव द्वारा की जाती है जिन्हें अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, अपर सचिव, मुख्य लेखा नियंत्रक, संयुक्त सचिव और वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार/आर्थिक सलाहकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का क्षेत्र गठन:

मीडिया यूनिट/संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय

1. "पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी)
2. केंद्रीय संचार ब्यूरो (पूर्ववर्ती बीओसी)
3. भारत के समाचार पत्रों के पंजीयकका कार्यालय (आरएनआई)
4. प्रकाशन प्रभाग निदेशालय (डीपीडी)
5. न्यू मीडिया विंग (एनएमडब्ल्यू)
6. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानीटरिंग सेंटर (ईएमएमसी)
7. केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी)

स्वायत्त संगठन

1. भारतीय प्रेस परिषद **(**पीसीआई**)**
2. प्रसार भारती **(**भारतीय प्रसारण निगम**)**

प्रशिक्षण संस्थान

1. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान **(**एफटीआईआई**),**पुणे
2. सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान **(**एसआरएफटीआई**),** कोलकाता
3. भारतीय जनसंचार संस्थान **(**आईआईएमसी**)**

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

1. ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड **(**बेसिल**)**
2. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम **(**एनएफडीसी**)**

नोट: **केंद्रीय मंत्रिमंडल ने** 23.12.2020 **को चार फिल्म मीडिया यूनिटों अर्थात फिल्म प्रभाग**, **राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय** (**एनएफएआई**), **फिल्म समारोह निदेशालय** (**डीएफएफ**) **और बाल चित्र समिति**, **भारत** (**सीएफएसआई**) **को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम** (**एनएफडीसी**) **में विलय करने के लिए इस मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी। उपर्युक्त चार फिल्म मीडिया यूनिटों द्वारा किए जा रहे कार्यकलाप एनएफडीसी द्वारा किए जा रहे हैं। एनएफडीसी को बजटीय सहायता केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम** (**सीएस**) **अर्थात फिल्म सामग्री का विकास**, **संचार और प्रसार** (**डीसीडीएफसी**); (**और**) **सहायता अनुदान के माध्यम से अन्य केन्द्रीय व्यय** (**ओसीई**) **के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रक्रिया में जो अधिकारी सरप्लस हो गए हैं और उनके वेतन का भुगतान मंत्रालय द्वारा उनकी पुन: तैनाती तक किया जाता है।**

फिल्म क्षेत्र

भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे (एफटीआईआई):

भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (**एफटीआईआई**) मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है। यह पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा सहायता प्राप्त है। 1960 में अपनी स्थापना के बाद से, एफटीआईआई भारत का प्रमुख फिल्म और टेलीविजन संस्थान बन गया है, जिसके पूर्व छात्र भारतीय फिल्म उद्योग में प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक बन गए हैं। एफटीआईआई फिल्म निर्माण और टेलीविजन प्रोडक्शन की कला और तकनीक में नवीनतम शिक्षा और तकनीकी अनुभव प्रदान करता है। एफटीआईआई तीन साल और दो साल के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स और एक साल का पीजी सर्टिफिकेट कोर्स कराता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, मंत्रालय ने इस संगठन को सहायता अनुदान के रूप में 181.84करोड़ रुपये जारी किए थे, जिसमें से 70.64करोड़ रुपये वर्ष 2023-24में जारी किए गए थे।

शीर्ष	2021-22	2022-23	2023-24
अन्य केंद्रीय व्यय (जीआईए)	42.67	68.53	70.64
कुल	42.67	68.53	70.64

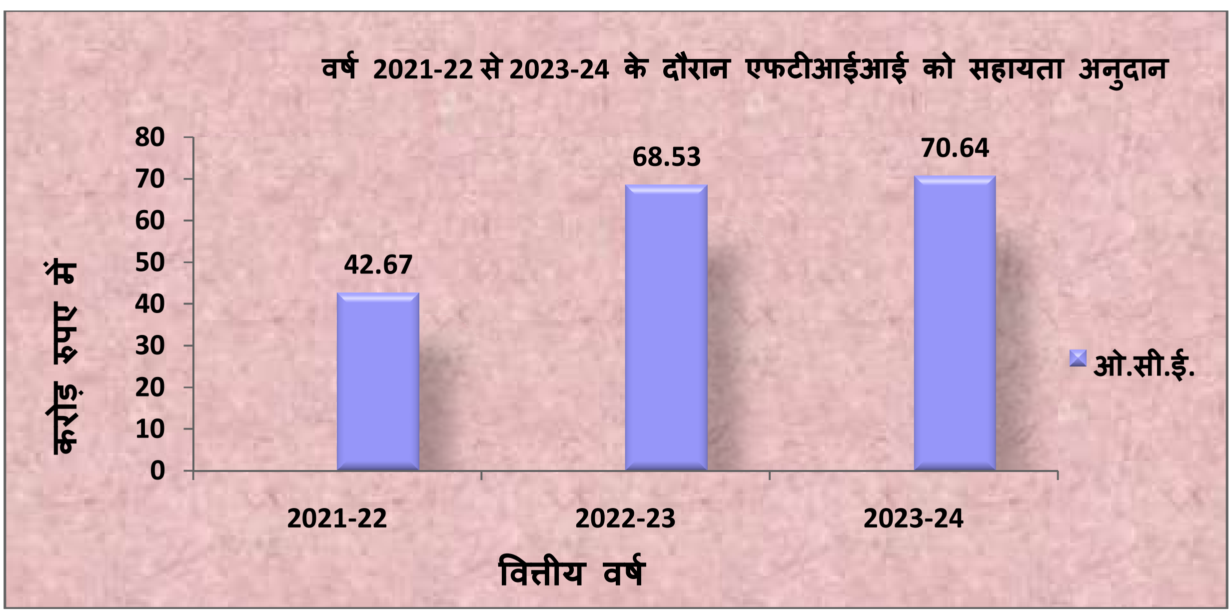

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता (एसआरएफटीआई):

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई) कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में एक फिल्म संस्थान है। संस्थान की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1995 में मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एक स्वायत्त सोसायटी के रूप में की गई थी। इसका नाम प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे के नाम पर रखा गया है। यह संस्थान सिने-अध्यापन का एक राष्ट्रीय केंद्र है जो फिल्मों में छह विशेषज्ञताओं यथा- निर्देशन और पटकथा लेखन, छायांकन, संपादन, साऊंड रिकॉर्डिंग और डिजाइन, फिल्म और टेलीविजन के लिए निर्माण, एनीमेशन सिनेमाऔर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया प्रबंधन को प्रस्तुत करता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, मंत्रालय ने इस संगठन को सहायता अनुदान के रूप में 182.89करोड़ रुपये जारी किए थे, जिनमें से 59.17करोड़ रुपये वर्ष 2023-24में जारी किए गए थे।

(करोड़ रुपए में)

शीर्ष	2021-22	2022-23	2023-24
अन्य केंद्रीय व्यय (जीआईए)	63.62	60.10	59.17
कुल	63.62	60.10	59.17

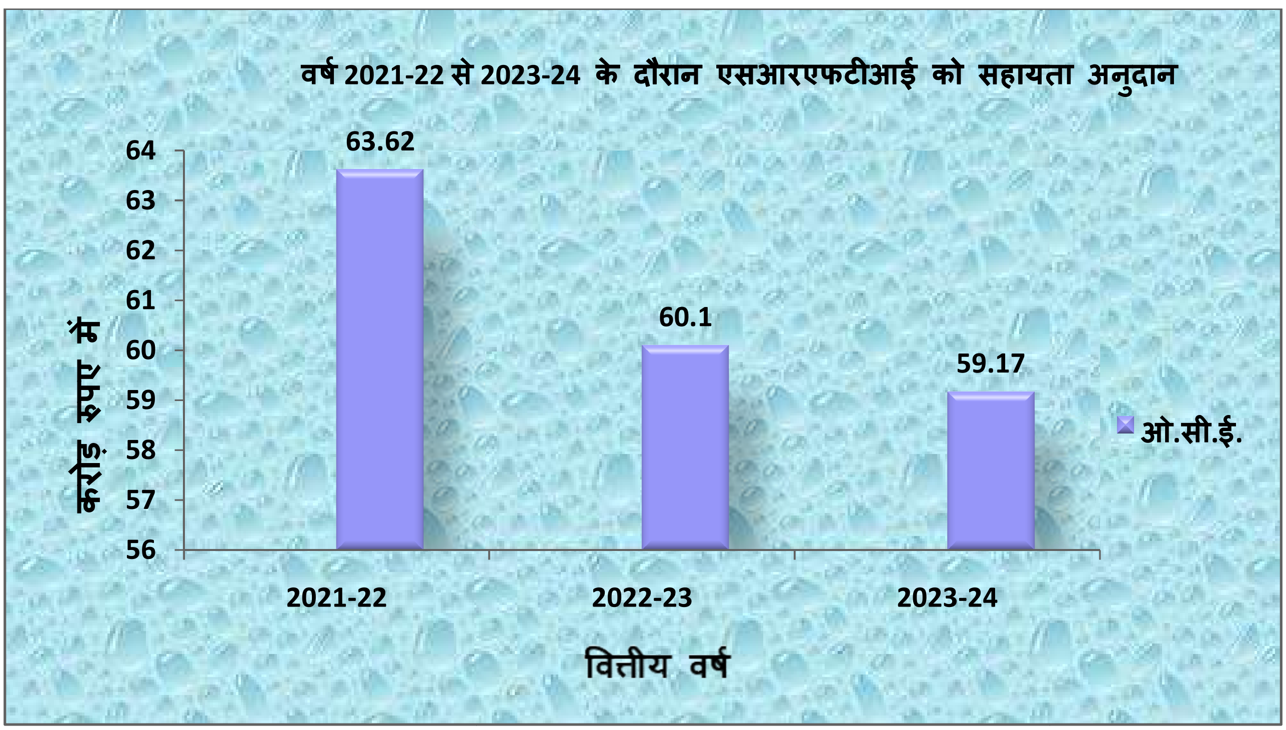

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी):

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है, जो चलचित्र अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को विनियमित करता है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित किए जाने के बाद ही फिल्मों को भारत में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है।

इस बोर्ड में गैर-आधिकारिक सदस्य और एक अध्यक्ष (सभी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं) होते हैं और मुंबई में मुख्यालय के साथ कार्य करते हैं। इसके नौ क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, नई दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में है। क्षेत्रीय कार्यालयों को सलाहकार पैनलों द्वारा फिल्मों की जांच में सहायता प्रदान की जाती है। पैनलों के सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा 02 साल की अवधि के लिए समाज के विभिन्न क्षेत्रों से नामित किया जाता है।

वर्तमान में, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वस्तु शीर्ष 'वेतन' के तहत 16.63 करोड़ रु. के अनुमोदित बजट प्राक्कलन की तुलना में 12 समूह 'ख' और 31 समूह 'ग' अधिकारियों द्वारा सहायता प्राप्त 9 समूह `क` अधिकारी हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, सीबीएफसी ने अपने विभिन्न कार्यकलापों पर 69.67 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इसका विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

शीर्ष	2021-22	2022-23	2023-24
गैर-स्कीम	10.17	17.54	41.96
कुल	10.17	17.54	41.96

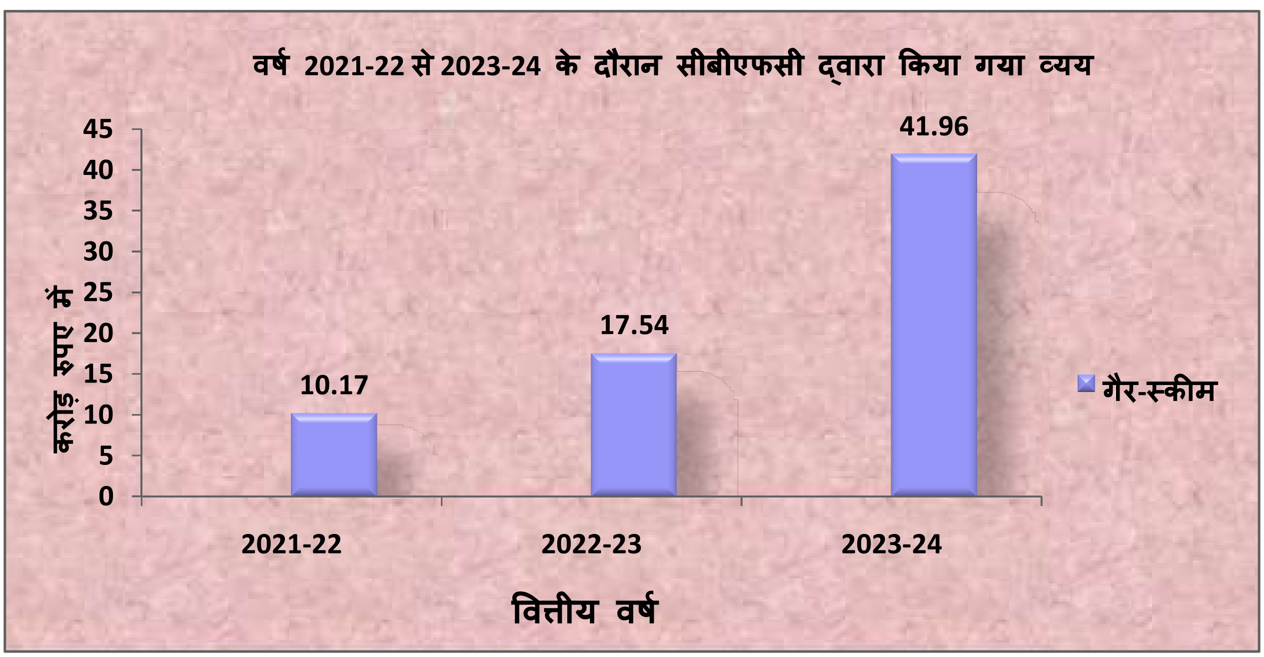

पिछले तीन वर्षों के दौरान सीबीएफसी द्वारा अर्जित राजस्व नीचे दिया गया है

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	राशि
2021-22	12.54
2022-23	15.15
2023-24	15.13

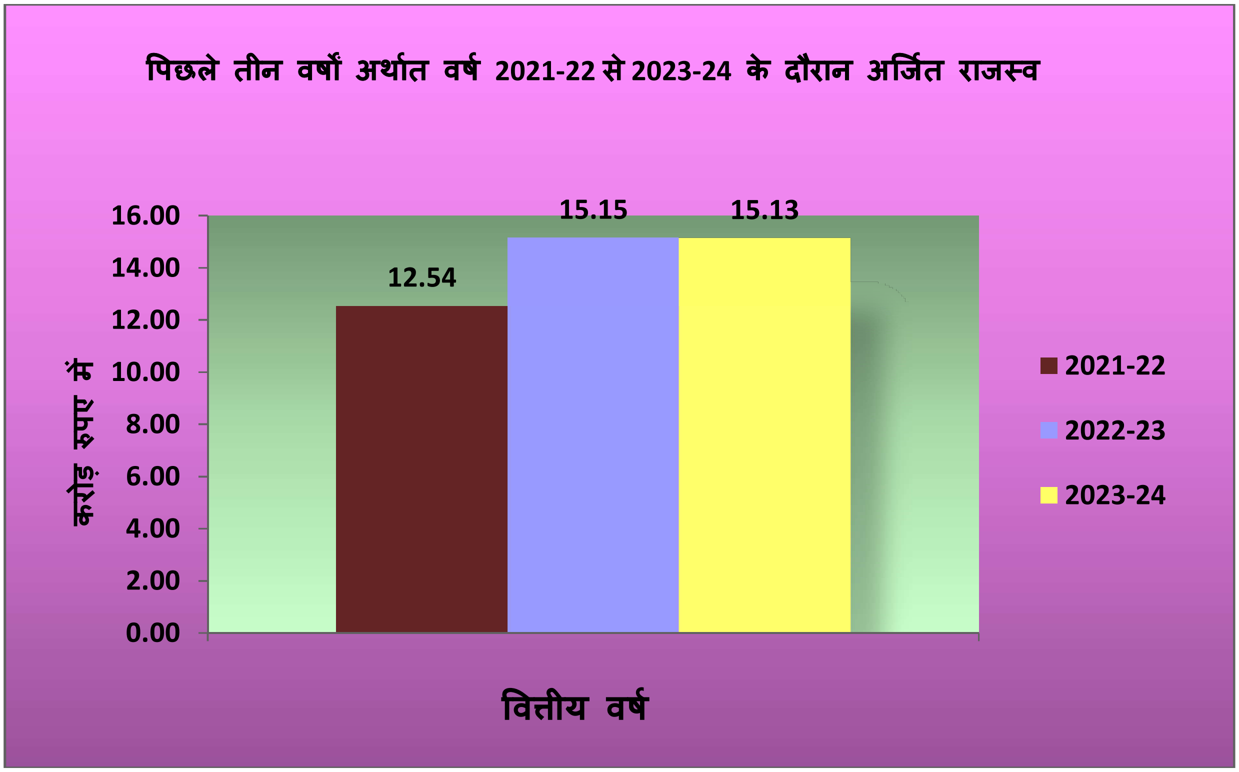

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी):

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (**एनएफडीसी**) की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1975 में की गई थी जिसका प्राथमिक उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित राष्ट्रीय आर्थिक नीति और उद्देश्यों के अनुसार भारतीय फिल्म उद्योग के एकीकृत और कुशल विकास की योजना बनाने, उसे बढ़ावा देने और व्यवस्थित करना था। एनएफडीसी फिल्म वित्त, रंगमंच वित्त, फिल्मों के वितरण, फिल्मों के निर्यात और आयात, फिल्मों के सह-निर्माण, दूरदर्शन पर फिल्मों के प्रसारण और फिल्मों के सबटाइटलिंग में लगा हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, डीसीडीएफसी स्कीम के तहत एनएफडीसी को 339.88 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई।

शीर्ष	2021-22	2022-23	2023-24
स्कीम (डीसीडीएफसी)	0.00	122.86	339.88
अन्य केंद्रीय व्यय (जीआईए)	0.00	8.22	23.37
कुल	0.00	131.08	363.25

सूचना क्षेत्र

प्रकाशन प्रभाग (पीडी):

प्रकाशन प्रभाग, राष्ट्रीय महत्व के विषयों और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करने वाली पुस्तकों और पत्रिकाओं का एक समृद्ध भंडार है,जिसकी स्थापना 1941 में की गई थी।यह सरकार के एक प्रमुख प्रकाशन गृह के रूप में उभरा है, जो देश और लोगों, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास, कला और संस्कृति, वनस्पति और जीव, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आधुनिक भारत के निर्माताओं की जीवनियों और संस्कृति दर्शन शास्त्र, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में अग्रणी प्रकाशनों के साथ भारत की विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करने में राष्ट्रीय ज्ञान भंडार को समृद्ध करता है। डीपीडी में माननीय राष्ट्रपतियों/प्रधानमंत्रियों के भाषणों, समकालीन विज्ञान, अर्थव्यवस्था, इतिहास और अन्य विषयों पर पुस्तकों को प्रकाशित करके समसामयिक घटनाओं का वृतांत प्रस्तुत करता है, जिनका मुख्य ध्यान भारतीय समाज और पाठकों पर केन्द्रित होता है। इसके अतिरिक्त, यह प्रभाग फिक्शन और नॉन-फिक्शन दोनों प्रकार का बाल साहित्य भी प्रकाशित करता है।

प्रकाशन प्रभाग ने अंग्रेजी में 100 खंडों में वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी (सीडब्ल्यूएमजी) सहित गांधीवादी विचारों पर कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिसे गांधीजी के लेखन का सबसे व्यापक और प्रामाणिक संग्रह माना जाता है। डीपीडी ने महात्मा गांधी संग्रहालय, नई दिल्ली के सहयोग से महात्मा गांधी पर एक व्यापक ई-संकलन "डिजिटल युग के लिए गांधी" पूरा किया है।

प्रकाशन प्रभाग चार मासिक पत्रिकाएं योजना, कुरुक्षेत्र, बाल भारती और आजकल तथा एक साप्ताहिक रोजगार समाचार पत्र भी प्रभारित करता है। इन पत्रिकाओं में समकालीन मुद्दों जैसे आर्थिक विकास, ग्रामीण पुनर्निर्माण, सामुदायिक विकास, साहित्य, संस्कृति, बच्चों के साहित्य और रोजगार और कैरियर के अवसरों पर जानकारी शामिल है।

वर्तमान में, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए वस्तु शीर्ष "वेतन" के तहत 14.54 करोड़ रुपये के अनुमोदित बजट प्राक्कलन की तुलना में 68 समूह 'ख' और 107 समूह 'ग' अधिकारियों द्वारा सहायता प्राप्त 88 समूह 'क' अधिकारी हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रकाशन प्रभाग ने अपने विभिन्न कार्यकलापों पर 180.30करोड़ रुपए व्यय किए हैं। इसका विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

शीर्ष	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
गैर-स्कीम (**स्थापना व्यय**)	39.67	87.30	53.33
कुल	39.67	87.30	53.33

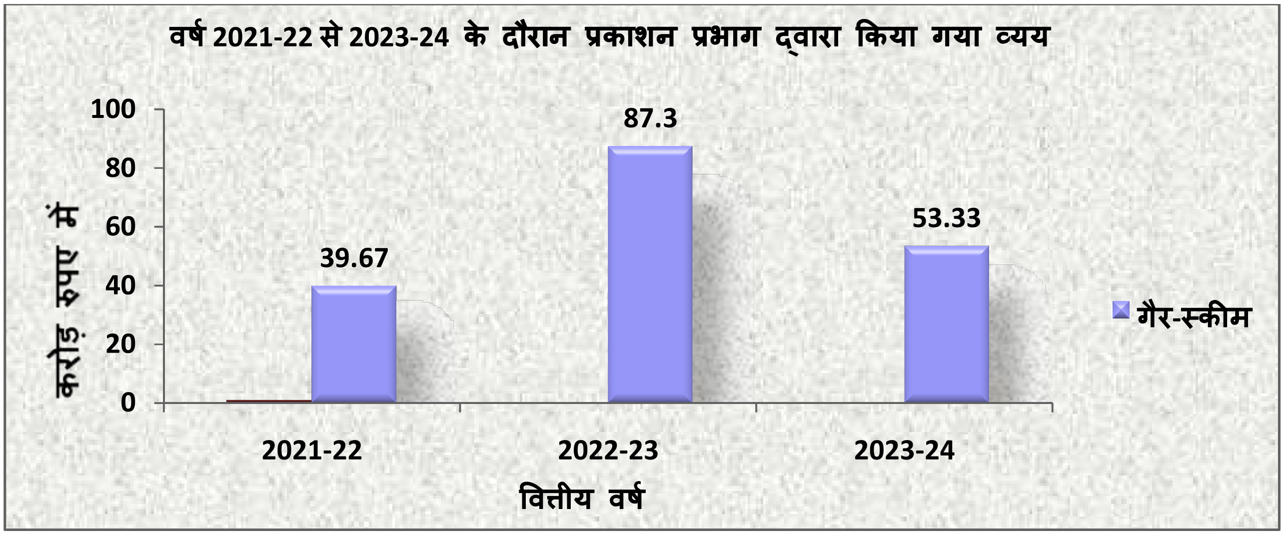

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रभाग द्वारा अर्जित राजस्व नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	राशि
2021-22	17.48
2022-23	47.32
2023-24	20.84

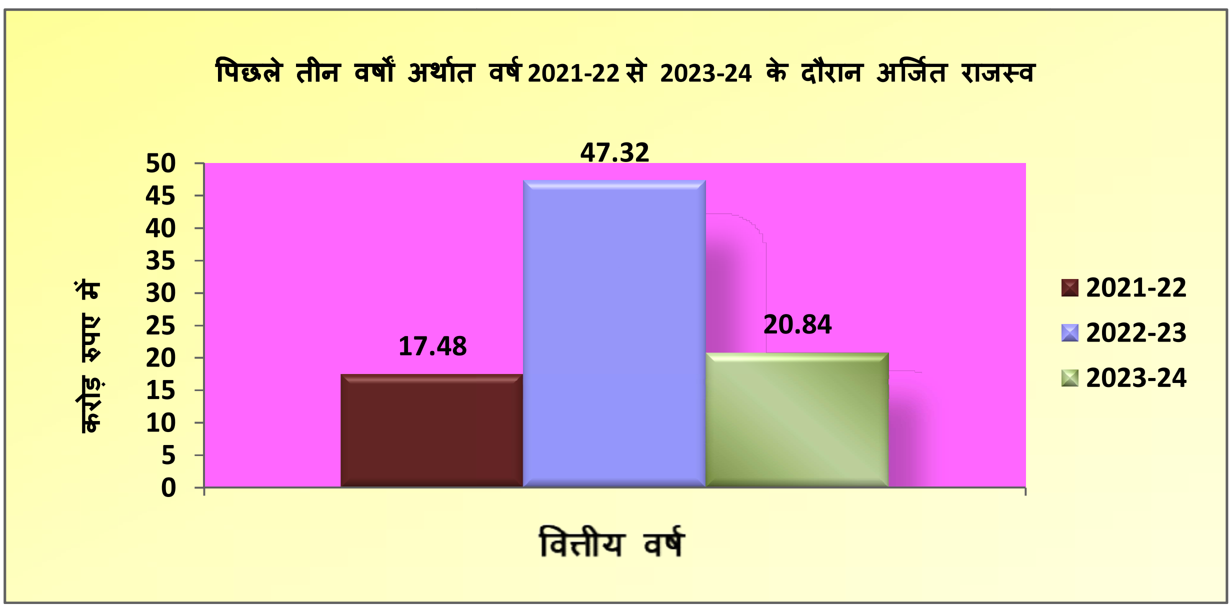

रोजगार समाचार (प्रकाशन प्रभाग के साथ विलय):

1976 में शुरू की गई, **रोजगार समाचार,** सूचना और प्रसारण मंत्रालय की प्रमुख रोजगार पत्रिका है, जो **हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू** में प्रकाशित होती है।यह केंद्र और राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों,स्वायत्त निकायों और विश्वविद्यालयों में रोजगार के लिए सूचना की सिंगल विंडो के रूप में कार्य

करती है। यह व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश नोटिस, परीक्षा नोटिस और संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग और अन्य भर्ती निकायों जैसे संगठनों के परिणाम भी प्रकाशित करती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, इस यूनिट द्वारा अर्जित राजस्व नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	राशि
2021-22	13.85
2022-23	11.02
2023-24	9.00

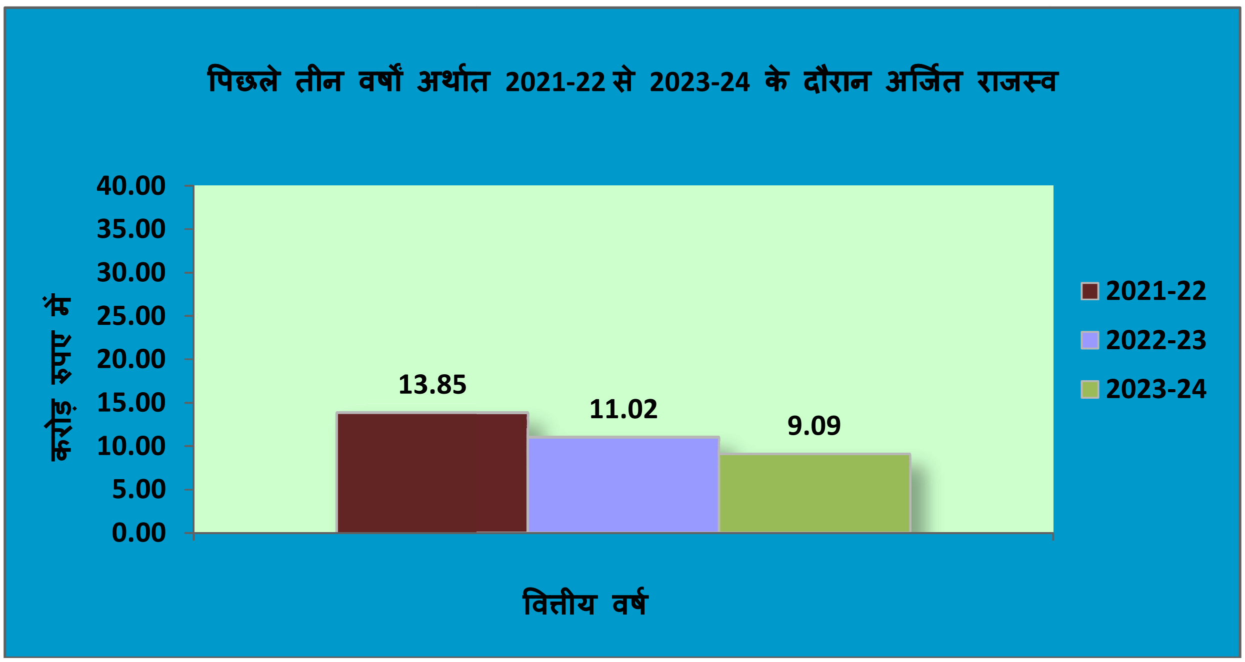

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी):

पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, पहलों और उपलब्धियों पर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया को जानकारी का प्रसार करने के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। यह सरकार और मीडिया के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है और मीडिया में परिलक्षित लोगों की प्रतिक्रिया पर सरकार को प्रतिक्रिया प्रदान करने का भी कार्य करता है। इसके साथ ही, ब्यूरो सरकार को सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में जनता की धारणा से अवगत कराता है जैसा कि मीडिया में परिलक्षित होता है। नई दिल्ली में अपने मुख्यालय के साथ, पीआईबी के 5 जोन हैं जिनमें 19 क्षेत्रीय कार्यालय और एक सूचना केंद्र सहित 17 शाखा कार्यालय शामिल हैं।

भारत के लोगों को शिक्षित और सशक्त बनाने की दृष्टि से, पीआईबी संचार के विभिन्न तरीकों जैसे प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट्स, फीचर लेख, पृष्ठभूमि, प्रेस ब्रीफिंग, साक्षात्कार, प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस टूर और सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना का प्रसार करता है। यह सूचना 11 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के साथ अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू में जारी की जाती है जो पूरे देश में समाचार पत्रों और मीडिया संगठनों तक पहुंचती है।

वर्तमान में, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वस्तु शीर्ष "वेतन" के तहत 48.18 करोड़ रुपये के अनुमोदित बजट प्राक्कलन की तुलना में 101 समूह 'ख' और 370 समूह 'ग' अधिकारियों द्वारा सहायता प्राप्त 139 समूह 'क' अधिकारी हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, पीआईबी ने अपने विभिन्न कार्यकलापों पर 340.33 करोड़ रुपए व्यय किए हैं। इसका विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ *रुपए में)*

शीर्ष	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
स्कीम (डीसीआईडी)	6.76	7.92	13.00
गैर-स्कीम (स्थापना व्यय)	104.20	100.38	108.07
कुल	110.96	108.30	121.07

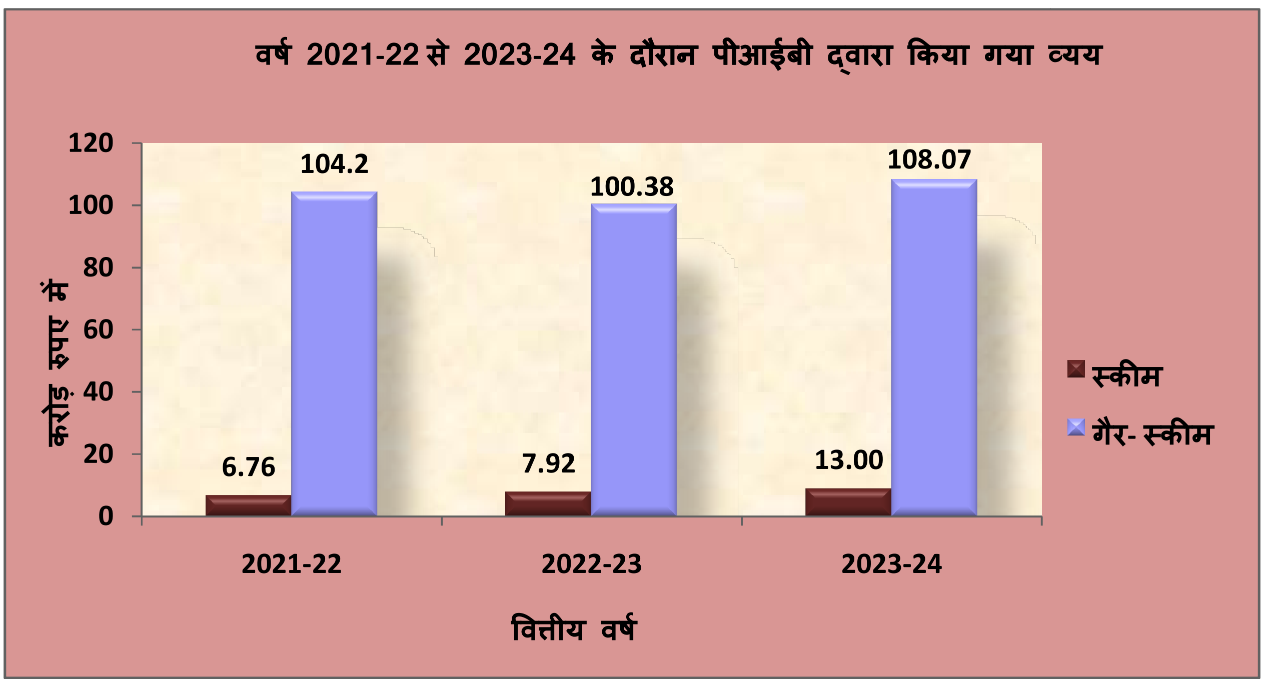

केंद्रीय संचार ब्यूरो (पूर्ववर्ती बीओसी आदि):

केन्द्रीय संचार ब्यूरो(पूर्ववर्ती बीओसी आदि) पूर्ववर्तीविज्ञापन और प्रचार निदेशालय (डीएवीपी), क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (डीएफपी) और गीत और नाटक प्रभाग (एसएंडडीडी) को एकीकृत करके 2017 में

स्थापित किया गया था। ब्यूरो का उद्देश्य मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू)/स्वायत्त निकायों को 360º संचार समाधान प्रदान करना है। यह मीडिया रणनीति पर सरकार के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करता है। 23 क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो (आरओबी) और 148 फील्ड लोकसंपर्क ब्यूरो (एफओबी) के साथ, सीबीसी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में शिक्षित करने में लगा हुआ है ताकि विकासात्मक कार्यकलापों में उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सके। ब्यूरो द्वारा संचार के विभिन्न साधनों यथा प्रिंट मीडिया, ऑडियो विज़ुअल मीडिया, प्रदर्शनियों, आउटडोर अभियानों और नए मीडिया का उपयोग करके यह सुनिश्चित किया जाता है।

सीबीसी,सरकार को जन सशक्तिकरण के प्रमुख सुविधा प्रदाता के रूप में ब्रांडिंग करने और इसे साकार करने के लिए विभिन्न मीडिया साधनों के माध्यम से संदेशों को प्रस्तुत करने हेतु अधिदेशित है। सीबीसी का विज्ञापन और दृश्य संचार प्रभाग सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों की विभिन्न स्कीमों और नीतियों के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए सीबीसी का नोडल प्रभाग है।

सीबीसी का लोक संचार प्रभाग प्रदर्शन कलाओं कीविस्तृत श्रृंखला यथा - नाटक, नृत्य-नाटक, समग्र कार्यक्रम, कठपुतली, बैले, ओपेरा, लोक और पारंपरिक गायन, पौराणिक गायन और अन्य स्थानीय लोक और पारंपरिक रूपों का उपयोग करते हुए लाइव मीडिया के माध्यम से पारस्परिक संचार करता है।

क्षेत्रीय संचार प्रभाग विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में जनता के बीच जागरूकता सृजन करने के लिए प्रत्यक्ष और पारस्परिक संचार कार्यक्रम चलाता है। तदनुसार, आरओबी और एफओबी सूचना के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वे ऐसे कार्यक्रमों/स्कीमों से लाभ प्राप्त कर सकें। यह जमीनी सक्रियणऔर एकीकृत लोकसंपर्क कार्यक्रमों का आयोजन करता है। एकीकृत संचार और लोकसंपर्क कार्यक्रम (आईसीओपी) विभिन्न हितधारकों के समर्थन से आयोजित किए जाते हैं। पूर्ववर्ती डीएवीपी, डीएफपी और एस एंड डीडी के एकीकरण के साथ, विशेष लोकसंपर्क और लोक घटकों के साथ एकीकृत तरीके से कार्यक्रम बड़ी संख्या में आयोजित किए जा रहे हैं। आईसीओपीका उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन सुनिश्चित करने और विकास प्रक्रिया में हिस्सेदारी बनाने के लिए अधिक प्रभाव डालना है।

सीबीसी अन्य मंत्रालयों की ओर से विज्ञापन और प्रचार का काम कर रहा है। ग्राहक मंत्रालय सीबीसी को प्राधिकार पत्र जारी करते हैं और एलओए या निधि अंतरण के आधार पर सीबीसी प्रिंट, आउटडोर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार अभियान चलाता है।

उपरोक्त कार्य को समयबद्ध तरीके से करने के लिए, वित्तीय वर्ष 2024-25के लिए वस्तु शीर्ष "वेतन" के तहत 85.00 करोड़ रुपये के स्वीकृत बजट प्राक्कलन की तुलना में212समूह 'ख' और 1076समूह 'ग' अधिकारियों द्वारा सहायता प्राप्त 65समूह 'क' अधिकारी हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, सीबीसी (पूर्ववर्ती बीओसी, आदि) ने भारत के लोगों में सामाजिक जागरूकता का सृजन करने के लिए किए गए अपने विभिन्न कार्यकलापों पर 1320.43करोड़ रुपये व्यय किए हैं। इसका विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

शीर्ष	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
स्कीम (डीसीआईडी)	196.29	269.98	327.00
गैर-स्कीम (स्थापना व्यय)	162.02	179.10	186.04
कुल	358.31	449.08	513.04

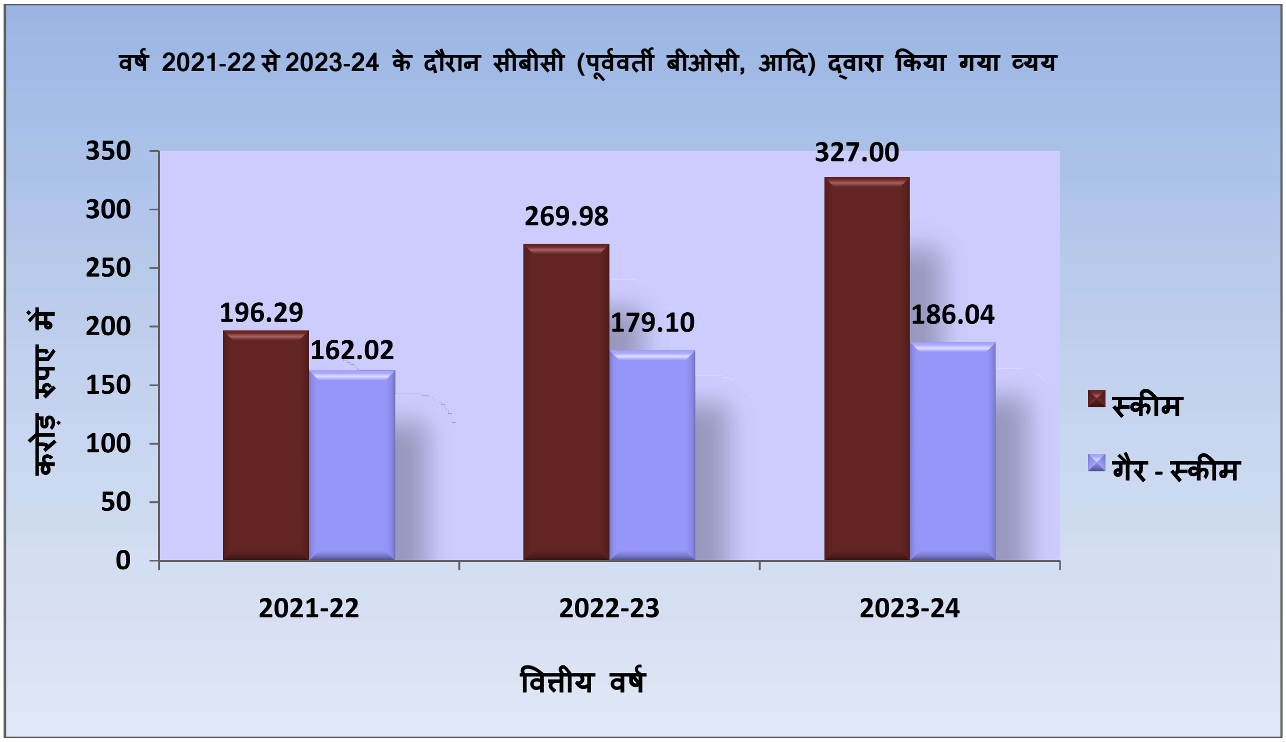

पिछले तीन वर्षों के दौरान सीबीसी (पूर्ववर्ती बीओसी आदि) की प्राप्तियां नीचे दी गई हैं:

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	राशि
2021-22	0.04
2022-23	0.11
2023-24	0.00

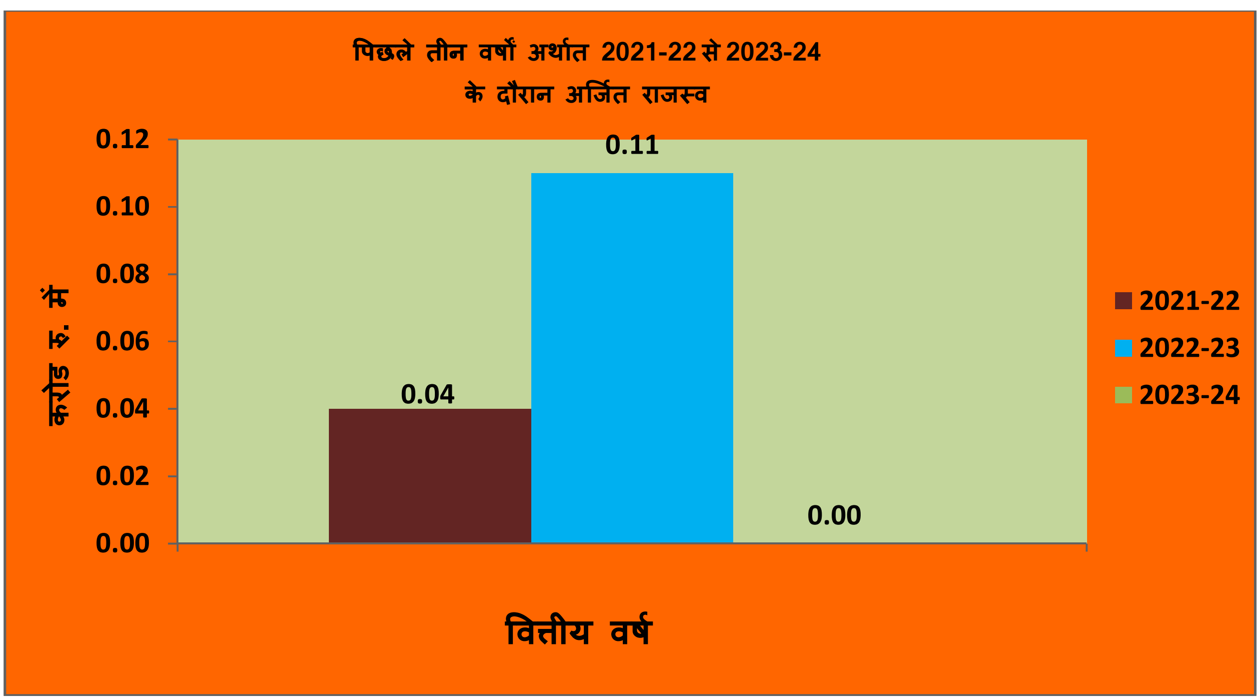

न्यू मीडिया विंग (पूर्ववर्ती आरआरएंडटीडी):

वर्ष 1945 में स्थापित, अनुसंधान, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग का नाम 2013 मेंबदलकर **न्यू मीडिया विंग** (एनएमडब्ल्यू) कर दिया गया, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सूचना प्रसार यूनिट के साथ-साथ मंत्रालय के लिए सूचना सेवा-यूनिट के रूप में कार्य करता है। एनएमडब्ल्यू के संचालन के दो प्राथमिक क्षेत्रों में सामान्य रूप से भारत सरकार और विशेष रूप से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए सोशल डिजिटल मीडिया आउटरीच को संभालना;और मीडिया के विचारों और राय का फीडबैक और विश्लेषण करना शामिल है।

वर्तमान में, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वस्तु शीर्ष "वेतन" के तहत ₹ 1.00 करोड़ के अनुमोदित बजट अनुमान की तुलना में 01 समूह 'ख' और 07 समूह 'ग' अधिकारियों द्वारा सहायता प्राप्त 01 समूह 'क' अधिकारी हैं।

पिछले तीन वर्ष के दौरान, न्यू मीडिया विंग ने अपने विभिन्न कार्यकलापों में 26.91 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। इसका विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

शीर्ष	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
स्कीम (डीसीआईडी)	7.18	7.00	8.00
गैर-स्कीम (स्थापना व्यय)	1.59	1.41	1.73
कुल	8.77	8.41	9.73

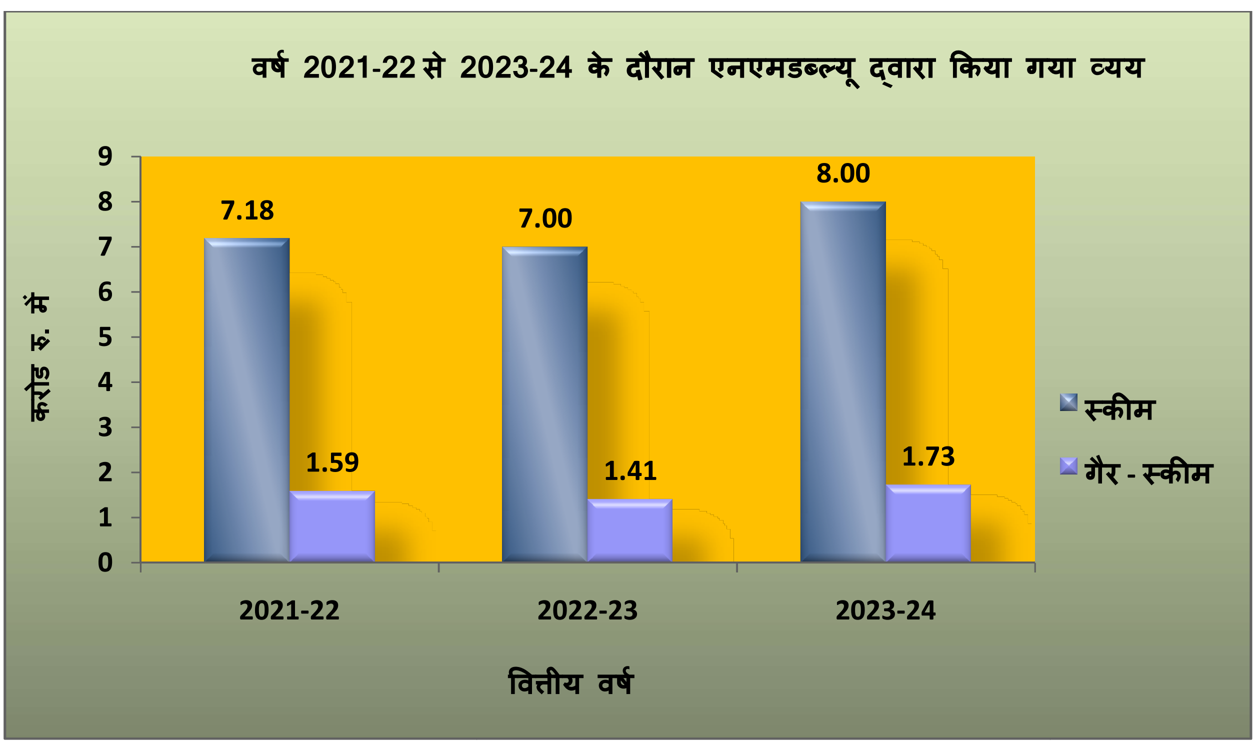

भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) :-

भारतीय प्रेस परिषद एक सांविधिक अर्ध न्यायिक स्वायत्त प्राधिकरण है जिसे वर्ष-1979 में संसद के एक अधिनियम, प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता को संरक्षित करने और भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने और सुधारने के दोहरे उद्देश्यों के साथ पुनः स्थापित किया गया था।

संसद के अधिनियम के तहत स्थापित निकाय होने के कारण परिषद को अपनी निधि का एक हिस्सा संसद द्वारा समुचित विनियोजन के बाद केन्द्रीय सरकार से सहायता-अनुदान के रूप में मिलता है, साथ ही इसे समाचार पत्रों से क्रमबद्ध रूप से एकत्रित शुल्क और अन्य प्राप्तियों के रूप में भी अपनी निधि प्राप्त होती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, मंत्रालय ने इस संगठन को सहायता-अनुदान के रूप में 27.88 करोड़ रु. जारी किए, जिसमें 9.97 करोड़ रु. वर्ष 2023-24 में इस संगठन को जारी किया गया।

(करोड़ रु. में)

शीर्ष	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
अन्य केन्द्रीय व्यय (जीआईए)	11.85	6.06	9.97

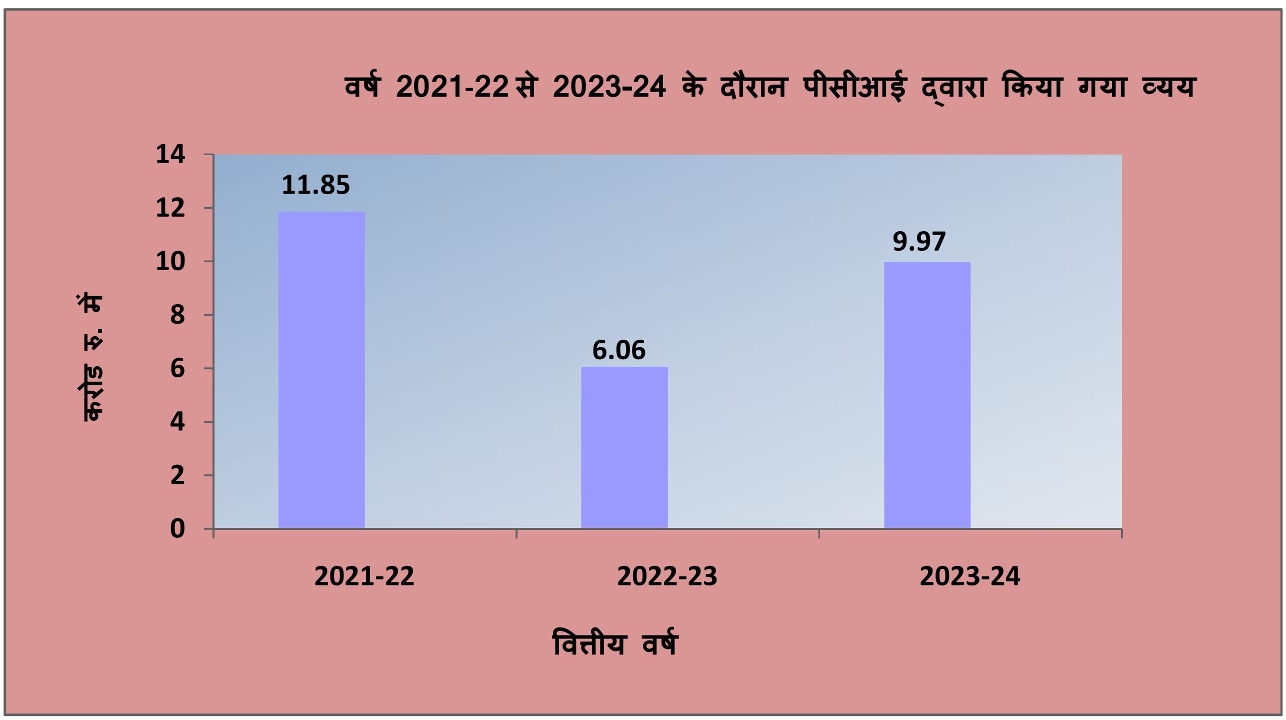

भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) :-

सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 (1860 का XXI) के तहत सोसाइटी के रूप में पंजीकृत **भारतीयजन संचार संस्थान (आईआईएमसी)** 17 अगस्त, 1965 को अस्तित्व में आया। इसकी स्थापना

मीडिया एवं जनसंचार के क्षेत्र में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान करने के मूल उद्देश्यों के साथ की गई थी। पिछले 57 वर्षों में, संस्थान ने आधुनिक समय में तेजी से विस्तार और बदलते मीडिया उद्योग की विविध और मांग वाली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने मूल आदेश सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों की सूचना और प्रचार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए "प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने" को ध्यान में रखते हुए कई विशेष पाठ्यक्रमों का संचालन किया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय ने इस संगठन को अनुदान के रूप में 92.27 करोड़ रुपये जारी किए थे, जिनमें से 35.90 करोड़ रुपये वर्ष 2023-24 में जारी किए गए।

(करोड़ रु. में)

शीर्ष	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
अन्य केन्द्रीय व्यय (जीआईए)	27.15	29.22	35.90
कुल	27.15	29.22	35.90

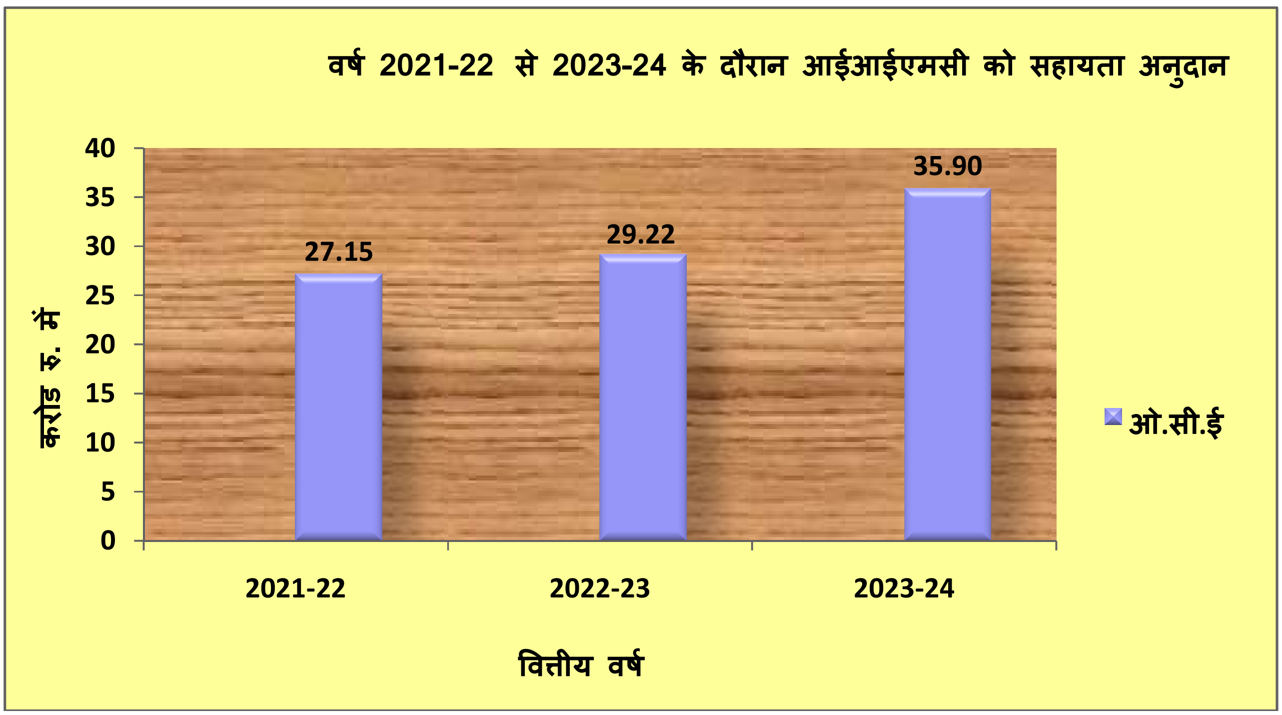

भारत के प्रेस महापंजीयक (पूर्ववर्ती आरएनआई)

भारत के समाचार-पत्रों के पंजीयक के कार्यालय की स्थापना वर्ष 1956 में प्रथम प्रेस आयोग (1953) की सिफारिश पर और प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम (पीआरबी), 1867 में संशोधन करके की गई थी। आरएनआई सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ एक संबद्ध कार्यालय है, जो सांविधिक और गैर-सांविधिक कार्य निष्पादित करता है। आरएनआई देश भर में प्रकाशित समाचार-पत्रों और प्रकाशनों का एक रजिस्टर रखता है, समाचार पत्रों और प्रकाशनों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करता है, नए समाचार

पत्रों के शीर्षकों की मंजूरी के बारे में संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करता है, और समाचार पत्रों और प्रकाशनों के प्रकाशकों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणों की जांच और विश्लेषण करता है। .

आरएनआईअपने गैरसांविधिक कार्यों के तहत, आरएनआई के साथ पंजीकृत वास्तविक उपयोगकर्ता प्रकाशनों के लिए अखबारी कागज के आयात के लिए स्व-घोषणा प्रमाणपत्रों को प्रमाणित करता है। यह कार्यालय प्रकाशकों से प्राप्त अनुरोधों या सूचना और प्रसारण मंत्रालय के निर्देशों के आधार पर, पीआईबी के नामित अधिकारियों के माध्यम से पंजीकृत प्रकाशनों का परिचालन सत्यापन भी करता है।

वर्तमान में, वित्तीय वर्ष 2024-25के लिए वस्तु शीर्ष "वेतन" के तहत3.99करोड़ रुपए के अनुमोदित बजट प्राक्कलन की तुलना में 24 समूह 'ख' और14समूह 'ग' अधिकारियों द्वारा सहायता प्राप्त 9 समूह 'क' अधिकारी हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान आरएनआई ने अपने विभिन्न कार्यकलापों पर27.70करोड़ रुपये व्यय किये हैं। इसकाविवरण नीचे दिया गया है।

(करोड़ रु. में)

शीर्ष	2021-22	2022-23	2023-24
गैर -स्कीम	7.70	9.77	10.23
कुल	7.70	9.77	10.23

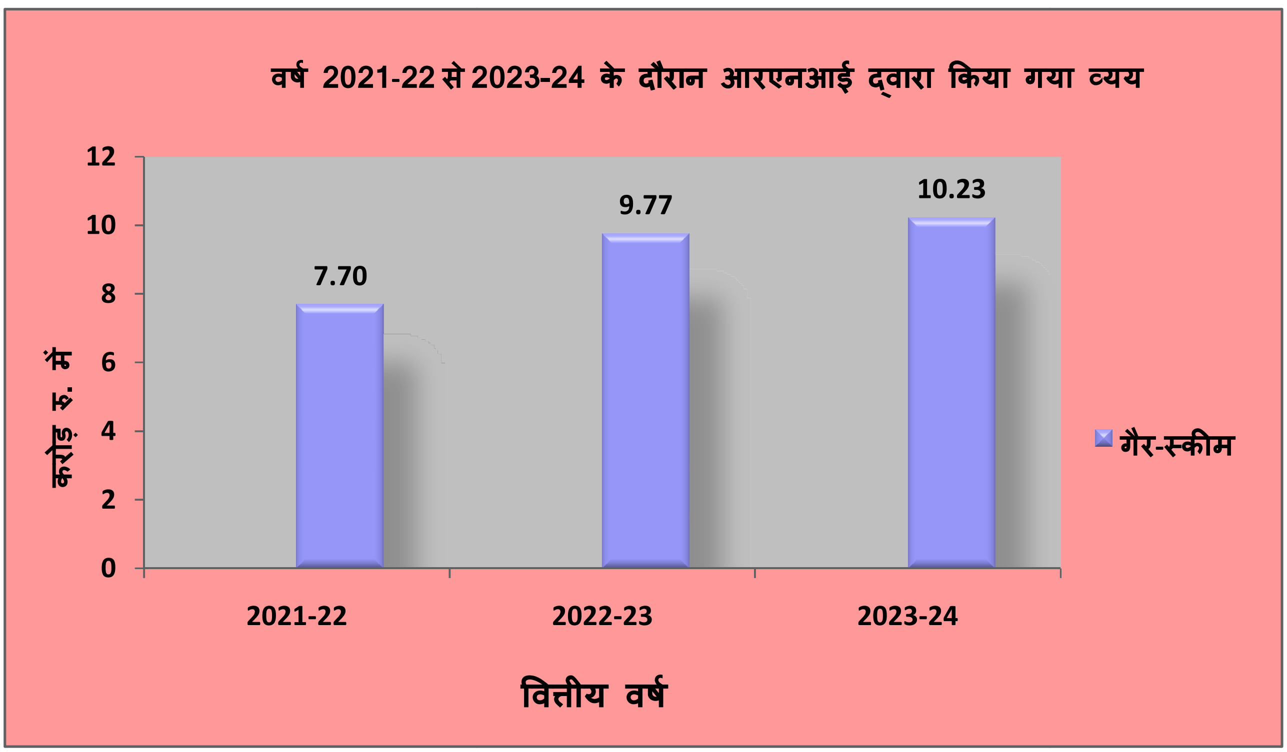

प्रसारण क्षेत्र

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी) :-

इलेक्ट्रॉनिकमीडिया मॉनिटरिंग सेंटर (ईएमएमसी)सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत वर्ष 2008 में स्थापित मीडिया संगठन है जो केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्यक्रम और विज्ञापन संहिता दोनों के उल्लंघन के संबंध में देश के भीतर प्रसारित होने वाले समाचार चैनलों की निगरानी करता है।

ईएमएमसी के पास वर्तमान में रियल टाइम के आधार पर 900 टीवी चैनलों की सामग्री को प्राप्त करने, रिकॉर्ड करने, संग्रहित करने और पुनर्प्राप्त करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकी अवसंरचना है। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित चुनावों के दौरान (ईसीआई), ईएमएमसी सामग्री की निगरानी भी करता है और ईसीआई के निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, ईएमएमसी ने अपने विभिन्न कार्यकलापों पर 45.84 करोड़ रुपये व्यय किए हैं। इसका विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रु. में)

शीर्ष	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**
गैर- स्कीम	18.74	13.57	13.53
कुल	18.74	13.57	13.53

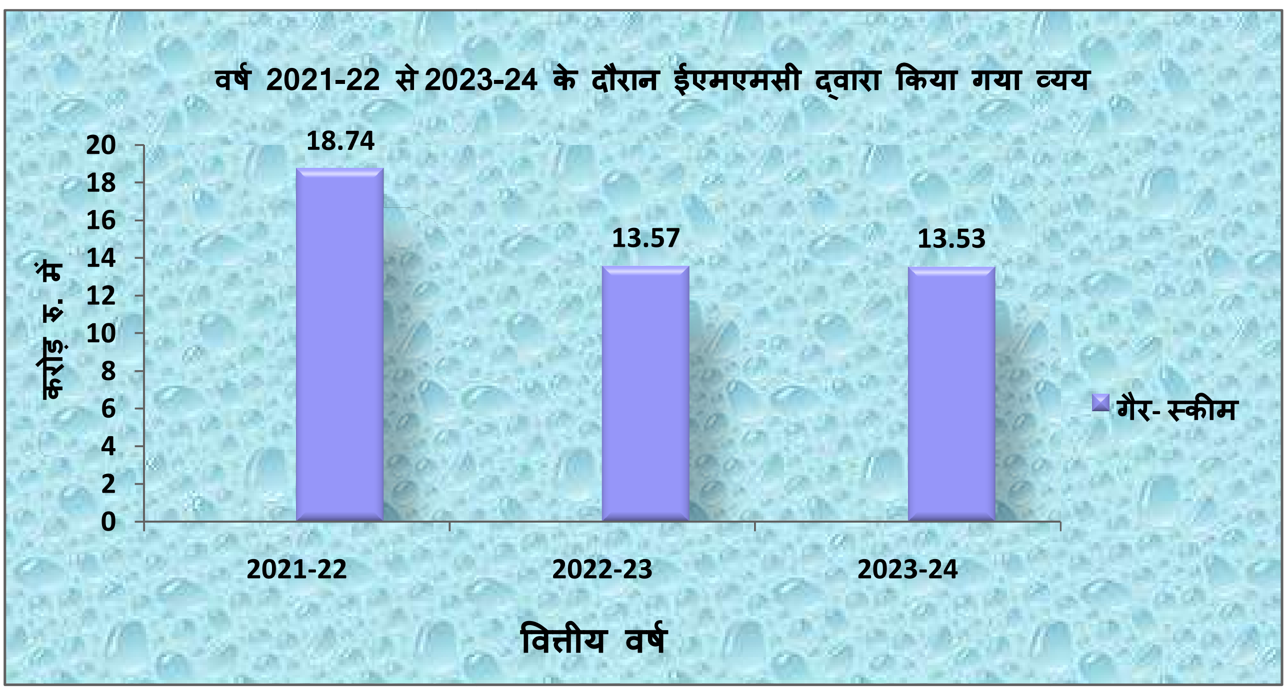

प्रसार भारती भारत का)लोक सेवा प्रसारक(:

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) देश में लोक सेवा प्रसारक है, जिसके दो घटक आकाशवाणी और दूरदर्शन हैं। यह जनता को सूचित करने (एआईआर), शिक्षित करने और मनोरंजन करने और देश में प्रसारण के संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिए लोक प्रसारण सेवाओं को सुव्यवस्थित और संचालित करने के अधिदेश के साथ 23 नवंबर, 1997 को अस्तित्व में आया।प्रसार भारती कोवित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 2937.05 करोड़ रुक .ा सहायताअनुदान जारी किया गया।-

पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रसार भारती को 8598.49 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इसका विवरण निम्नानुसार है :

(करोड़ रु. में)

शीर्ष	2021-22	2022-23	2023-24
स्कीम (बीआईएनडी)	161.68	159.91	371.32
अन्य केंद्रीय व्यय (जीआईए)	2629.03	2710.82	2565.73
कुल	2790.71	2870.73	2937.05

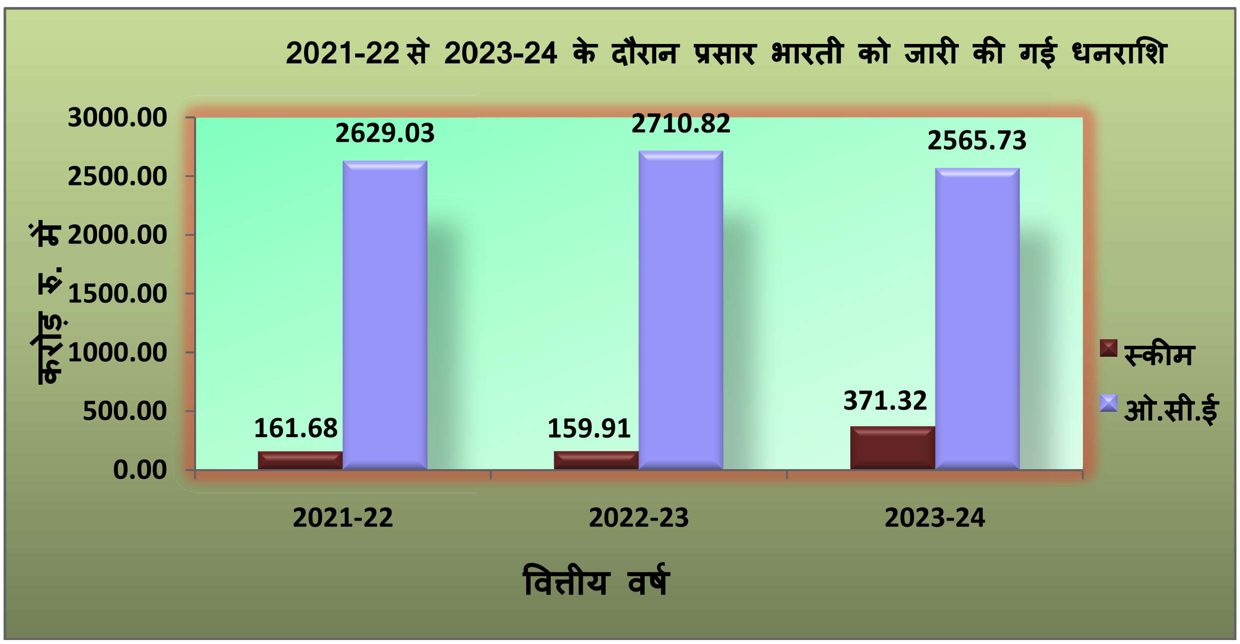

प्राइवेट एफएम रेडियो चैनल:

एफएम रेडियो पूरे देश में युवाओं और वयस्कों के बीच मनोरंजन के पसंदीदा साधनों में से एक है। स्थानीय भाषाओं में विभिन्न एफएम रेडियो स्टेशनों द्वारा पेश की जाने वाली विविधता का लोगों द्वारा स्वागत किया जाता है। यह स्थानीय व्यवसायों के लिए रेडियो विज्ञापनों के माध्यम से उनकी पहुँच बढ़ाने के लिए एक संभावित माध्यम के रूप में भी विकसित हुआ है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय

भी सरकार के विकासात्मक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जनता तक पहुँचने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में प्राइवेट एफएम रेडियो का उपयोग कर रहा है।

संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख के लेह और कारगिल में तथा जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों भद्रवाह, कठुआ और पुंछ में प्राइवेट एफएम रेडियो चैनल शुरू किए गए हैं।

31 मार्च, 2024 तक, देश भर के 26 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों के 113 शहरों में 388 एफएम रेडियो चैनल चालू हैं।

सरकार को निजी प्रसारकों से अप्रतिदेय एकबारगी प्रवेश शुल्क, अप्रतिदेय एकबारगी प्रवास शुल्क, वार्षिक लाइसेंस शुल्क, टावर किराया और प्रसंस्करण शुल्क के रूप में राजस्व प्राप्त होता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, एफएम चैनलों से अर्जित कुल राजस्व नीचे दिया गया है:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	राशि
2021-22	150.00
2022-23	178.99
2023-24	186.80

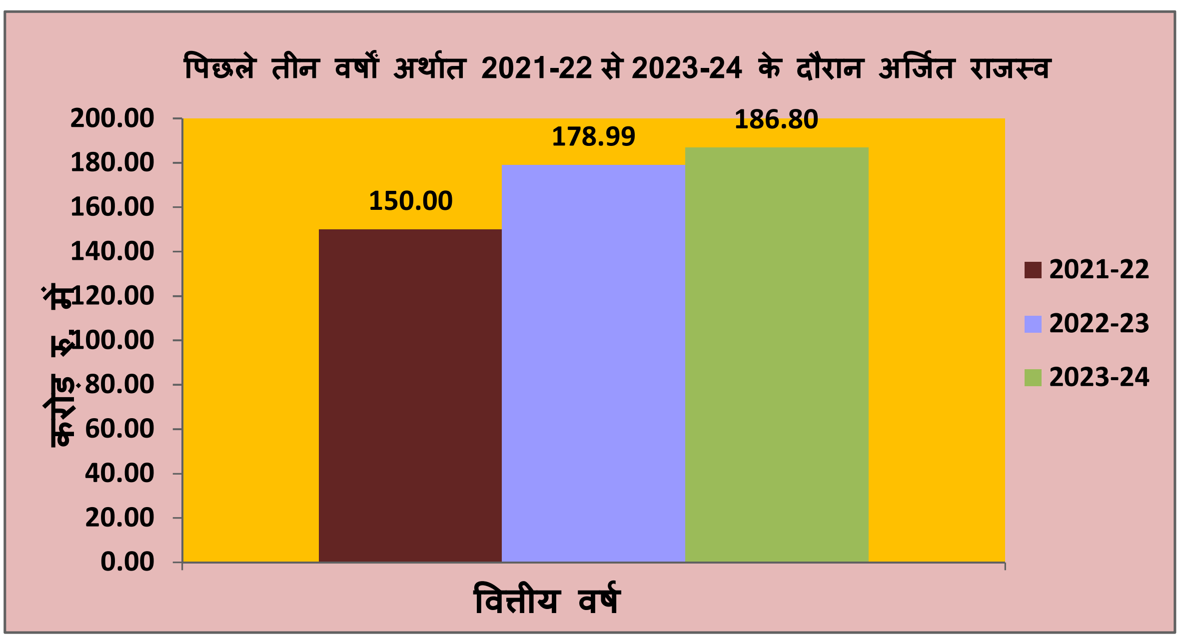

डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) :

डीटीएचएक एड्रेसेबल सिस्टम है और पूरे देश को कवर करता है। डीटीएच सेवा में, बड़ी संख्या में टेलीविजन चैनलों को डिजिटल रूप से कम्प्रेस, एन्क्रिप्ट किया जाता है और केयू बैंड में बहुत उच्च क्षमता वाले सैटेलाइटों से प्रसारित किया जाता है। डीटीएच के माध्यम से प्रसारित कार्यक्रमों को इमारतों में सुविधाजनक स्थानों पर छोटे डिश एंटेना लगाकर सीधे घरों में रिसीव किया जा सकता है। वर्तमान में, पाँच निजी डीटीएच ऑपरेटर हैं। इसके अलावा, दूरदर्शन भी अपनी डीटीएच सेवाएँ निःशुल्क आधार पर प्रदान कर रहा है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान डीटीएच की प्राप्तियां नीचे दी गई हैं:

(करोड़ रु. में)

वित्तीय वर्ष	**राशि**
2021-22	1581.41
2022-23	859.96
2023-24	692.00

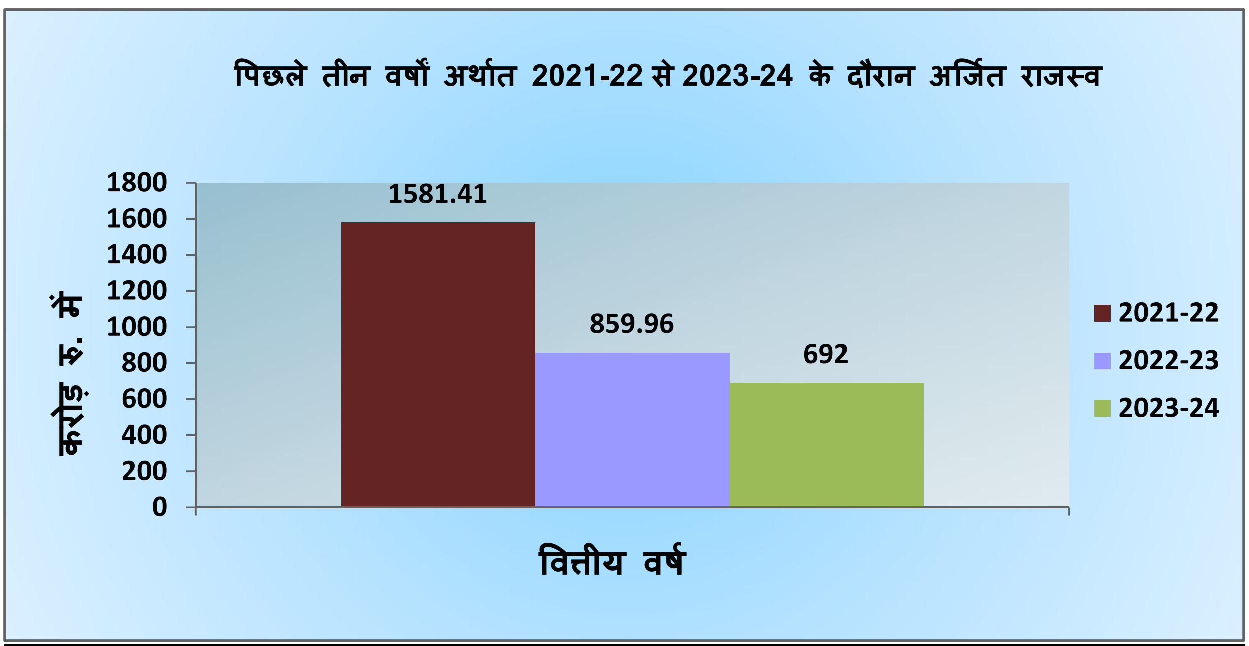

ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बेसिल) :

ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल), सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक मिनी रत्न सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है जोस्थलीय और सैटेलाइट प्रसारण, केबल, और ध्वनिकी और ऑडियोवीडियो सिस्टम सहित विभिन्न आईटी से संबंधित क्षेत्र सहित विशेष -

क्षेत्रों में टर्नकी समाधान सहित ट्रांसमिशन और निर्माण प्रौद्योगिकियों में प्रसारण के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों की परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए वर्ष 1995 में स्थापित किया गया था। बेसिल भारत और विदेशों में रेडियो और टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग के संपूर्ण दायरे अर्थात सामग्री निर्माण सुविधाएं, स्थलीय प्रसारण, ट्रांसमिशन और सैटेलाइट और केबल प्रसारण को शामिल करते हुए परियोजना परामर्श सेवाएं और टर्नकी समाधान प्रदान करता है। यह प्रसारण से संबंधित भवन डिजाइन और निर्माण, मानव संसाधन से संबंधित कार्यकलापों जैसे प्रशिक्षण और श्रमशक्ति प्रदान करने जैसी संबंधित सेवाएं भी प्रदान करता है। बेसिल रक्षा, पुलिस विभागों और विभिन्न अर्धसैनिक बलों को विशेष संचार, निगरानी, सुरक्षा और निगरानी प्रणालियों की आपूर्ति भी करता है। बेसिल का मुख्यालय नई दिल्ली में, कॉर्पोरेट कार्यालय नोएडा में और क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु में है।

अध्याय - 2 (क)

लेखा संगठन
सूचना और प्रसारण मंत्रालय

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव ही मुख्य लेखा प्राधिकारी हैं। वह अपर सचिव (वित्तीय सलाहकार) और मुख्य लेखा नियंत्रक की सहायता से अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं।

2. जीएफआर 2017 के नियम 70 के अनुसार, किसी मंत्रालय/विभाग के सचिव, जो मंत्रालय/ विभाग का मुख्य लेखा प्राधिकारी हैं, वे:-

(i) अपने मंत्रालय या विभाग के वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह होंगे।
(ii) यह सुनिश्चित करेंगे कि मंत्रालय को आवंटित लोक निधियां का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए वे दिए गए थे।
(iii) प्रदर्शन मानकों का अनुपालन करते हुए, उस मंत्रालय के घोषित परियोजना उद्देश्यों को प्राप्त करने में मंत्रालय के संसाधनों के प्रभावी, कुशल, किफायती और पारदर्शी उपयोग के लिए जिम्मेदार होंगे।
(iv) जांच के लिए लोक लेखा समिति तथा किसी अन्य संसदीय समिति के समक्ष उपस्थित होंगे।
(v) अपने मंत्रालय को सौंपे गए कार्यक्रमों और परियोजनाओं के निष्पादन की नियमित समीक्षा और निगरानी करेंगे ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि घोषित उद्देश्य प्राप्त हुए हैं या नहीं।
(vi)वित्त मंत्रालय द्वारा जारी विनियमों, दिशा-निर्देशों या निर्देशों के अनुसार अपने मंत्रालय से संबंधित व्यय और अन्य विवरण तैयार करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
(vii) यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका मंत्रालय वित्तीय लेनदेन का पूर्ण और उचित रिकॉर्ड बनाए रखेंगे तथा ऐसी प्रणालियां और प्रक्रियाएं अपनाएंगे जो हर समय आंतरिक नियंत्रण बनाए रख सकें।
(viii) यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका मंत्रालय कार्यों के निष्पादन के साथ-साथ सेवाओं और आपूर्तियों की खरीद के लिए सरकारी खरीद प्रक्रिया का पालन करेंगे और इसे निष्पक्ष, न्यायसंगत, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और लागत प्रभावी तरीके से कार्यान्वित करेंगे।
(ix) यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी और उचित कदम उठाएंगे कि उनका मंत्रालय:-

(क) सरकार को देय समस्त धनराशि एकत्रित करता है, और
(ख) अनधिकृत, अनियमित और व्यर्थ व्यय से बचता है।

3. सिविल लेखा नियमावली के पैरा 1.2.3 के अनुसार मुख्य लेखा नियंत्रक, मुख्य लेखा प्राधिकारी के लिए और उसकी ओर से निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार है: -

क) वेतन और लेखा कार्यालयों/प्रधान लेखा कार्यालय के माध्यम से सभी भुगतानों की व्यवस्था करना, सिवाय इसके कि जहां आहरण और संवितरण अधिकारी कुछ निश्चित प्रकार के भुगतान करने के लिए अधिकृत हैं।

नोट: किसी मंत्रालय/विभाग के लेखाओं के विभागीकरण की योजना में शामिल चेक आहरण डीडीओ की सूची में प्रस्तावित किसी भी एडिशन (शामिल करने) के लिए वित्त मंत्रालय के महालेखा नियंत्रक के विशिष्ट अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

ख) मंत्रालय/विभाग के लेखाओं का संकलन और समेकन और उन्हें निर्धारित प्रपत्र में लेखा महानियंत्रक को प्रस्तुत करना; अपने मंत्रालय/विभाग की अनुदान मांगों के लिए वार्षिक विनियोग लेखे तैयार करना, उनका विधिवत ऑडिट करवाना और उन्हें मुख्य लेखा प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित करके सीजीए को प्रस्तुत करना।

ग) विभाग के विभिन्न अधीनस्थ संरचनाओं और वेतन और लेखा कार्यालयों द्वारा रखे गए भुगतान और लेखा रिकॉर्ड के आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्था करना और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में रखे गए सरकारी मंत्रालयों/विभागों के लेनदेन से संबंधित रिकॉर्ड का निरीक्षण करना।

4. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक अपने कर्तव्यों का पालन, लेखा नियंत्रक, उप लेखा नियंत्रक, सहायक लेखा नियंत्रक, मुख्यालय में तीन प्रधान लेखा अधिकारी (प्रशासन, बी एंड ए और आईएडब्ल्यू) की सहायता से और प्रसार भारती से जुड़े06 (छह) पीएओ सहित सूचना और प्रसारण मंत्रालय के चौदह वेतन और लेखा कार्यालयों की मदद से (केवल पेंशन/जीपीएफ के लिए) करता है। सिविल लेखा संगठन के स्ट्रेंथ पर21 आरओबी (अब आरओ, सीबीसी) में समतुल्य बचत के आधार पर वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से वरिष्ठ लेखा अधिकारी के21 (इक्कीस) पद सृजित किए गए थे, जो एनसीडीडीओ/सीडीडीओ और आईएफए के कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। वरिष्ठ लेखा अधिकारी की अध्यक्षता में क्षेत्रीय आंतरिक लेखापरीक्षा दल चेन्नई, कोलकाता और मुंबई में तैनात हैं जिनके कार्यों की निगरानी मुख्यालय में आंतरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा की जा रही है। मुख्य लेखा नियंत्रक के कार्यालय में कार्य वितरण से संबंधित विवरण एक्जिबिट **'ए'** (पेज संख्या ....) पर दिया गया है।

5. सूचना और प्रसारण मंत्रालय में 21 सीडीडीओ सहित 84 डीडीओ और प्रसार भारती के 699 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। गैर-चेक आहरण डीडीओ भुगतान की पूर्व-जांच प्रणाली के तहत भुगतान और लेखा कार्यालय को बिल प्रस्तुत करते हैं। लेखा सूचना प्रवाह चार्ट (फ्लो चार्ट) एक्जिबिट **'बी'** (पृष्ठ संख्या ....) पर दिया गया है।

6. सिविल लेखा मैनुअल के पैरा 1.2.4 के अनुसार, नई दिल्ली में प्रधान लेखा कार्यालय एक प्रधान लेखा अधिकारी के अधीन कार्य करता है, जो निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार है:-

क. सीजीए द्वारा निर्धारित तरीके से मंत्रालय/विभाग के लेखाओं का समेकन;

ख. उस मंत्रालय/विभाग द्वारा नियंत्रित अनुदान मांगों के वार्षिक विनियोग लेखे तैयार करना, केंद्रीय लेनदेन के विवरण और केंद्र सरकार (सिविल) के वित्त लेखे के लिए सामग्री को लेखा महानियंत्रक को प्रस्तुत करना;
ग. भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से राज्य सरकार को ऋण और अनुदान का भुगतान, और जहां भी इस कार्यालय का आहरण खाता है, वहां से संघ राज्य क्षेत्र सरकार/प्रशासन को भुगतान;
घ. प्रबंधन लेखांकन प्रणाली के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैनुअल तैयार करना, यदि कोई हो, और वेतन और लेखा कार्यालयों को तकनीकी सलाह प्रदान करना, सीजीए कार्यालय के साथ आवश्यक संपर्क बनाए रखना और लेखांकन मामलों में समग्र समन्वय और नियंत्रण को कार्यान्वित करना;
ङ. मंत्रालय/विभाग द्वारा संचालित विभिन्न अनुदानों के तहत व्यय की प्रगति पर नजर रखने के लिए समग्र रूप से मंत्रालय/विभाग के लिए विनियोग लेखापरीक्षा रजिस्टर बनाना;

प्रधान लेखा कार्यालय/अधिकारी लेखा संगठन के सभी प्रशासनिक और समन्वय कार्य भी करता है तथा विभाग के साथ-साथ स्थानीय और बाहरी वेतन एवं लेखा कार्यालयों को आवश्यक वित्तीय, तकनीकी, लेखा संबंधी सलाह भी देता है।

7. सिविल लेखा मैनुअल में निहित प्रावधानों के अनुसार, वेतन एवं लेखा कार्यालय संबंधित मंत्रालयों/विभागों से संबंधित भुगतान करते हैं और कुछ मामलों में भुगतान विभागीय आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) द्वारा निधियों को निकालने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा, जो मंत्रालय/विभाग की प्राप्तियों और भुगतानों को संभालने के लिए प्राधिकृत मान्यता प्राप्त बैंक के कार्यालयों/शाखाओं पर आहरित ई-भुगतान/चेक के माध्यम से किया जाएगा। इन भुगतानों का लेखा-जोखा अलग-अलग स्क्रॉल में किया जाएगा, जो संबंधित मंत्रालय/विभाग के वेतन एवं लेखा कार्यालयों को प्रस्तुत किया जाएगा। चेक द्वारा भुगतान करने के लिए प्राधिकृत प्रत्येक वेतन एवं लेखा कार्यालय या आहरण एवं संवितरण अधिकारी केवल विशेष मान्यता प्राप्त बैंक की शाखा/शाखाएँ जिसके साथ वेतन एवं लेखा कार्यालय या आहरण एवं संवितरण अधिकारी, जैसा भी मामला हो, में खाता हो, से आहरण करेगा। मंत्रालय/विभाग की सभी प्राप्तियों का भी अंतिम रूप से वेतन एवं लेखा कार्यालय की बहियों में लेखा किया जाता है। वेतन एवं लेखा कार्यालय विभागीय लेखा संगठन की मूल इकाई है। इसके मुख्य कार्यों में शामिल हैं: -

- गैर-चेक आहरण डी.डी.ओ. द्वारा प्रस्तुत ऋण और सहायता-अनुदान सहित सभी बिलों की पूर्व-जांच और भुगतान।
- निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुरूप सटीक और समय पर भुगतान।
- प्राप्तियों का समय पर भुगतान।
- चेक आहरण करने वाले डीडीओ को त्रैमासिक ऋण पत्र जारी करना तथा उनके वाउचर/बिल का चेक पोस्ट करना
- उनके द्वारा प्राप्तियों और व्ययों के मासिक लेखाओं का संकलन करना तथा उन्हें चेक आहरण करने वाले डी.डी.ओ. के लेखाओं में शामिल करना।
- विलयित डीडीओ के अलावा जीपीएफ खातों का रखरखाव और सेवानिवृत्ति लाभों का प्राधिकरण।

- सभी डीडीआर शीर्षों का रखरखाव।
- ई-भुगतान के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली द्वारा मंत्रालय/विभाग को कुशल सेवा प्रदान करना।
- निर्धारित लेखांकन मानकों, नियमों और सिद्धांतों का पालन करना।
- समय पर, सटीक, व्यापक, प्रासंगिक और उपयोगी वित्तीय रिपोर्टिंग।

8. **किसी नए वेतन एवं लेखा कार्यालय के सृजन (या पुनर्गठन) या किसी मंत्रालय/विभाग के लेखा विभागीकरण योजना में शामिल चेक आहरण डीडीओ की सूची में शामिल करने के किसी भी प्रस्ताव के संबंध में वित्त मंत्रालय के महालेखा नियंत्रक का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करना होगा।**

9. सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संबंध में विभागीय लेखा संगठन की समग्र जिम्मेदारियां निम्नलिखित हैं:-

- मासिक लेखाओं का समेकन।
- वार्षिक विनियोग लेखे।
- केंद्रीय लेनदेन का विवरण।
- "लेखा एक झलक" तैयार करना।
- केंद्रीय वित्त खाते जो सीजीए, वित्त मंत्रालय और प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए जाते हैं।
- अनुदान प्राप्त संस्थानों/स्वायत्त निकायों आदि को सहायता अनुदान का भुगतान।
- सभी पीएओ और मंत्रालय को तकनीकी सलाह प्रदान करना; यदि आवश्यक हो, तो डीओपीटी, वित्त मंत्रालय और सीजीए आदि जैसे अन्य संगठनों के परामर्श से।
- रिसीट बजट तैयार करना
- पेंशन बजट तैयार करना
- पीएओ/चेक आहरण डीडीओ और व्यक्तिगत जमा खाता धारकों के लिए एवं उनकी ओर से चेक बुक की खरीद एवं आपूर्ति करना।
- महालेखा नियंत्रक कार्यालय के साथ आवश्यक संपर्क बनाए रखना तथा लेखांकन मामलों और मान्यता प्राप्त बैंक में समग्र समन्वय और नियंत्रण लागू करना ।
- मान्यता प्राप्त बैंक के माध्यम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से किए गए सभी प्राप्तियों और भुगतानों का सत्यापन एवं मिलान करना।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित भारतीय रिजर्व बैंक के खातों का रखरखाव करना तथा शेष नकदी का मिलान करना।
- शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करना।
- पेंशन/भविष्य निधि एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का शीघ्र निपटान।
- मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन अधीनस्थ और संबद्ध कार्यालयों और इसके अनुदान प्राप्त संस्थानों आदि की आंतरिक लेखापरीक्षा।
- सभी संबंधित प्राधिकारियों को लेखांकन सूचना उपलब्ध कराना।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय का बजट समन्वय कार्य।

- नई पेंशन योजना की निगरानी और 2016 से पहले और 2006 से पहले सेवानिवृत्त लोगों के पेंशन संशोधन मामलों की निगरानी।
- खातों का कम्प्यूटरीकरण और ई-भुगतान।
- लेखांकन संगठन का प्रशासनिक एवं समन्वय कार्य।
- अनुदान प्राप्त संस्थानों सहित केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत पीएफएमएस की शुरूआत।
- वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार सूचना और प्रसारण मंत्रालय में गैर-कर रिसीट पोर्टल (एनटीआरपी)।

10. प्रभावी बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की सुविधा के लिए मीडिया प्रमुखों, वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा प्राधिकरण को लेखांकन सूचना और डेटा भी प्रदान किया जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुदान के विभिन्न उप-शीर्षों/वस्तु-शीर्षों के तहत मासिक और प्रगामी व्यय संबंधी आंकड़े मीडिया प्रभाग के संयुक्त सचिव सहित मंत्रालय के बजट अनुभाग को प्रस्तुत किए जाते हैं। बजट प्रावधानों की तुलना में व्यय की प्रगति भी मासिक रूप से व्यय की बेहतर निगरानी के प्रयोजनों के लिए सचिव, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार के साथ-साथ मंत्रालय के अनुदान के नियंत्रित करने वाले प्रभागों के प्रमुखों को प्रस्तुत की जाती है।

11. लेखा संगठन गृह निर्माण अग्रिम और मोटर कार अग्रिम जैसे दीर्घकालिक अग्रिमों और मंत्रालय के कर्मचारियों के जीपीएफ खातों का भी रखरखाव करता है।

12. अधिकारियों और कर्मचारियों के पेंशन संबंधी अधिकारों का सत्यापन और प्राधिकरण वेतन एवं लेखा कार्यालयों द्वारा कार्यालय प्रमुखों द्वारा प्रस्तुत सेवा विवरण और पेंशन कागजात के आधार पर किया जाता है। सभी सेवानिवृत्ति लाभ और भुगतान जैसे ग्रेच्युटी, अवकाश वेतन के बराबर नकद राशि और साथ ही केंद्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना; सामान्य भविष्य निधि आदि के तहत भुगतान डीडीओ से प्रासंगिक सूचना/बिल प्राप्त होने पर पीएओ कार्यालय द्वारा जारी किए जाते हैं।

13. **<u>आंतरिक लेखापरीक्षा विंग</u>** :

आंतरिक लेखापरीक्षा विंग मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं का इन कार्यालयों द्वारा अपने दैनिक कार्यों में पालन किया जा रहा है।

आंतरिक लेखा परीक्षा एक स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ आश्वासन और परामर्श कार्यकलाप है जिसे मूल्य वर्द्धित करने और संगठन के कार्यों में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका मूल उद्देश्य जोखिम प्रबंधन, नियंत्रण और शासन प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन और सुधार करने के लिए एक व्यवस्थित, अनुशासित दृष्टिकोण लाकर संगठन को अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता करना है। यह वस्तुनिष्ठ आश्वासन और सलाह प्रदान करने के लिए एक प्रभावी उपकरण भी है जो मूल्य वर्द्धित करता है, शासन के संवर्धन में सहायक परिवर्तन को प्रभावित करता है, जोखिम प्रबंधन और

नियंत्रण प्रक्रियाओं की सहायता करता है और परिणामों के लिए जवाबदेही में सुधार करता है। यह प्रक्रियात्मक गलतियों और कमियों को सुधारने के लिए मूल्यवान सूचना भी प्रदान करता है और इस प्रकार, प्रबंधन के लिए सहायता के रूप में कार्य करता है। किसी इकाई के ऑडिट की आवधिकता उसके कार्य की प्रकृति और मात्रा और निधियों की मात्रा द्वारा विनियमित होती है।

आंतरिक लेखापरीक्षा और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा प्रकृति में पूरक हैं और जवाबदेही के समग्र ढांचे को ध्यान में रखते हुए, आंतरिक लेखापरीक्षा और बाह्य लेखापरीक्षा दोनों की अपनी भूमिकाएं हैं। वास्तव में, आंतरिक लेखापरीक्षा को प्रबंधकीय प्रदर्शन को सुदृढ़ और बेहतर बनाने के लिए एक प्रभावी उपकरण माना जाता है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय ने स्वयं भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग के भीतर एक मजबूत आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया है और इसे द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने "भारत सरकार की वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाने" पर अपनी 14वीं रिपोर्ट में दोहराया है। वित्त मंत्री के अनुमोदन से वित्त मंत्रालय के तत्कालीन अपर सचिव (व्यय) की अध्यक्षता में गठित कार्य समूह ने भी भारत सरकार में नियमित आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। कार्य समूह ने 22 नवंबर, 2011 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में विभाग में आंतरिक लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा समिति की नियमित प्रणाली की आवश्यकता का भी समर्थन किया है, जिससे वित्तीय अनियमितताओं का पता लगाने और उनकी रोकथाम करने के साथ-साथ उचित वित्तीय नियंत्रण प्रणाली व्यवस्था स्थापित करने में भी सहायता मिलेगी जो यह सुनिश्चित करेगी कि बाद की तारीख में सीएंडएजी की कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं आती है। इसलिए, आंतरिक लेखा परीक्षा मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार और सचिव जो जीएफआर-2017 के नियम-70 के अनुसार मुख्य लेखा प्राधिकारी है, के पास एक मजबूत साधन है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय स्वामित्व और वित्तीय विनियमन के उच्च मानक को बनाए रखा जा रहा है और उनका पालन किया जा रहा है और प्रक्रियात्मक चूक और अनियमितताओं के पता चलते ही निर्देशों पर ध्यान दिया जाता है ताकि सांविधिक लेखा परीक्षा के लिए बहुत कम कार्य रह जाए।

महालेखा नियंत्रक कार्यालय, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या जी.25014/33/2015-16/एमएफ.सीजीए/आईएडी/306-53 दिनांक 15.05.2017 के अनुसरण में और सीजीए कार्यालय द्वारा जारी जेनेरिक आंतरिक ऑडिट मैनुअल (संस्करण 1.0) में निहित प्रावधानों के अनुसार, सचिव (सू. एवं प्र.) के अनुमोदन से अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार (सू. एवं प्र.) की अध्यक्षता में इस मंत्रालय में ऑडिट समिति का गठन किया गया और आंतरिक लेखापरीक्षा समिति के विचारार्थ विषयों को सीसीए कार्यालय के का.ज्ञा. संख्या Pr.AO/I&B/IAW (मुख्यालय)/NZ/17-18/1016-1065 दिनांक 27.07.2017 में परिभाषित किया गया है।

मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकायों और अन्य अनुदान प्राप्त संस्थानों और विशिष्ट योजनाओं को छोड़कर सूचना और प्रसारण के विभिन्न विभागों के तहत 213 ऑडिटी इकाइयां/डीडीओ हैं (प्रसार भारती-135 एवं गैर प्रसार भारती-78) वित्तीय वर्ष 2023-24 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पचहत्तर (54) कार्यालयों का ऑडिट किया गया है।

31.03.2024 तक सूचना और प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती में उत्कृष्ट आंतरिक लेखापरीक्षा पैरा की स्थिति नीचे दी गई है:-

I. प्रसार भारती				
क्षेत्र	**01.04.2023 तक बकाया पैरा**	**पैरा को 01.04.2023 से 31.03.2024 तक बढ़ाया गया**	**पैरा को 01.04.2023 से 31.03.2024 तक हटा (ड्राप) दिया गया**	**31.03.2024 तक कुल बकाया पैरा**
दक्षिण क्षेत्र (चेन्नई)	514	178	118	574
पश्चिम क्षेत्र (मुंबई)	372	43	05	410
उत्तरी क्षेत्र (दिल्ली)	319	216	145	390
पूर्वी क्षेत्र (कोलकाता)	583	237	193	627
कुल (I)	**1788**	**674**	**461**	**2001**
II. गैर प्रसार भारती				
क्षेत्र	**01.04.2023 तक बकाया पैरा**	**पैरा को 01.04.2023 से 31.03.2024 तक बढ़ाया गया**	**पैरा को 01.04.2023 से 31.03.2024 तक हटा (ड्राप) दिया गया**	**31.03.2024 तक कुल बकाया पैरा**
दक्षिण क्षेत्र (चेन्नई)	326	25	49	302
पश्चिम क्षेत्र (मुंबई)	574	80	23	631
उत्तर क्षेत्र (दिल्ली)	514	115	128	501
पूर्वी क्षेत्र (कोलकाता)	334	87	44	377
कुल (II)	**1748**	**307**	**244**	**1811**
कुल योग (I + II)	**3536**	**981**	**705**	**3812**

14. **बैंकिंग व्यवस्थाएं:** भारतीय स्टेट बैंक सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अधिकृत बैंक है। पीएओ/सीडीडीओ द्वारा संसाधित ई-भुगतान का निपटान सीएमपी, एसबीआई, हैदराबाद के माध्यम से विक्रेताओं/लाभार्थियों के खातों में किया जाता है और कुछ मामलों में; पीएओ/सीडीडीओ द्वारा जारी किए गए चेक भुगतान के लिए अधिकृत बैंक की नामित शाखा में प्रस्तुत किए जाते हैं। रसीदें गैर-कर-प्राप्ति

पोर्टल (एनटीआरपी) के अलावा संबंधित पीएओ/सीडीडीओ द्वारा अधिकृत बैंकों को भी भेजी जाती हैं। अधिकृत बैंक में किसी भी परिवर्तन के लिए लेखा महानियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के विशिष्ट अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय, प्रधान लेखा कार्यालय में 14 (चौदह) वेतन एवं लेखा कार्यालय हैं, जिनमें प्रसार भारती से संबद्ध 06 वेतन एवं लेखा कार्यालय शामिल हैं। पांच पीएओ नई दिल्ली में, दो-दो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में तथा एक-एक नागपुर, लखनऊ और गुवाहाटी में स्थित हैं। विभाग/मंत्रालय से संबंधित सभी भुगतान संबंधित पीएओ से जुड़े पीएओ/सीडीडीओ के माध्यम से किए जाते हैं। आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने दावे/बिल नामित पीएओ/सीडीडीओ के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जो सिविल लेखा मैनुअल, प्राप्ति एवं भुगतान नियमों तथा सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अन्य आदेशों में निहित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक जांच करने के पश्चात चेक जारी करते हैं/ई-भुगतान जारी करते हैं।

अध्याय-2 (ख)

मंत्रालय/विभाग में लेखा संगणनों के प्रमुखों के रूप में प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक/सीसीए/सीए (आईसी) के चार्टर के अनुसार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक की भूमिका

मुख्य लेखा नियंत्रक सूचना और प्रसारण मंत्रालय में लेखा संगठन का प्रमुख होता है। निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत उसके कार्य इस प्रकार हैं: -

(1) <u>प्राप्तियां, भुगतान और खाते</u> :

i. यह सुनिश्चित करना कि केन्द्र सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग की सभी प्राप्तियों और भुगतानों के लेखांकन के लिए आवश्यक आंतरिक नियंत्रण के साथ प्रभावी और कुशल प्रणालियां विद्यमान हों।

ii. निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुरूप विभिन्न केंद्रीय सिविल मंत्रालयों/विभागों के वेतन एवं लेखा कार्यालयों तथा चेक आहरण एवं संवितरण कार्यालयों (सीडीडीओ) के माध्यम से भुगतान और प्राप्तियों का पर्यवेक्षण करना।

iii. कोडल प्रावधानों के अनुसार दावेदारों (सरकारी कर्मचारियों, विक्रेताओं, अनुदानकर्ताओं और ऋण प्राप्त करने वाली संस्थाओं आदि, जिसमें जीईएम के माध्यम से खरीद के संबंध में आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान भी शामिल है) को समय पर भुगतान का पर्यवेक्षण करना।

iv. सीजीए कार्यालय को मासिक और वार्षिक खातों की दक्षता, सटीकता और समय पर प्रस्तुति सुनिश्चित करना।

v. समय पर, सटीक, व्यापक, प्रासंगिक और उपयोगी वित्तीय रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना।

vi. सीजीए कार्यालय को मासिक रिपोर्ट की सटीकता और समय पर प्रस्तुति सुनिश्चित करना।

vii. मान्यता प्राप्त/प्राधिकृत बैंकों द्वारा मंत्रालय/विभाग को कुशल सेवा प्रदान करने की निगरानी करना तथा सरकारी खातों में प्राप्तियों की समय पर प्राप्ति के लिए उनकी प्रणाली की निगरानी करना।

viii. निर्धारित लेखांकन मानकों, नियमों और सिद्धांतों के अनुपालन की निगरानी करना।

ix. मंत्रालय/विभाग के मुख्य लेखा प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित लेखापरीक्षित वार्षिक विनियोग लेखों को सीजीए कार्यालय को समय पर प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करना।

x. अपने मंत्रालय/विभाग के संबंध में वार्षिक'लेखा-जोखा एक नजर में' तैयार करना सुनिश्चित करना।

xi. भारत के लोक खाते में नव निर्मित निधि को संचालित करने के लिए उसके संबंध में व्यक्तिगत जमा खाता खोलने अथवा लेखा प्रक्रिया तैयार करने के लिए मंत्रालयों/विभागों के प्रस्ताव की जांच करना।

xii. समय-समय पर सीजीए कार्यालय द्वारा निर्धारित मौद्रिक सीमा के अनुसार सीसीए/सीए द्वारा भुगतान स्वीकृतियों (जीएसटी रिफंड मंजूरी सहित) की समीक्षा।

xiii. ऋण, जमा, उचंत (सस्पेंश) एवं धनप्रेषण (डीडीएसआर) शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि के निपटान की निगरानी करना तथा शीर्षों के अंतर्गत प्रतिकूल शेष राशि के निपटान के लिए समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करना।

xiv. बजट परिपत्र और एलएमएमएचए के अनुसार नई स्कीमों के लिए उपयुक्त खाता शीर्ष खोलने की निगरानी करना।

xv. सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को समय पर पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान किए जाने की निगरानी करना।

xvi. खरीद और संबंधित भुगतान से संबंधित मामलों पर जीईएम स्थायी समिति के साथ समन्वय करना ।

xvii. प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष करों के लेखांकन से संबंधित मामलों पर सीबीडीटी और सीबीआईसी को विशिष्ट वित्तीय और तकनीकी सलाह।

उपरोक्त जिम्मेदारियों के संबंध में मुख्य लेखा नियंत्रक, महालेखा नियंत्रक के निर्देश, अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे।

(2) <u>आउटकम बजट सहित बजट तैयार करना</u> :

i. बजटीय प्रस्ताव तैयार करने में सहायता करना तथा प्रत्येक कार्यक्रम/उप-कार्यक्रम के व्यय और रूपरेखा के विश्लेषण के आधार पर बजटीय सीमा के भीतर बेहतर पारस्परिक कार्यक्रम प्राथमिकता/आवंटन में प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों की सहायता करना।

ii. वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित समय-सारिणी/दिशानिर्देशों के अनुसार आउटकम बजट/उत्पादन-परिणाम निगरानी रूपरेखा (ओओएमएफ) तैयार करने में प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को आवश्यक सहायता प्रदान करना।

iii. बजट प्रभाग को लोक खातों के लेनदेन के संबंध में बजट अनुमान और बजट प्रभाग द्वारा नियंत्रित समग्र मांगों को बजट में शामिल करने के लिए प्रस्तुत करना।

iv. कर्मचारियों के भविष्य निधि शेष पर तथा रिजर्व निधि सहित लोक खाते में विभिन्न जमाराशियों पर ब्याज के लिए बजट आकलन प्रस्तुत करना।

v. बजट दस्तावेजों से संबंधित सभी रिपोर्टों और विवरणों की निगरानी करना।

(3) <u>गैर-कर राजस्व प्राप्तियों का आकलन</u> :

i. प्रशासनिक प्रभागों के साथ मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न गैर-कर राजस्व प्राप्तियों की समय-समय पर समीक्षा में एफए की सहायता करना और बजट प्रभाग, डीईए को गैर-कर राजस्व प्राप्तियों का आकलन प्रस्तुत करना।

(4) <u>आंतरिक लेखापरीक्षा/निष्पादन लेखापरीक्षा:</u>

i. पीएसी, सीएंडएजी और आंतरिक लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा पैरा की समीक्षा करने और सहवर्ती अनुपालन/पाठ्यक्रम सुधार के लिए प्रशासनिक सचिव की अध्यक्षता वाली आंतरिक लेखापरीक्षा समिति के सदस्य सचिव के कर्तव्यों का निर्वहन करना।

ii. वे मुख्य लेखा प्राधिकारी या सीजीए के निर्देशानुसार मंत्रालयों/विभागों में विशेष लेखापरीक्षा करने के लिए जिम्मेदार हैं। सीसीए/सीए के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के तहत काम करने वाली आंतरिक लेखापरीक्षा विंग अनुपालन/नियामक लेखापरीक्षा की मौजूदा प्रणाली से आगे बढ़ेगी और निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगी:

क. सामान्य रूप से आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता और प्रभावशीलता का आकलन, विशेष रूप से वित्तीय प्रणालियों की सुदृढ़ता और वित्तीय और लेखांकन रिपोर्टों की विश्वसनीयता का आकलन;

ख. जोखिम कारकों की पहचान और निगरानी (परिणाम बजट/ओओएमएफ फ्रेमवर्क में शामिल कारकों सहित);

ग. लागत का उचित प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए सेवा वितरण तंत्र की दक्षता और प्रभावशीलता तथा अर्थव्यवस्थाका मूल्यांकन; और

घ. मिडकोर्स सुधार के लिए एक प्रभावी निगरानी प्रणाली प्रदान करना।

iii. स्कीमों का वित्तीय मूल्यांकन प्रस्तुत करना तथा नियमित आंतरिक लेखापरीक्षा के माध्यम से परियोजनाओं और स्कीमों की निगरानी करना।

iv. जहां कहीं आवश्यक हो, संगठनों में सरकारी लेनदेन के संबंध में मान्यता प्राप्त बैंकों, प्राधिकृत/अन्य बैंकों/सीपीपीसी और ई-एफपीबी सहित फोकल प्वाइंट बैंक शाखाओं की लेखापरीक्षा करना।

v. वार्षिक लेखापरीक्षा योजना और वार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षा समीक्षा तैयार करना सुनिश्चित करना।

उपरोक्त कार्य सीजीए द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए जाएंगे।

(5) **<u>लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और आईटी परियोजनाएं:</u>**

i. अंतिम स्तर की कार्यान्वयन एजेंसी/लाभार्थी तक निधियों के प्रवाह और भारत सरकार की केंद्रीय क्षेत्र/केन्द्र प्रायोजित/प्रत्यक्ष लाभ अंतरण स्कीमों के तहत इसके उपयोग पर नज़र रखने के उद्देश्य से समय पर, सटीक और उपयोगी वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए मंत्रालय और सीजीए कार्यालय के पीएफएमएस प्रभाग के साथ समन्वय सहित पीएफएमएस और इसके विभिन्न मॉड्यूल के उपयोग की निगरानी करना।

ii. सरकारी एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (जीआईएफएमआईएस) की स्थापना के लिए डेटा बेस और प्रक्रियाओं के एकीकरण का समन्वय करना।

iii. प्रणाली के दृष्टिकोण से वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के कामकाज में पेशेवर विशेषज्ञता प्रदान करना और इसे और अधिक प्रभावी बनाना।

iv. पीएफएमएस के एक्सेस नियंत्रण और अन्य संबंधित सुरक्षा पहलुओं के लिए जारी सुरक्षा दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करना और प्रणाली की नियमित निगरानी करके डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना।

v. सटीक व्यय रिपोर्टिंग के लिए केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लेखांकन बास्केट का सही मानचित्रण सुनिश्चित करना।

vi. पीएफएमएस में रिपोर्टों और सूचनाओं की नियमित समीक्षा करना तथा निर्णय लेने के लिए उसे कार्यपालिका के समक्ष प्रस्तुत करना।

vii. अपने-अपने मंत्रालयों में स्कीमों के प्रदर्शन से संबंधित रिपोर्टों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सभी रिपोर्टों और डैशबोर्ड की नियमित आधार पर निगरानी करना।

viii. एजेंसियों आदि के निष्क्रिय पंजीकरण का समय पर वीडिंग आउट सुनिश्चित करना।

(6) <u>व्यय एवं नकदी प्रबंधन :</u>

बजट प्रभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी नकदी प्रबंधन प्रणाली दिशानिर्देशों, मासिक व्यय योजना (एमईपी)/त्रैमासिक व्यय योजना (क्यूईपी) सीमाओं के अनुपालन के लिए मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय, 'जस्ट-इन टाइम' में स्वायत्त निकायों को निधि जारी करने के लिए टीएसए प्रणाली का कार्यान्वयन।

(7) <u>एफआरबीएम अधिनियम के तहत प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग आवश्यकताएं</u>:

संपूर्ण सरकार के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा संकलित समेकित विवरण में शामिल करने के लिए उनके मंत्रालय/विभाग के संबंध में एफआरबीएम अधिनियम के तहत आवश्यक प्रकटीकरण विवरण तैयार करने में सहायता करना।

(8) <u>परिसंपत्तियों और देनदारियों की निगरानी :</u>

परिसंपत्तियों और देनदारियों का व्यापक रिकार्ड बनाए रखनेऔर सरकारी गारंटियों की निगरानी के लिए मंत्रालयों/विभागों की सहायता करना ।

(9) <u>वित्त मंत्रालय और वित्तीय सलाहकार के बीच वार्ता</u>:

मुख्य लेखा नियंत्रक, सचिव (व्यय) के साथ वित्तीय सलाहकार (एफए) की त्रैमासिक बैठक के लिए आवश्यक सामग्री और सहायता प्रदान करेंगे तथा समय-समय पर एफए द्वारा अपेक्षित अन्य वित्तीय इनपुट भी उपलब्ध कराएंगे।

(10) <u>सामान्य प्रशासन एवं समन्वय</u>:

i. लेखा संगठन के विभागाध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करना तथा प्रशासन और स्थापना संबंधी कार्यों के लिए जिम्मेदार होना।

ii. नियुक्तिप्राधिकारी/अनुशासनात्मक प्राधिकारी के रूप में प्रयोग की जाने वाली सांविधिक शक्तियों के संदर्भ में उत्तरदायित्वों का निर्वहन।

बैंकिंग व्यवस्था

लेखांकन (अकाउंटिंग) के भुगतान का फ्लो डायग्राम

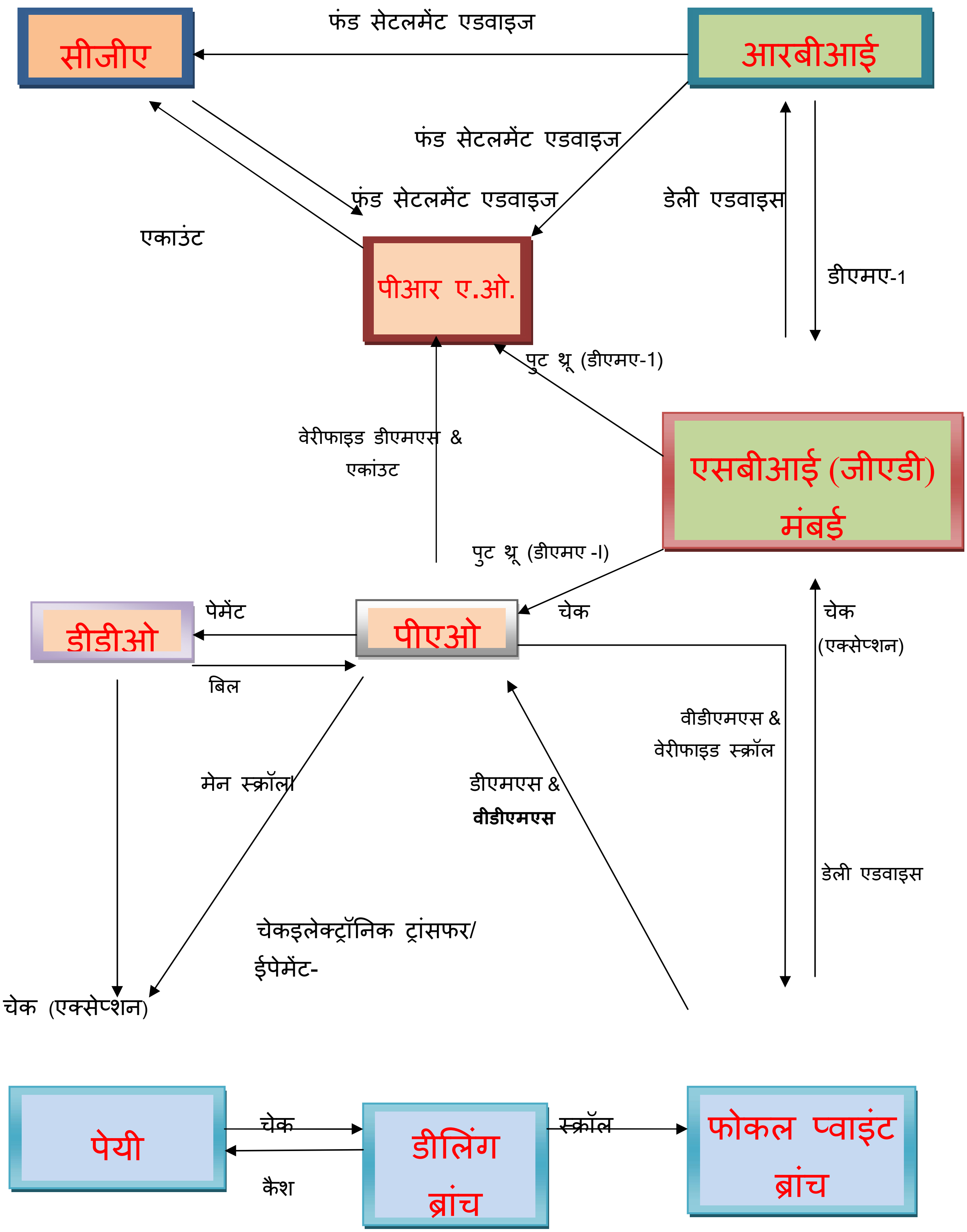

एक्जीबिट- 'ए'

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में लेखांकन संगठन सेटअप

सचिव
(सूचना और प्रसारण मंत्रालय)
मुख्य लेखा प्राधिकारी

लेखा महानियंत्रक
(वित्त मंत्रालय)

अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार

मुख्य लेखा नियंत्रक

लेखा नियंत्रक

उप लेखा नियंत्रक

सहायक लेखा नियंत्रक

पीआरएओ (प्रशासन)

पीआरएओ (बजट एवं लेखा)

पीआरएओ (आंतरिक लेखापरीक्षा)

1) पीएओ (एमएस) नई दिल्ली
2) पीएओ (सीबीसी) नई दिल्ली पूर्ववर्ती पीएओ)बीओसी आदि(
3) पीएओ (आईआरएलए) नई दिल्ली
4) पीएओ (डीडी) नागपुर
5) पीएओ (एफडी) मुंबई
6) पीएओ (डीडी) चेन्नई
7) पीएओ (एआईआर) लखनऊ
8) पीएओ (डीडी) कोलकाता
9) पीएओ (डीडी) नई दिल्ली
10) पीएओ (डीडी) गुवाहाटी
11) पीएओ (एआईआर) चेन्नई
12) पीएओ (एआईआर) कोलकाता
13) पीएओ (एआईआर) मुंबई
14) पीएओ (एआईआर) नई दिल्ली
15) 21 वरिष्ठ लेखा अधिकारी विभिन्न आरओबी (आरओ) में एनसीडीडीओ/सीडीडीओ और आईएफए में एडीजी के रूप में कार्यरत हैं।

एक्जीबिट- 'बी'

लेखांकन सूचना का प्रवाह

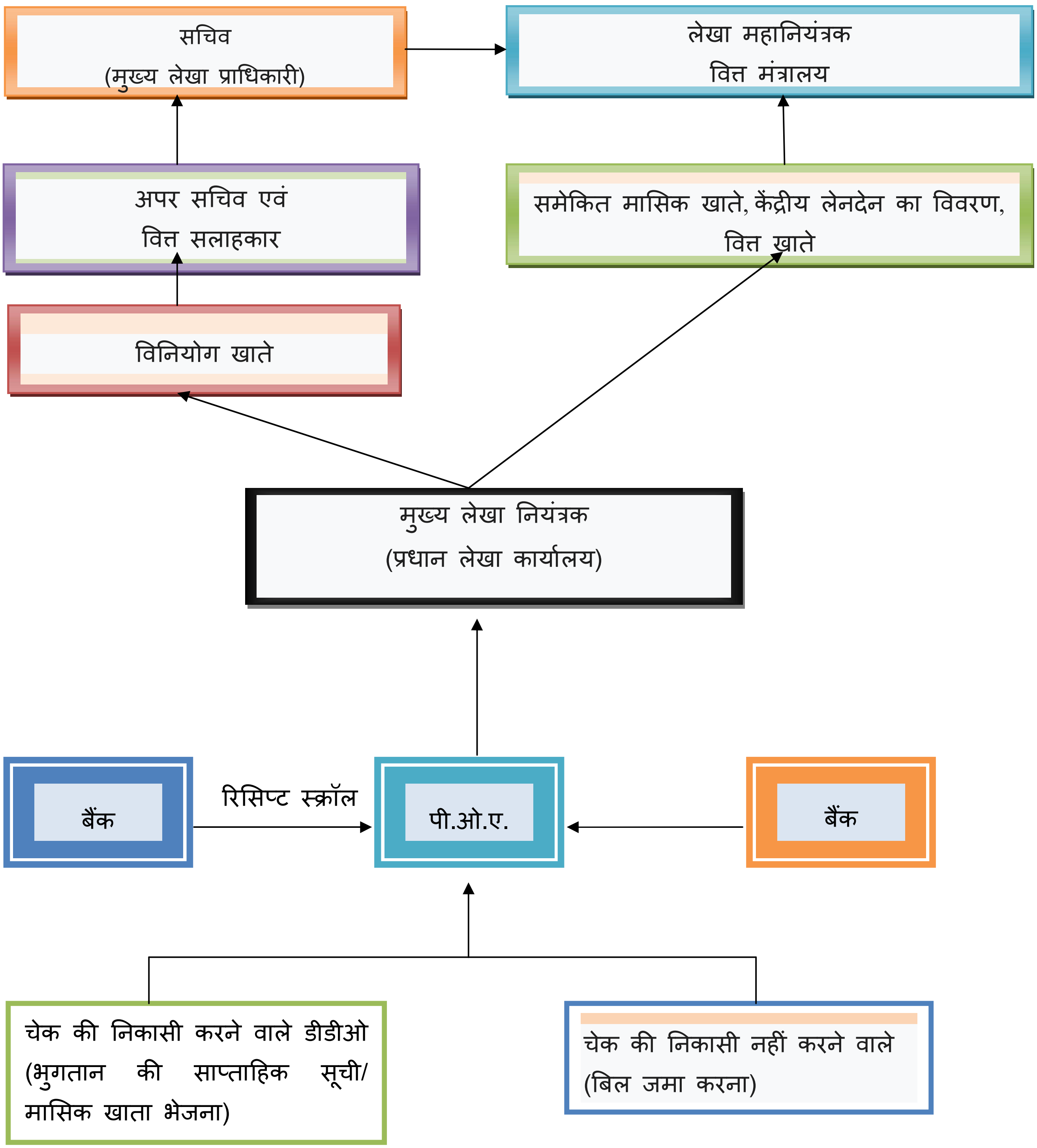

अध्याय - 3

सरकारी खाते

लेखा तैयार करना और प्रस्तुत करना:

केंद्र सरकार के लेखे हर साल तैयार किए जाएंगे, जिसमें वर्ष के लिए प्राप्तियां और संवितरण, वर्ष के दौरान उत्पन्न अधिशेष या घाटा और सरकारी देनदारियों और परिसंपत्तियों में परिवर्तन शामिल होंगे। लेखे लेखा महानियंत्रक द्वारा तैयार किए जाएंगे और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे। इन लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को, अधिमानतः वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने के भीतर सौंपी जाएगी, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेंगे।

लेखाओं का स्वरूप:

संविधान के अनुच्छेद 150 के उपबंधों के आधार पर, केंद्र सरकार के लेखे को ऐसे रूप में रखा जाएगा जैसा राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह पर निर्धारित कर सकते हैं।

वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) में लेखा महानियंत्रक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर, भारत के राष्ट्रपति की ओर से संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप निर्धारित करने तथा उससे संबंधित नियमों और नियमावलियों को बनाने या संशोधित करने के लिए उत्तरदायी है।

लेखांकन के सिद्धांत:

भारत सरकार के लेखाओं को बनाए रखने के मुख्य सिद्धांत सरकारी लेखा नियम, 1990; कोषागारों के लिए लेखा नियम; तथा लेखा संहिता खंड-III में निहित हैं। डाक विभाग तथा अन्य तकनीकी विभागों के अधिकारियों द्वारा रखे जाने वाले तथा प्रस्तुत किए जाने वाले आरंभिक तथा सहायक लेखाओं के प्रारूपों से संबंधित विस्तृत नियम तथा अनुदेश संबंधित लेखा मैनुअल या संबंधित विभाग से संबंधित विभागीय विनियमों में दिए गए हैं।

नकदी आधारित लेखांकन:

सरकारी लेखे नकद आधार पर तैयार किए जाएंगे। सरकारी लेखा नियम, 1990 या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिकृत ऐसे बही समायोजनों के एक्सेपशन के साथ, सरकारी लेखाओं में लेन-देन एक वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तविक नकद प्राप्तियों और संवितरणों को दर्शाएगा, जो उसी अवधि के दौरान सरकार को या सरकार द्वारा देय राशि से अलग होगा।

लेखा अवधि:

केन्द्रीय सरकार के वार्षिक लेखों में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाले लेन-देन का रिकॉर्ड होगा।

लेखा किस मुद्रा में रखे जाते हैं:

सरकार के लेखा भारतीय रुपये में रखे जाएंगे। सभी विदेशी मुद्रा लेनदेन और विदेशी सहायता को भारतीय रुपये में परिवर्तित करने के बाद ही लेखा में लाया जाएगा।

लेखाओं के मुख्य प्रभाग और संरचना:

सरकार के लेखे तीन भागों अर्थात समेकित निधि (भाग-I), आकस्मिकता निधि (भाग-II) और लोक लेखा (भाग-III) में रखे जाएंगे ।

भाग I - समेकित निधि को दो प्रभागों अर्थात 'राजस्व' और 'पूंजी' प्रभाग में विभाजित किया गया है। राजस्व प्रभाग में निम्नलिखित अनुभाग शामिल हैं:

'प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा)' कराधान की आय और राजस्व के रूप में वर्गीकृत अन्य प्राप्तियों से संबंधित है और 'व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)' अनुभाग उससे मिलने वाले राजस्व व्यय से संबंधित है। पूंजी प्रभाग में तीन अनुभाग शामिल हैं, अर्थात 'प्राप्ति शीर्ष (पूंजी लेखा)', 'व्यय शीर्ष (पूंजी लेखा)' और सार्वजनिक ऋण, ऋण और अग्रिम, आदि। इन अनुभागों को 'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं', आर्थिक सेवाएं' आदि जैसे क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जिसके तहत विशिष्ट कार्यों या सेवाओं को योजना वर्गीकरण के क्षेत्रों के अनुरूप समूहीकृत किया जाता है और जिन्हें प्रमुख शीर्षों (जहां आवश्यक हो, उप-प्रमुख शीर्षों सहित) द्वारा दर्शाया जाता है।

भाग II - आकस्मिकता निधि, संविधान के अनुच्छेद 267 या संघ राज्य क्षेत्र सरकार अधिनियम 1963 की धारा 48 के तहत भारत सरकार द्वारा स्थापित आकस्मिकता निधि से जुड़े दर्ज किए गए लेनदेन हैं। लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए एक ही प्रमुख शीर्ष होगा इसके अंतर्गत, जिसके बाद लघु, उप और/या विस्तृत शीर्ष होंगे।

भाग III - लोक लेखा, ऋण से संबंधित लेनदेन (भाग- I में शामिल के अलावा), आरक्षित निधि, जमा, अग्रिम, उचंत, प्रेषण और नकद शेष दर्ज किए जाएंगे।

सरकारी लेखाओं में लेनदेन का वर्गीकरण:

एक सामान्य नियम के रूप में, सरकारी लेखाओं में लेन-देन का वर्गीकरण, सरकार के कार्यों, कार्यक्रमों और कार्यकलापों तथा राजस्व या व्यय के निकट उद्देश्य से होगा, न कि उस विभाग के अनुसार जिसमें आय या व्यय होता है।

मुख्य शीर्ष (जहाँ आवश्यक हो, उप-मुख्य शीर्षों को शामिल करते हुए) को लघु शीर्षों में विभाजित किया जाता है। लघु शीर्षों में कई अधीनस्थ शीर्ष हो सकते हैं, जिन्हें आम तौर पर उप-शीर्ष के रूप में जाना जाता है। उप-शीर्षें को आगे विस्तृत शीर्षों में विभाजित किया जाता है, जिसके बाद वस्तु शीर्ष होते हैं।

व्यय शीर्षों के सेक्टर के अंतर्गत आने वाले मुख्य लेखा शीर्ष आम तौर पर सरकार के कार्यों से संबंधित होते हैं, जबकि लघु शीर्ष मुख्य शीर्षों द्वारा दर्शाए गए कार्यों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्यक्रमों की पहचान करते हैं। उप-शीर्ष योजनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, विस्तृत शीर्ष उप-योजनाओं को दर्शाता है और वस्तु शीर्ष वेतन और मजदूरी, कार्यालय व्यय, यात्रा व्यय, पेशेवर सेवाएँ, सहायता अनुदान आदि जैसे व्यय की आर्थिक प्रकृति को दर्शाते हुए विनियोग की प्राथमिक इकाई का प्रतिनिधित्व करता है। उपरोक्त छह स्तरों को एक अनन्य 15-अंकीय संख्यात्मक कोड द्वारा दर्शाया जाता है।

लेखा का नया शीर्ष खोलने का प्राधिकार:

संघ और राज्य के मुख्य और लघु लेखा शीर्षों की सूची वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग-भारत के महालेखा नियंत्रक) द्वारा रखी जाती है,जो संविधान के अनुच्छेद 150 की शक्तियों के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह पर एक नया लेखा शीर्ष खोलने के लिए प्राधिकृत है। इसमें लेखाओं के शीर्ष खोलने के लिए सामान्य दिशा-निर्देश शामिल हैं (और उनमें से कुछ के तहत कुछ उप/विस्तृत शीर्ष भी खोले जाने के लिए प्राधिकृत हैं)।

मंत्रालय/विभाग वित्त मंत्रालय के बजट प्रभाग के परामर्श से आवश्यकतानुसार उप-शीर्ष और विस्तृत शीर्ष खोल सकते हैं। उनका प्रधान लेखा कार्यालय उपरोक्त शर्तों के अध्यधीन भारत के सार्वजनिक लेखे के अंतर्गत आने वाले लघु शीर्षों के तहत आवश्यक उप/विस्तृत शीर्ष खोल सकता है।

वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियमों के नियम 8 के तहत भारत सरकार के आदेशों के तहत वस्तु शीर्ष निर्धारित किए गए हैं। इन वस्तु शीर्षों में संशोधन या संशोधन करने और नए वस्तु शीर्ष

खोलने की शक्ति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह पर वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के पास है।

वर्गीकरण के नियमों के साथ बजट शीर्षों की अनुरूपता:

सरकार द्वारा तैयार किए गए प्राप्तियों और व्यय के अनुमानों या किसी विनियोग आदेश में प्रदर्शित बजट शीर्ष वर्गीकरण के निर्धारित नियमों के अनुरूप होंगे।

विभागीय अधिकारी का उत्तरदायित्व:

सरकारी देय राशि की वसूली या सरकारी धन के व्यय के लिए उत्तरदायी प्रत्येक अधिकारी को यह देखना होगा कि प्राप्तियों और व्यय के उचित लेखे, जैसा भी मामला हो, को ऐसे प्रारूप में बनाए रखा जाए जैसा कि सरकार के वित्तीय लेनदेन के लिए निर्धारित किया गया हो, जिसके साथ वह संबंधित है और वह सरकार, नियंत्रण अधिकारी या लेखा अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा अपेक्षित ऐसे सभी लेखाओं और उनसे संबंधित रिटर्न को सटीक और शीघ्रता से प्रस्तुत करे।

आहरण अधिकारी द्वारा सभी बिलों और चालानों में वर्गीकरण दर्ज किया जाना चाहिए:

आहरण अधिकारियों द्वारा उनके द्वारा आहरित सभी बिलों पर उपयुक्त वर्गीकरण दर्ज किया जाएगा। इसी प्रकार, सरकारी धन को बैंक में जमा करने वाले चालानों पर वर्गीकरण को सरकारी बकाया आदि के संग्रह के लिए उत्तरदायी विभागीय अधिकारियों द्वारा दर्शाया या दर्ज किया जाएगा। जिन शीर्षों के तहत लेनदेन का हिसाब लगाया जाना चाहिए, उनके बारे में संदेह के मामलों में, मामले को जहां भी आवश्यक हो, वित्त मंत्रालय और लेखा महानियंत्रक के स्पष्टीकरण के लिए संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रधान लेखा अधिकारी को संदर्भित किया जाएगा।

प्रभारित या दत्तमत व्यय:

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112(3) के अंतर्गत आने वाला व्यय भारत की संचित निधि पर लगाया जाता है और विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं होता है। भारत की संचित निधि से किए गए अन्य सभी व्यय को दत्तमत व्यय माना जाता है। प्रभारित या दत्तमत व्यय को लेखाओं के साथ-साथ बजट दस्तावेजों में भी अलग से दिखाया जाएगा।

पूंजीगत या राजस्व व्यय:

मूर्त संपत्ति या स्थायी प्रकृति (संगठन में उपयोग के लिए और व्यवसाय के सामान्य संचालन में बिक्री के लिए नहीं) अर्जित करने या मौजूदा परिसंपत्तियों की उपयोगिता बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए महत्वपूर्ण व्यय को मोटे तौर पर पूंजीगत व्यय के रूप में परिभाषित किया जाएगा। रखरखाव, मरम्मत,

संभाल और कामकाजी खर्चों पर बाद के प्रभार, जो परिसंपत्तियों को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, साथ ही संगठन के दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए किए गए अन्य सभी व्यय, जिसमें स्थापना और प्रशासनिक व्यय शामिल हैं, को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। लेखाओं में पूंजीगत और राजस्व व्यय को अलग-अलग दिखाया जाएगा।

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस):

1) सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), भारत सरकार के लेखा महानियंत्रक की एक एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का उपयोग स्वीकृति तैयार करने, बिल संसाधन, भुगतान, रसीद प्रबंधन, प्रत्यक्ष लाभ ट्रांसफर, निधि प्रवाह प्रबंधन (फंड फ्लो) और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए किया जाएगा।
2) सहायता अनुदान को मंजूरी देने वाले सभी मंत्रालय निधि प्रवाह और अव्ययित शेष को ट्रैक करने के लिए पीएफएमएस पर कार्यान्वयन के अंतिम स्तर तक सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को पंजीकृत करेंगे।
3) जहां तक संभव हो, सभी भुगतान मंत्रालयों द्वारा पीएफएमएस के माध्यम से 'जस्ट-इन-टाइम' जारी किए जाएंगे।
4) विस्तृत अनुदान मांगें (डीडीजी), जैसा कि अनुमोदित है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में पीएफएमएस पर अपलोड की जानी चाहिए।
5) सभी पुनर्विनियोग आदेश, अभ्यर्पण आदेश पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से सृजित किये जायेंगे।
6) सभी अनुदान प्राप्तकर्ता संस्थान पीएफएमएस पर उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे।

वार्षिक लेखा

केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा वार्षिक लेखा तैयार किया जाता है। इसमें विनियोग लेखा और वित्त लेखा शामिल है। विनियोग लेखा चार चरणों में तैयार किया जाता है जिसमें बजट, सरेंडर, बचत और पुन: विनियोग आदेशों को दर्शाया जाता है।

विनियोग लेखा:

केंद्रीय मंत्रालयों (रेल मंत्रालय के अलावा) और केंद्रीय सिविल विभागों (डाक विभाग और रक्षा सेवाओं को छोड़कर) के विनियोग लेखे संबंधित मंत्रालयों और विभागों के प्रधान लेखा कार्यालय (लेखा महानियंत्रक के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अधीन) और उनके संबंधित मुख्य लेखा प्राधिकारियों अर्थात् संबंधित मंत्रालयों या विभागों के सचिवों द्वारा हस्ताक्षरित कर तैयार किए जाएंगे। संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले संघ सरकार के विनियोग लेखे (सिविल) उपरोक्त विनियोग लेखाओं को समेकित करके लेखा महानियंत्रक द्वारा प्रतिवर्ष तैयार किए जाएंगे।

वित्त लेखा:

भारत सरकार के वार्षिक लेखे, जो (डाक विभाग और रक्षा और रेलवे मंत्रालयों के लेनदेन और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के भारत के लोक लेखे के तहत लेनदेन सहित), संबंधित शीर्षों के तहत संघ के प्रयोजन के लिए वार्षिक प्राप्तियां और संवितरण दिखाते हैं, को वित्त लेखा कहा जाता है, और इन्हें लेखा महानियंत्रक द्वारा तैयार किया जाएगा।

वार्षिक लेखाओं की प्रस्तुति:

उपर्युक्त विनियोग और वित्त लेखे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के साथ परस्पर सहमत तिथि पर संबंधित प्राधिकारियों द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में, तैयार किए जाएंगे और उन्हें इसका प्रमाण-पत्र दर्ज करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। प्रमाणित वार्षिक लेखे और लेखाओं से संबंधित रिपोर्टें भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 11 और भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खंड (1) के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाएंगी।

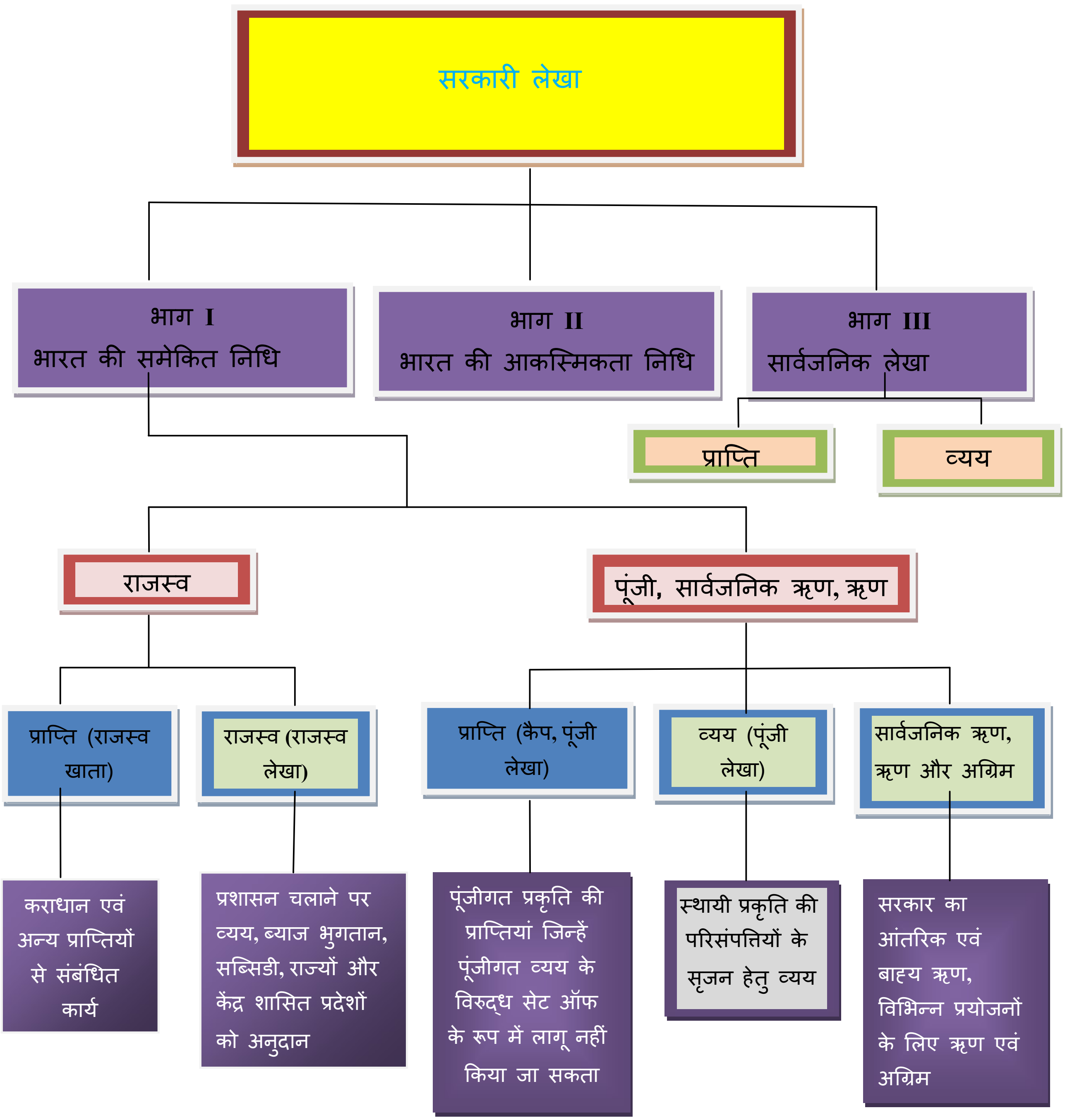
सरकारी लेखा
भाग I
भारत की समेकित निधि
भाग II
भारत की आकस्मिकता निधि
भाग III
सार्वजनिक लेखा
प्राप्ति
व्यय
राजस्व
पूंजी, सार्वजनिक ऋण, ऋण
प्राप्ति (राजस्व खाता)
राजस्व (राजस्व लेखा)
प्राप्ति (कैप, पूंजी लेखा)
व्यय (पूंजी लेखा)
सार्वजनिक ऋण, ऋण और अग्रिम
कराधान एवं अन्य प्राप्तियों से संबंधित कार्य
प्रशासन चलाने पर व्यय, ब्याज भुगतान, सब्सिडी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अनुदान
पूंजीगत प्रकृति की प्राप्तियां जिन्हें पूंजीगत व्यय के विरुद्ध सेट ऑफ के रूप में लागू नहीं किया जा सकता
स्थायी प्रकृति की परिसंपत्तियों के सृजन हेतु व्यय
सरकार का आंतरिक एवं बाह्य ऋण, विभिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण एवं अग्रिम

लेखांकन परिचालन – एक अवलोकन

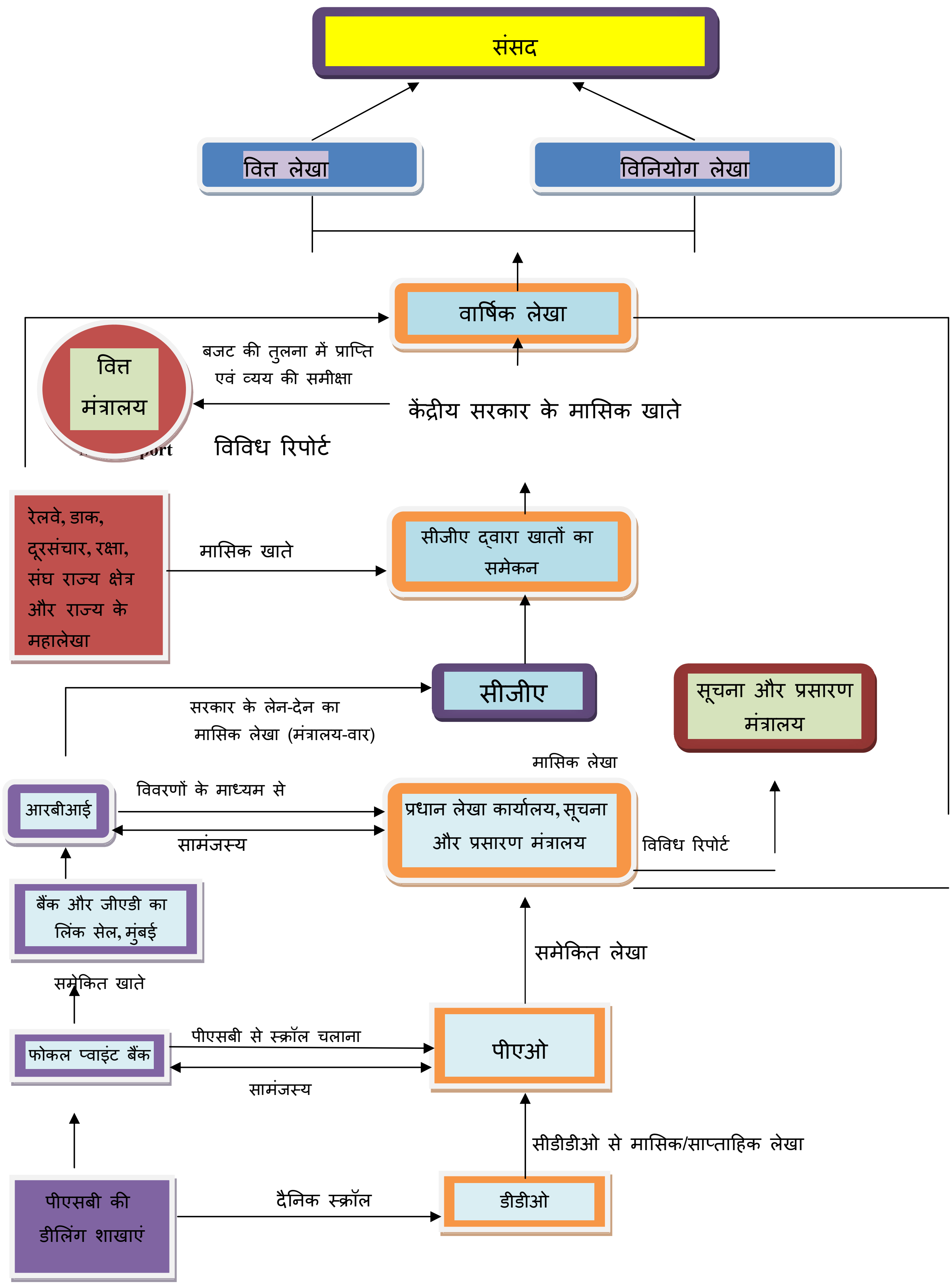

अध्याय - **4**

लेखा संबंधी मुख्य बातें

वर्ष 2023-24 **के दौरान भारत की संचित निधि में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की कुल प्राप्तियां** ₹1214.90 **करोड़ थीं। इसमें राजस्व लेखे से** ₹1214.36 **करोड़ और ऋण एवं अग्रिम से** ₹0.54 **करोड़ शामिल हैं।**

कुल राजस्व प्राप्तियों में ₹48.97 **करोड़ सकल कर राजस्व और** ₹1165.39 **करोड़ सकल गैर-कर राजस्व शामिल है**, **जिसमें इस मंत्रालय की** ₹10 25.82 **करोड़ की गैर-कर प्राप्तियां शामिल हैं।**

2023-24 *के दौरान कुल प्राप्तियां*	
	(करोड़ ₹ में)
कुल प्राप्तियां	**1214.90**
(क) राजस्व प्राप्तियां **(i)** कर राजस्व **(ii)** गैर-कर राजस्व (लाइसेंस शुल्क और सीजीएचएस सदस्यता आदि के कारण प्राप्त राशि सहित)	 48.97 1165.39
(ख) पूंजी प्राप्तियां **(i)** ऋणों की वसूली	 0.54

(स्रोत: केंद्रीय लेनदेन विवरण 2023-24)

2023-24 के दौरान कुल प्राप्तियों की ग्राफ़िकल प्रस्तुति

(करोड़ ₹ में)

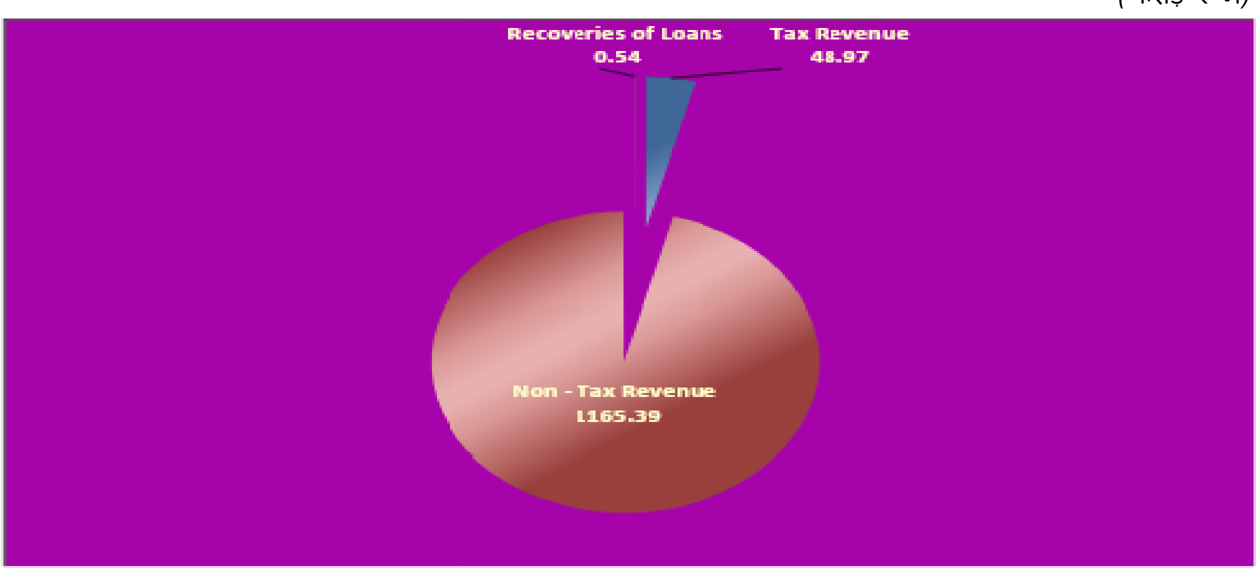

2023-24 के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय की प्राप्तियों का विश्लेषण

प्राप्तियों में प्रमुख योगदान निम्नलिखित था: - *(करोड़ ₹ में)*

क्र. सं.	लेखा का मुख्य शीर्ष	धनराशि
(क)	0021 - निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर	48.97
(ख)	0049 - ब्याज प्राप्तियां	0.71
(ग)	0050 – लाभांश और लाभ	0.61
(घ)	0070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	0.01
(ङ)	0071 - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अंशदान और वसूली	129.16
(च)	0075 - विविध सामान्य सेवाएँ	0.23
(छ)	0202 - शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	15.13
(ज)	0210 - चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य- (सीजीएचएस सदस्यता))	7.07
(झ)	0216 - आवास - (लाइसेंस शुल्क)	1.78
(ञ)	0220 - सूचना और प्रसार	37.76
(ट)	0221 - प्रसारण	972.93
(ठ)	7610 - सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण।	0.54
कुल		**1214.90**

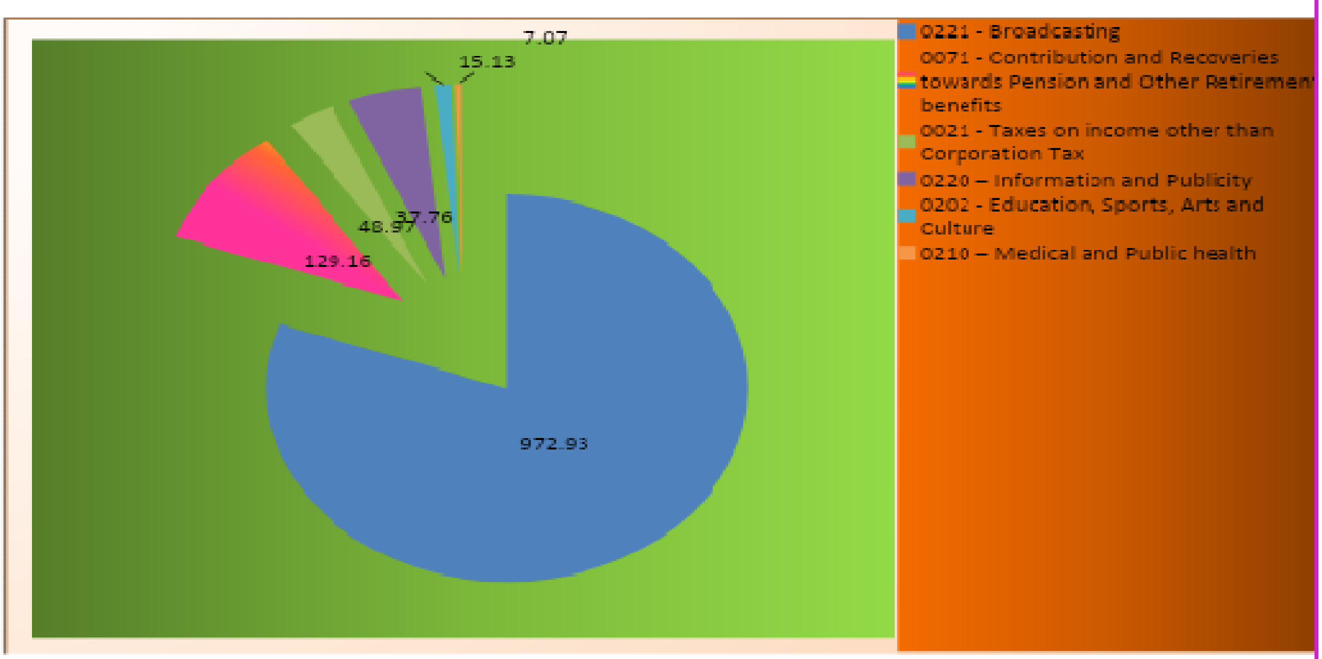

विनियोग लेखे

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुदान संख्या 61 **के अंतर्गत वार्षिक विनियोग लेखे** 2023-24, **राजस्व अनुभाग और पूंजी अनुभाग में मतदानित व्यय से संबंधित है।**

₹4700.05 **करोड़ के कुल बजट प्राक्कलन की तुलना में, विनियोग लेखे में दर्शाए अनुसार कुल व्यय** ₹4314.24 **करोड़ है तथा अनुदान संख्या** 61 **के दत्तमत भाग में** ₹385.81 **करोड़ की शुद्ध बचत है।**

(करोड़ ₹ में)

अनुदान सं./ विनियोग सं.	बजट प्राक्कलन	अनुपूरक/अतिरिक्तता	अनुपूरक के बाद कुल बजट प्राक्कलन	दत्तमत व्यय	बचत (-) अतिरिक्त (+)
61	4692.00	8.05	4700.05	4314.24	-385.81

(स्रोत: विनियोग लेखा 2023-24)

विनियोग लेखे सरकार स्वीकृत अनुदान राशि के व्यय की तुलना में सरकार के व्यय को दर्शाते हैं। संसद द्वारा पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजनों के लिए विनियोग। ये लेखे संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं, और इसका उद्देश्य यह दर्शाना होता है:

क. यह कि उसमें संवितरित की गई धनराशि उस सेवा या उद्देश्य के लिए कानूनी रूप से उपलब्ध और लागू थी जिसके लिए उन्हें लागू किया गया था या प्रभारित किया गया था;

ख. व्यय उस प्राधिकारी के अनुरूप है जो इसे नियंत्रित करता है;

ग. मंत्रालय, विभाग द्वारा जारी सभी पुनर्विनियोजन, अभ्यर्पण आदेशों का प्रभाव सम्मिलित किया जाता है ।

अनुदान संख्या 61 के संबंध में विनियोग लेखे मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा तैयार किए जाते हैं और महालेखा नियंत्रक/प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक, डीजीए (सीई) को भेजे जाते हैं ।

विनियोग लेखाओं की मुख्य विशेषताएं (2023-24)

(करोड़ ₹ में)

प्रमुख शीर्ष	बजट प्राक्कलन	पुनर्विनियोजन/ प्राक्कलन के बाद कुल बजट अनुमान	व्यय	अतिरिक्त (+) बचत (-)
2251 – सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	110.56	111.81	105.51	-6.29
2205 – कला और संस्कृति	27.99	46.25	41.89	-4.36
2220 – सूचना और प्रसार	1063.75	1256.57	1229.49	-27.07
2221 - प्रसारण	3348.36	2952.89	2899.79	-53.10
2552 – पूर्वोत्तर क्षेत्र	110.50	-	-	-
वर्ष के दौरान अभ्यर्थित की गई राशि	-	293.69	-	293.69
राजस्व खंड (I)	4661.16	4661.21	4276.68	-384.53
4220 – सूचना और प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	30.84	38.84	37.55	-1.28
वर्ष के दौरान अभ्यर्थित की गई राशि	-	-	-	-
पूंजी खंड (II)	30.84	38.84	37.55	-1.28
कुल (I + II)	**4692.00**	**4700.05**	**4314.24**	**-385.81**

(स्रोत: विनियोग लेखा 2023-24)

2023-24 के दौरान उप-शीर्षवार व्यय
सूचना और प्रसारण मंत्रालय (अनुदान संख्या 61)

(₹ करोड़ में

क्र. सं.	उप शीर्ष	बजट प्राक्कलन (बी.ई.)	कुल बजट प्राक्कलन (टी.बी.ई.) पूरक/पुनर्विनियोजन के बाद	कुल व्यय	बजट प्राक्कलन से अधिक व्यय का %	टी.बी.ई. से अधिक व्यय का %
	मुख्य शीर्ष "2251" सचिवालय- सामाजिक सेवाएं					
1	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	110.56	111.81	**105.51**	95.43%	94.37%
	कुल मुख्य शीर्ष "2251"	110.56	111.81	**105.51**	95.43%	94.37%
	प्रमुख शीर्षक "2205" – कला और संस्कृति					
1	केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	27.99	46.25	**41.89**	149.66%	90.57%
	कुल प्रमुख शीर्ष "2205"	27.99	46.25	**41.89**	149.66%	90.57%
	प्रमुख शीर्षक "2220" – सूचना और प्रचार					
1	एफटीआईआई, पुणे	64.75	73.27	**70.64**	109.10%	96.41%
2	एसआरएफटीआई, कोलकाता	95.13	59.17	**59.17**	62.20%	100.00%
3	फिल्म सामग्री का विकास, संचार और प्रसार (डीसीडीएफसी)	244.24	324.24	**314.12**	128.61%	96.88%
4	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी)	20.38	23.37	**23.37**	114.67%	100.00%
5	भारतीय जनसंचार संस्थान	44.67	36.00	**35.90**	80.37%	99.72%
6	न्यू मीडिया विंग (पूर्ववर्ती आरआरएंडटीडी)	1.76	1.91	**1.74**	98.86%	91.10%
7	केंद्रीय संचार ब्यूरो (पूर्ववर्ती बीओसी)	200.08	186.40	**182.59**	91.26%	97.96%
8	विकास संचार और सूचना प्रसार (डीसीआईडी)	180.00	353.52	**347.52**	193.07%	98.30%
9	पत्र सूचना कार्यालय	108.64	105.80	**103.82**	95.56%	98.13%
10	अन्य सामाग्री	18.21	9.98	**9.27**	50.91%	92.89%
11	भारत के समाचारपत्र के पंजीयक का कार्यालय	12.36	10.35	**10.23**	82.77%	98.84%
12	प्रकाशन प्रभाग	50.90	54.25	**53.68**	105.46%	98.95%
13	भारत में सामुदायिक रेडियो अभियान का समर्थन	4.50	5.00	**4.24**	94.22%	84.80%
14	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र	16.06	12.94	**12.87**	80.14%	99.45%
15	संचार के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आईपीडीसी) में योगदान	0.0001	--	**--**	0.00%	--

.

16	एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान (एआईबीडी) की वार्षिक सदस्यता का भुगतान	0.32	0.34	**0.32**	100.00%	94.12%
17	एसोसिएशन ऑफ मूविंग इमेजेस आर्किविस्ट्स (एएमआईए) की वार्षिक सदस्यता का भुगतान	0.004	0.004	**0.004**	100.00%	100.00%
18	एनएफएआई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख संगठनों की सदस्यता में योगदान	0.03	0.03	**0.02**	66.67%	66.67%
19	प्राइवेट एफएम रेडियो स्टेशन	1.72	-	-	0.00%	0.00%
	कुल प्रमुख शीर्ष "2220"	**1063.75**	**1256.57**	**1229.49**	**115.58%**	**97.84%**
	प्रमुख प्रमुख "2221" - प्रसारण					
1	प्रसार भारती	2808.36	2576.90	**2554.41**	90.96%	99.13%
2	प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास (बीआईएनडी)	540.00	375.99	**345.38**	63.96%	91.86%
	कुल प्रमुख शीर्ष "2221"	**3348.36**	**2952.89**	**2899.79**	**86.60%**	**98.20%**
	मुख्य शीर्ष "2552"-उत्तर पूर्वी क्षेत्र	110.50	-	**--**	--	--
	कुल प्रमुख शीर्ष "2552"	110.50	-	**--**	**--**	**--**
	मुख्य शीर्ष "4220" सूचना और प्रचार पर पूंजीगत व्यय					
1	मशीनरी और उपकरण: फिल्मी सामग्री का विकास संचार और प्रसार (डीसीडीएफसी)	1.10	1.10	**1.10**	100.00%	100.00%
2	अन्य खंड: फिल्मी सामग्री का विकास संचार और प्रसार (डीसीडीएफसी)	24.66	24.66	**24.66**	100.00%	100.00%
3	सचिवालय	0.19	1.73	**1.72**	905.26%	99.42%
4	संबंधित कार्यालय	4.87	10.13	**9.41**	193.22%	92.89%
5	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र	0.02	1.22	**0.66**	3300%	54.10%
	कुल मुख्य शीर्ष "4220"	**30.84**	**38.84**	**37.55**	**121.76%**	**96.68%**
	अनुदान के अंतर्गत अभ्यर्थन या निकासी	--	**293.69**	--	--	--
	कुल सूचना और प्रसारण मंत्रालय	**4692.00**	**4700.05**	**4314.24**	**91.95%**	**91.79%**

(स्रोत: ई-लेखा/ विनियोग लेखा 2023-24)

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निधि प्रवाह विवरण

(करोड़ ₹ में)

प्राप्तियां (क्रेडिट)	राशि	राशि संवितरण (डीआर)	राशि
भारत की संचित निधि		भारत की संचित निधि	
I. राजस्व	**1214.36**	I. राजस्व	**5986.52**
1. कर राजस्व	48.97	सामान्य सेवाएँ	1245.72
2. गैर कर राजस्व	1165.39	सामाजिक सेवाएँ	4607.10
(क) ब्याज प्राप्तियां, लाभांश और लाभ	1.32	आर्थिक सेवाएँ	133.70
(ख) अन्य प्राप्तियां	1164.07		
II. पूंजी प्राप्तियां	**0.54**	II. पूंजी	**37.96**
(क) ऋण वसूली	0.54	पूंजीगत व्यय	
		सामाजिक सेवाएं	37.55
		ऋण और अग्रिम	0.41
कुल सी.एफ.आई.(**I+II**)	**1214.90**	कुल सी.एफ.आई.(**I+II**)	**6024.48**
लोक लेखा		लोक लेखा	
भविष्य निधि	642.80	भविष्य निधि	828.15
अवधि एवं अग्रिम	365.17	अवधि एवं अग्रिम	81.74
धनप्रेषण, आरक्षित निधि उचंत एवं विविध	6522.41	धनप्रेषण, आरक्षित निधि उचंत एवं विविध	1810.91
कुल लोक खाता	**7530.38**	कुल लोक खाता	**2720.79**
कुल प्राप्तियां	**8745.28**	कुल संवितरण	**8745.28**

(स्रोत : केंद्रीय लेनदेन विवरण 2023-24)

(नोट: - उपरोक्त तालिका में अन्य मंत्रालयों द्वारा नियंत्रित समग्र अनुदानों से संबंधित आंकड़े शामिल हैं, जैसे पेंशन, सरकारी कर्मचारियों को ऋण, ब्याज भुगतान, आदि)

निधियों की प्राप्ति और संवितरण

(2023-24)

प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

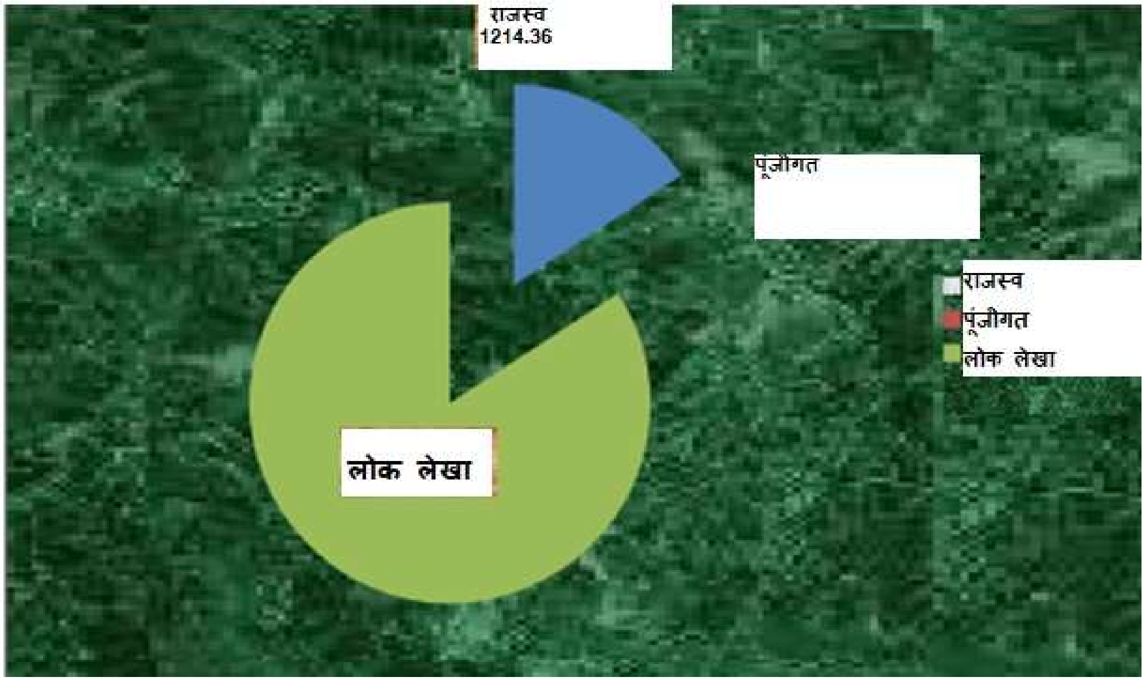

संवितरण

(करोड़ ₹ में)

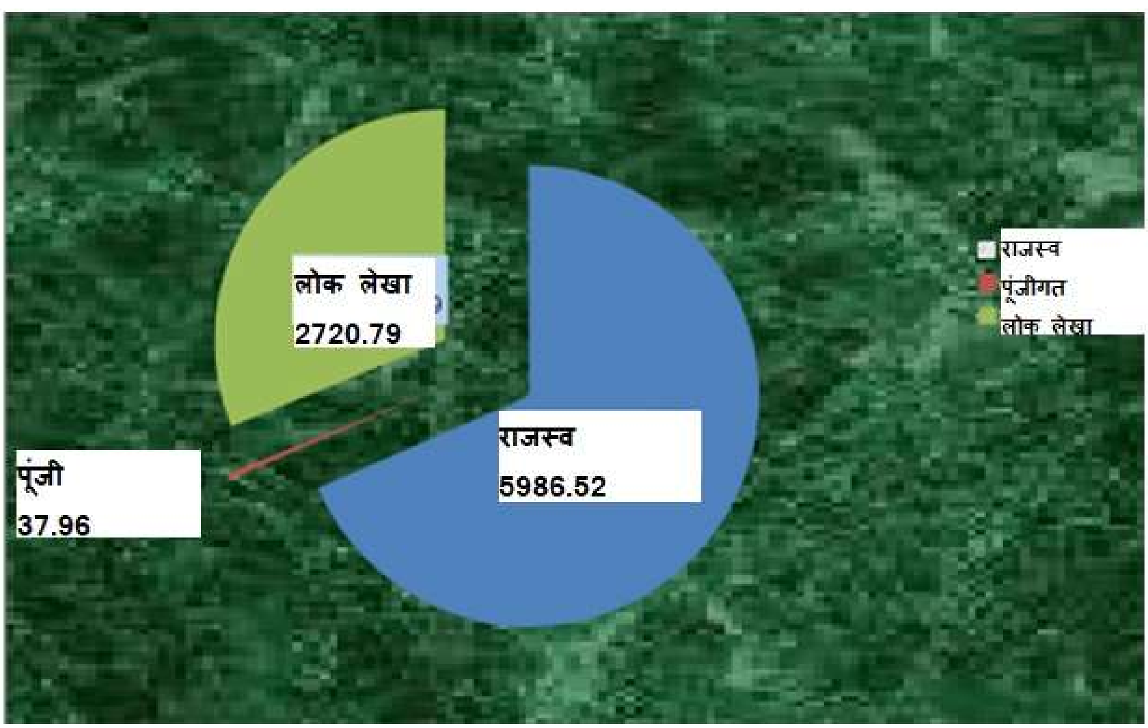

अध्याय- **5**

अनुदान विश्लेषण

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुदान संख्या 61 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय का बजट प्रदान किया गया।

अनुदान संख्या 61 सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित है और मुख्य तौर पर तीन क्षेत्रों अर्थात सूचना क्षेत्र, फिल्म क्षेत्र और प्रसारण क्षेत्र में व्यय से संबंधित है।

वर्ष 2023-24 के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय का कुल व्यय ₹4314.24 करोड़ होगा।

कुल व्यय 4314.24 करोड़ रुपए

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का बजट, वसूली और व्यय

वित्तीय वर्ष 2023-24

(करोड़ ₹ में

बजट प्राक्कलन	अनुपूरक/ अतिरिक्तता	अनुपूरक के पश्चात कुल बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	विचलन*
4692.00	**8.05**	**4700.05**	**4314.24**	**-385.81**

*अनुपूरक के पश्चात कुल बजट अनुमान से तुलना।

वस्तु शीर्ष-वार बजट बनाम व्यय 2023-24

अनुदान संख्या 61 (सूचना और प्रसारण मंत्रालय)

(करोड़ ₹ में)

वस्तु शीर्ष	लेखा का विवरण	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	व्यय
01	वेतन	210.19	210.00	199.03
02	मजदूरी	0.87	0.64	0.63
03	समयोपरि भत्ता	0.00	0.00	0.00
05	रिवार्ड्स	1.73	2.13	1.82
06	चिकित्सा व्यय	5.31	5.16	4.91
07	भत्ते	143.77	155.00	145.83
08	छुट्टी यात्रा रियायत	9.32	4.88	1.69
09	प्रशिक्षण व्यय	2.23	1.82	1.59
11	घरेलू यात्रा व्यय	6.68	8.14	8.19
12	विदेश यात्रा व्यय	0.79	0.57	0.40
13	कार्यालय व्यय	50.80	51.38	50.42
14	किराया, दरें और कर	12.78	14.82	14.35
15	रॉयल्टी	0.24	0.24	0.24
16	प्रकाशन	7.72	9.49	11.55
18	दूसरों के लिए किराया	2.60	5.21	4.91
19	डिजिटल उपकरण	5.65	6.82	6.59
20	अन्य प्रशासनिक व्यय	0.00	0.00	0.00
21	आपूर्ति और सामग्री	3.76	4.93	5.55
24	ईंधन और स्नेहक	1.71	1.30	1.19
26	विज्ञापन और प्रचार	187.22	181.52	337.29
27	छोटे-मोटे काम	7.68	6.72	6.69
28	पेशेवर सेवाएँ	52.91	49.54	46.57
29	मरम्मत और रखरखाव	6.96	7.34	6.22

31	सहायता अनुदान-सामान्य	496.96	556.84	535.22
32	योगदान	0.35	0.36	0.35
35	पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान	566.90	415.33	275.21
36	सहायता अनुदान-वेतन	2864.80	2701.46	2604.46
40	अवॉर्ड्स और प्राइजेज	0.23	0.23	0.00
49	अन्य राजस्व व्यय	11.03	9.07	5.80
50	अन्य शुल्क	0.00	0.00	0.00
51	मोटर वाहन	0.28	0.15	0.01
52	मशीनरी और उपकरण	1.38	1.41	1.45
53	प्रमुख कार्य	0.00	0.00	0.00
71	सूचना, कंप्यूटर, दूरसंचार (आईसीटी) उपकरण	3.76	11.40	10.21
72	भवन और फिक्स्चर	24.66	24.66	24.66
74	फर्नीचर और फिक्स्चर	0.74	1.20	1.19
77	अन्य अचल संपत्तियाँ	0.02	0.02	0.02
	कुल	**4692.00**	**4449.76**	**4314.24**

अध्याय-**6**(क)

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्राप्तियों का विश्लेषण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय गैर-कर प्राप्तियों के मामले में राजस्व अर्जित करने वाला मंत्रालय है। मंत्रालय की प्राप्तियों में केवल कर-राजस्व, गैर-कर राजस्व, ऋण वसूली आदि शामिल हैं। वर्ष 2023-24 के लिए मंत्रालय की कुल प्राप्ति ₹1214.90 करोड़ थी।

पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राप्तियों का रुझान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कर राजस्व	33.07	30.54	36.64	43.19	48.97
गैर-कर राजस्व	1153.45	2091.93	1964.69	1358.35	1165.39
ऋण वसूली (पूंजी प्राप्तियां)	0.73	0.67	0.47	0.41	0.54
कुल	**1187.25**	**2123.14**	**2001.80**	**1401.95**	**1214.90**

(स्रोत: केंद्रीय लेनदेन का विवरण)

पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राप्तियों का ग्राफिकल विश्लेषण

(करोड़ ₹ में)

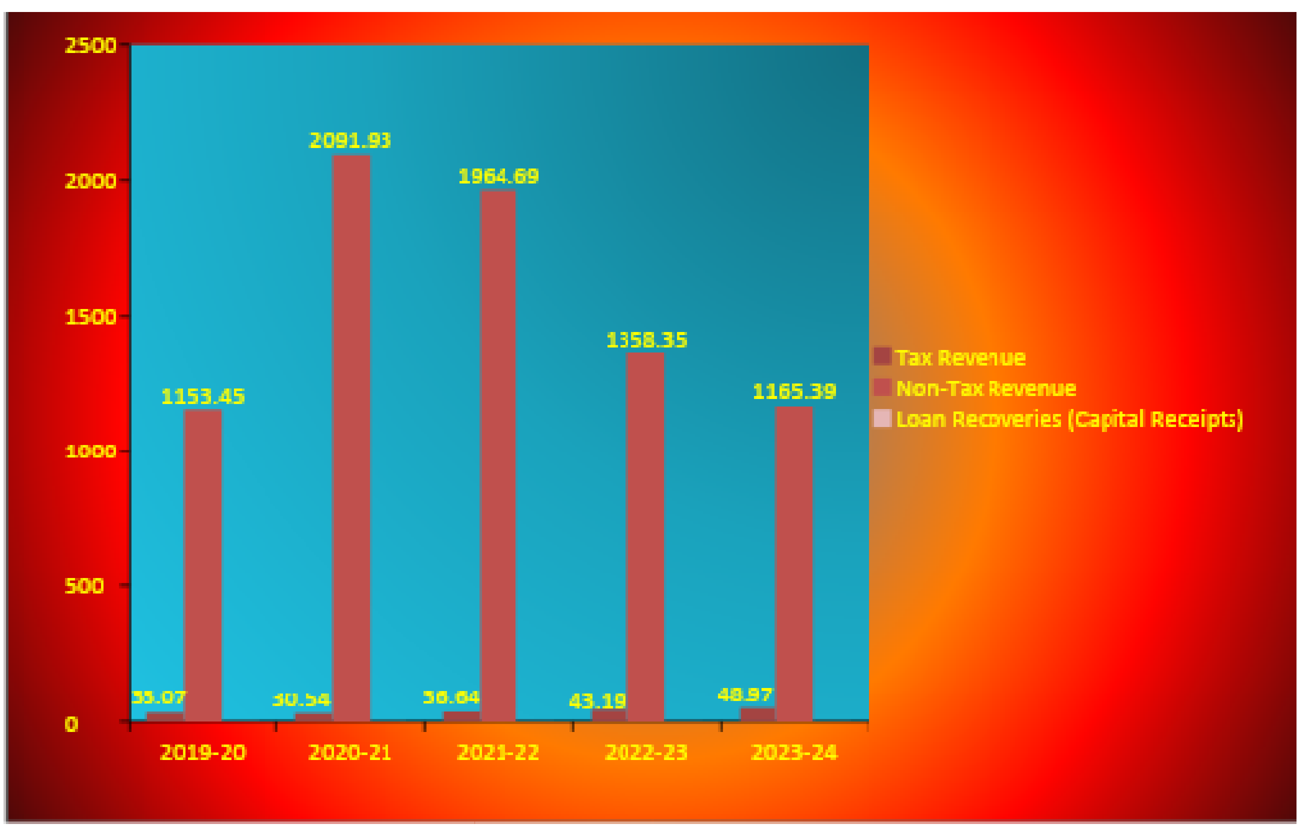

वर्ष **2023-24** के दौरान प्राप्तियों का विवरण निम्नानुसार है: -

(करोड़ ₹ में)

क.	राजस्व कर	
0021	निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर	48.97
	कुल राजस्व कर	**48.97**
ख.	गैर-कर राजस्व	
0049	ब्याज प्राप्तियां	0.71
0050	लाभांश और लाभ	0.61
0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	0.01
0071	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए योगदान और वसूली	129.16
0075	विविध सामान्य सेवाएँ	0.23
0202	शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	15.13
0210	चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	7.07
0216	आवास	1.78
0220	सूचना एवं प्रचार	37.76
0221	प्रसारण	972.93
	कुल गैर-कर राजस्व	**1165.39**
ग.	ऋण एवं अग्रिम (पूंजी प्राप्तियां)	
7610	सरकारी कार्मिक आदि को ऋण	0.54
	सरकारी कार्मिक आदि ऋण	**0.54**
	कुल प्राप्ति	**1214.90**

स्रोत:- केंद्रीय लेनदेन विवरण 2023-24)

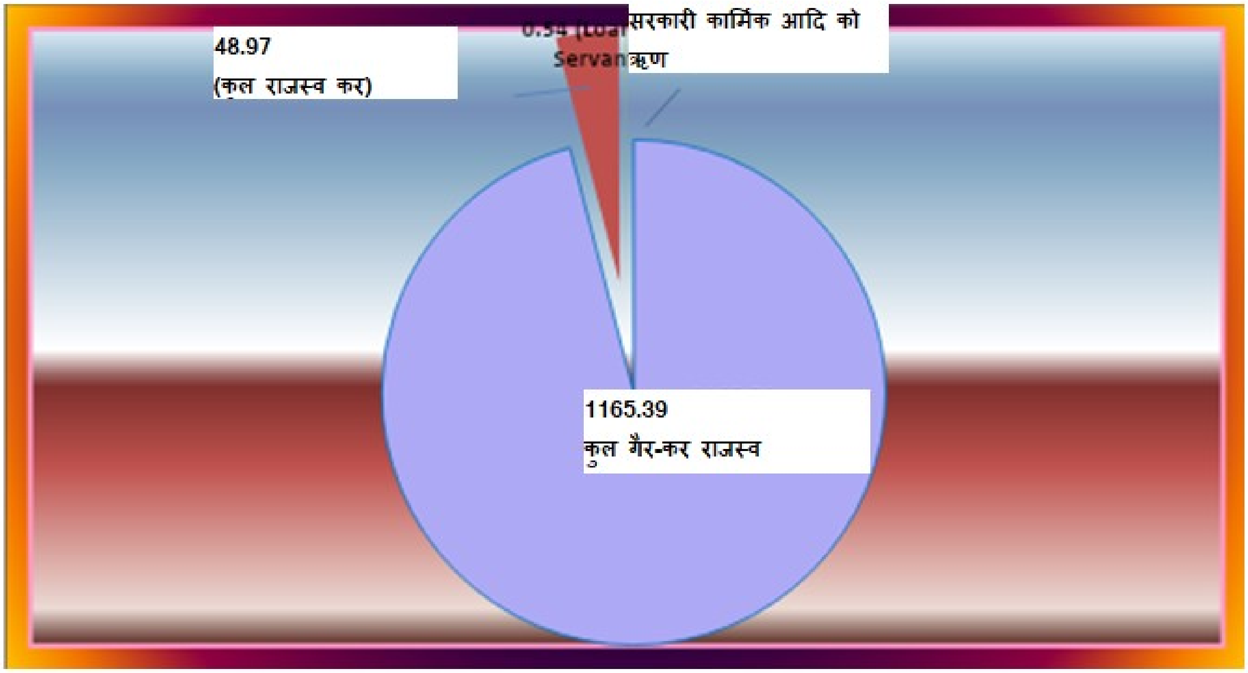

वर्ष **2023-24** के दौरान प्राप्तियों का ग्राफिकल विश्लेषण

(करोड़ ₹ में))

अध्याय-6 (ख)

पिछले पांच वर्षों के दौरान गैर-कर प्राप्तियों का विवरण (एनटीआर)

(करोड़ ₹ में)

लेखा शीर्ष	2019-20			2020-21			2021-22			2022-23			2023-24		
	बीई	आरई	वास्तविक	बीई	आरई	वास्तविक	बीई	आरई	वास्तविक	बीई	आरई	वास्तविक	बीई	आरई	वास्तविक
0202 – शिक्षा खेल कला और संस्कृति(क)	**14.73**	**15.20**	**14.56**	**15.70**	**15.20**	**8.47**	**15.70**	**7.00**	**12.54**	**12.00**	**14.50**	**15.15**	**15.00**	**14.50**	**15.13**
0202.04.103 – सिनेमैटोग्राफिक नियमों से प्राप्तियां	14.73	15.00	14.50	15.50	15.00	8.46	15.50	7.00	12.54	12.00	14.50	15.15	15.00	14.50	15.13
0202.04.800 – अन्य रसीदें		0.20	0.06	0.20	0.20	0.01	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0220 – सूचना और प्रचार(ख)	**64.55**	**55.33**	**53.22**	**47.55**	**55.33**	**139.42**	**44.55**	**22.38**	**35.29**	**33.28**	**29.23**	**67.34**	**45.53**	**44.31**	**37.57**
0220.60.106 – सीबीसी (पूर्ववर्ती बीओसी) से रसीद	2.00	2.00	1.32	2.02	2.00	0.22	2.02	1.60	0.04	1.75	1.75	0.11	1.9	1.9	0.00
0220.01.102 – फिल्मों से प्राप्तियां	11.50	10.00	4.43	2.00	10.00	1.60	2.00	0.25	1.08	1.00	0.65	0.87	0.65	-	0.00
0220.01.800 – अन्य रसीदें	12.00	10.50	9.56	10.50	10.50	0.98	7.50	1.50	1.63	7.50	6.60	5.25	6.60	5.00	1.81
0220.01.801- अनुदान प्राप्तकर्ता से अव्ययित शेष राशि पर ब्याज या अन्य आय	-	-	-	-	-	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.39	0.00	0.67	0.67
0220.60.105 - सामुदायिक रेडियो और टेलीविजन से रसीद	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.01	0.05
0220.60.112 – रोजगार समाचार	26.00	25.00	23.96	25.00	25.00	9.07	25.00	8.00	13.85	10.00	13.50	11.02	11.12	8.00	9.09
0220.60.113 – प्रकाशन से प्राप्तियां	12.00	7.00	12.23	7.00	7.00	12.41	7.00	10.00	17.48	12.00	5.66	47.32	24.23	24.23	20.84
0220.60.800 – अन्य रसीदें	1.00	0.80	1.70	1.00	0.80	1.58	1.00	1.00	1.18	1.00	1.00	2.34	1.00	4.50	5.11
0221-प्रसारण (ग)	**2759.74**	**1371.25**	**912.64**	**1962.25**	**1371.25**	**1788.54**	**1164.75**	**1685.02**	**1761.25**	**1035.02**	**1075.11**	**1123.18**	**975.05**	**975.01**	**972.93**
0221.02.104 – डीटीएच ऑपरेटर(सी) से लाइसेंस शुल्क*	1537.74	1100.00	647.23	1100.00	1100.00	1559.27	900.00	1500.00	1581.41	800.00	840.00	859.96	740.00	720.00	691.98
0221.02.103 - वाणिज्यिक सेवाएँ (टीवी)	181.70	90.00	85.31	100.00	90.00	72.09	85.00	85.00	83.00	85.00	85.00	84.12	85.00	85.00	94.14
0221.01.800 - अन्य रसीदें	0.30	0.25	0.08	0.25	0.25	0.02	0.05	0.02	0.01	0.02	0.11	0.11	0.05	0.01	0.01
0221.01.102 - वाणिज्यिक सेवाएँ (एफएम)	1040.00	181.00	180.02	762.00	181.00	155.09	179.70	100.00	**96.61****	150.00	150.00	178.99	150.00	170.00	186.80
0221.80.801- अनुदान प्राप्तकर्ता से अव्ययित शेष राशि पर ब्याज या अन्य आय	-	-	-	-	-	2.07	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल(क)+(ख)+(ग))	**2839.02**	**1441.79**	**980.42**	**2186.63**	**1602.91**	**1936.43**	**1225.00**	**1714.40**	**1809.08**	**1080.30**	**1118.80**	**1205.67**	**1035.58**	**1033.82**	**1025.63**

- नोट: उपरोक्त आंकड़े पेंशन और छुट्टी अंशदान के लिए अंशदान और वसूली, लाइसेंस शुल्क और सीजीएचएस अंशदान के रूप में प्राप्त राशि को छोड़कर हैं तथा इसमें केवल सूचना और प्रचार, प्रसारण और फिल्म क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त एनटीआर शामिल है।

- वित्त वर्ष 2020-21 के वास्तविक आंकड़ों में 1.18 करोड़ रुपये की कटौती रिफंड को शामिल नहीं किया गया है।
- * प्राप्ति में काफी कमी आई है.
- ** जिसमें माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 28.06.2021 के निर्देशों के अनुसार सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड को ₹53.39 करोड़ की बोली राशि की वापसी का प्रभाव भी शामिल है।

अध्याय - 7(क)
व्यय का विवरण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का 2023-24 के लिए कुल बजट ₹4700.05 करोड़ (राजस्व और पूंजी) था। राजस्व बजट ₹4661.21 करोड़ और पूंजी ₹38.84 करोड़ था। इस बजट की तुलना में वास्तविक व्यय ₹4314.24 करोड़ (राजस्व पक्ष पर ₹4276.68 करोड़ और पूंजी पक्ष पर ₹37.55 करोड़) था।

पिछले पांच वर्षों के दौरान व्यय की प्रवृत्ति (करोड़ ₹ में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
कुल बजट प्राक्कलन	**4375.22**	**4375.21**	**4079.71**	**4182.01**	**4700.05**
वास्तविक व्यय (राजस्व खंड)	4028.07	3374.12	3707.90	3998.48	4276.68
वास्तविक व्यय (पूंजी खंड)	4.29	6.32	21.09	25.65	37.55
कुल वास्तविक व्यय (राजस्व और पूंजी)	**4032.36**	**3380.44**	**3728.99**	**4024.13**	**4314.24**

(स्रोत: विनियोग लेखा 2023-24)

पिछले पांच वर्षों के दौरान कुल बजट प्राक्कलन और वास्तविक व्यय का ग्राफिकल प्रस्तुति

(₹ करोड़ में

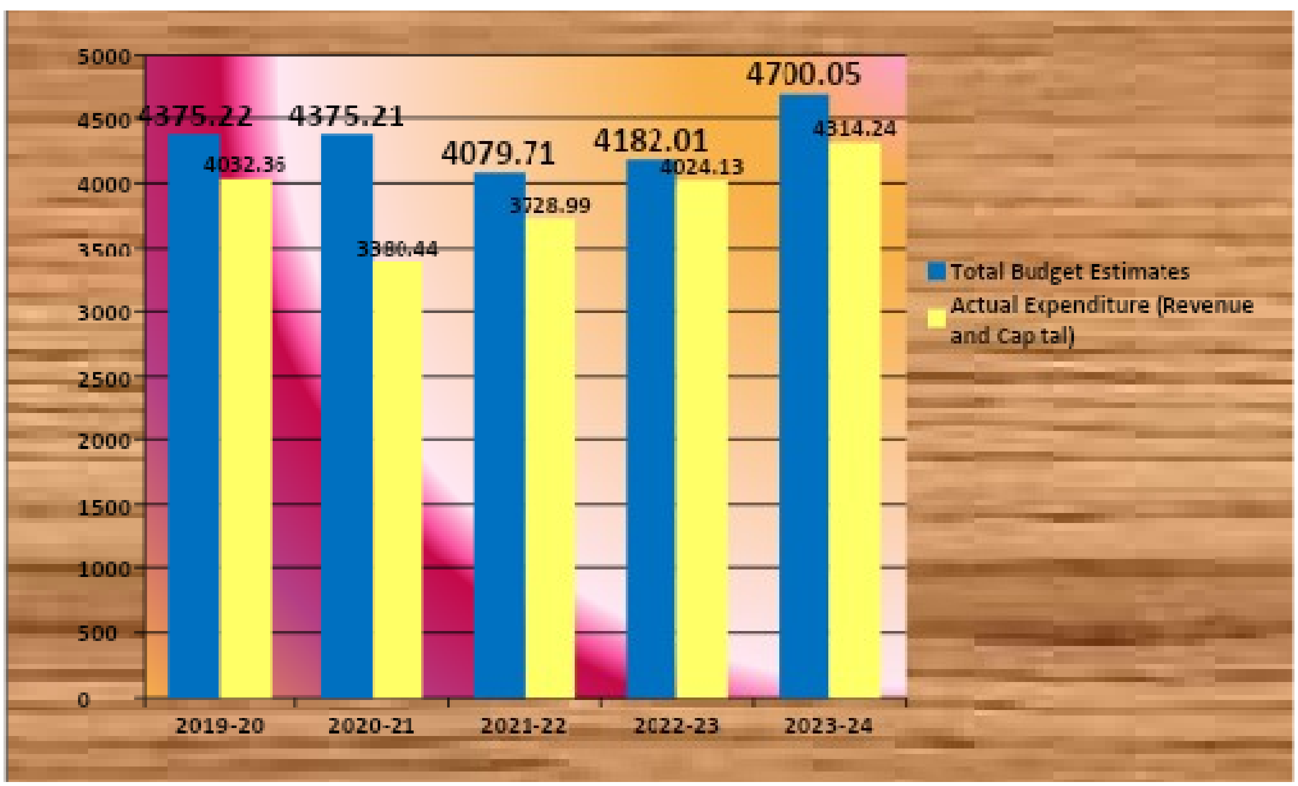

पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्व और पूंजीगत व्यय का ग्राफिकल प्रस्तुति

(करोड़ ₹ में)

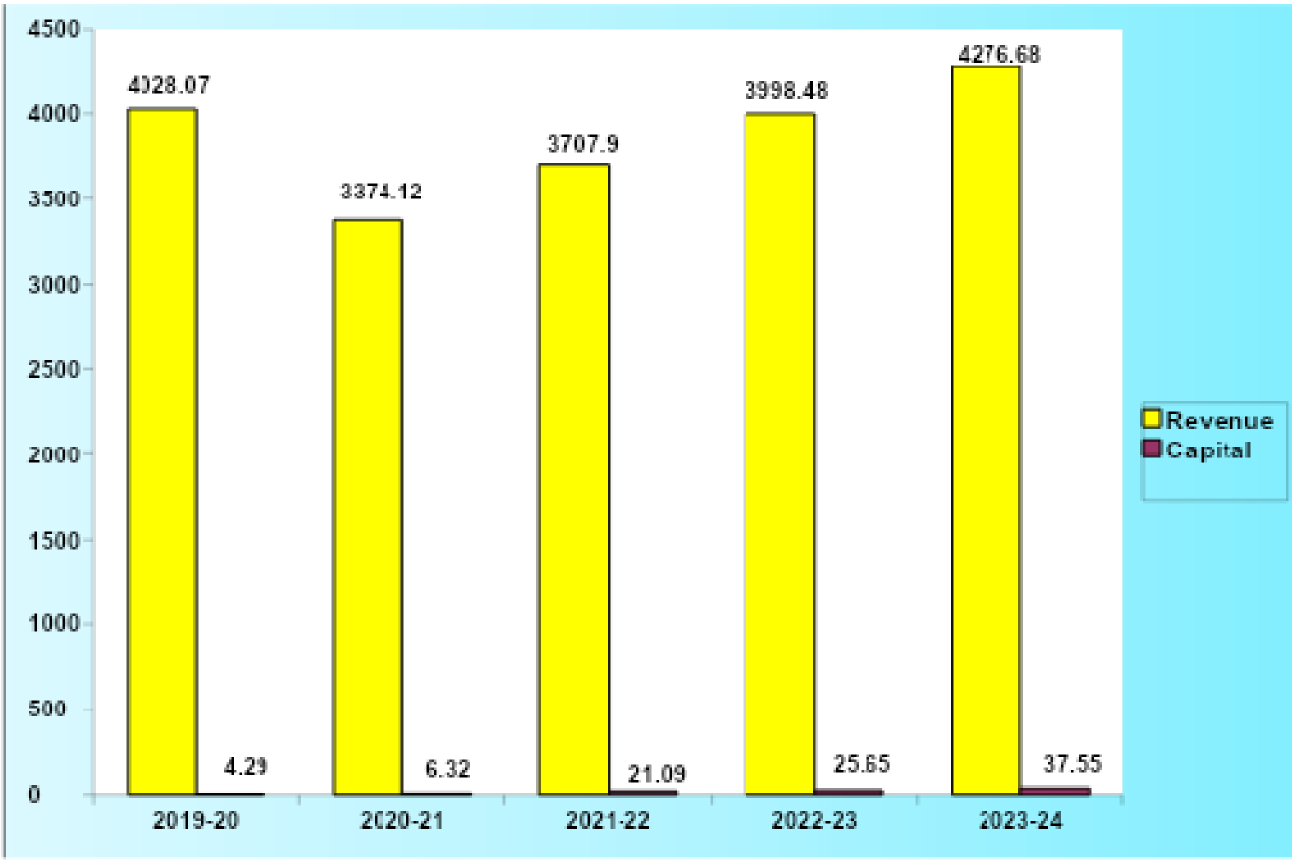

व्यय के सेक्टोरल विश्लेषण की प्रवृत्ति (2023-24)

(करोड़ ₹ में

वित्तीय सेक्टर	2021-22	2022-23	2023-24
सचिवालय	85.45	106.40	105.51
फिल्म	259.29	333.27	535.01
सूचना	593.54	698.13	756.16
प्रसारण	2790.71	2886.33	2917.56
कुल	**3728.99**	**4024.13**	**4314.24**

अनुदान संख्या 61 के लिए 2023-24 के दौरान व्यय का मासिक प्रवाह

(करोड़ ₹ में

माह	कुल व्यय
अप्रैल, 2023	547.62
मई, 2023	444.06
जून, 2023	364.83
जुलाई, 2023	263.37
अगस्त, 2023	526.53
सितंबर, 2023	116.66
अक्टूबर, 2023	689.27
नवंबर, 2023	158.19
दिसंबर, 2023	206.51
जनवरी, 2024	264.39
फरवरी, 2024	317.41
मार्च, 2024	415.40
कुल	**4314.24**

(स्रोत:- ई-लेखा)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संबंध में व्यय का शीर्ष-वार तुलनात्मक अध्ययन

(करोड़ ₹ में

क्र.स.	मुख्य शीर्ष	2023-24	प्रभार/दत्तमत्त
1.	2251 – सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	105.51	दत्तमत्त
2.	2205 – कला और संस्कृति	41.89	दत्तमत्त
3.	2220 – सूचना और प्रचार	1229.49	दत्तमत्त
4.	2221 – प्रसारण	2899.79	दत्तमत्त
5.	4220 – सूचना और प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय	37.55	दत्तमत्त
	कुल (राजस्व और पूंजीगत) व्यय	**4314.24**	**दत्तमत्त**

(स्रोत:- विनियोग लेखे एवं एससीटी 2023-24)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत विभिन्न संगठनों को सहायता अनुदान

(करोड़ ₹ में)

एजेंसी का नाम	2021-22		2022-23		2023-24	
	स्कीम	अन्य केन्द्रीय व्यय	स्कीम	अन्य केन्द्रीय व्यय	स्कीम	अन्य केन्द्रीय व्यय
भारतीय प्रेस परिषद	-	11.85	-	6.06	-	9.27
आई.आई.एम.सी.	-	27.15	-	29.22	-	35.90
बाल फिल्म सोसायटी	-	2.14	-	2.11	-	0.00
एस.आर.एफ.टी.आई. कोलकाता	-	63.62	-	60.10	-	59.17
एफ.टी.आई.आई. पुणे	-	42.67	-	68.53	-	70.64
प्रसार भारती	161.68	2629.03	159.91	2710.82	345.38	2554.41

(स्रोत:- ई-लेखा/पीएफएमएस)

अध्याय - **7**(ख)

बजट प्राक्कलन (बी.ई.) संशोधित प्राक्कलन (आर.ई.) का विवरण और पिछले पांच वर्षों के लिए बी.ई. , आर.ई. के संदर्भ में व्यय के प्रतिशत के वास्तविक व्यय

2019-20

स्कीम/गैर-स्कीम	बी.ई.	आर.ई.	वास्तविक व्यय	बी.ई. के संदर्भ में % व्यय	आर.ई. के संदर्भ में % व्यय
स्कीम	900.00	625.39	607.43	67.49%	97.13%
गैर-स्कीम	3475.21	3439.37	3424.93	98.55%	99.58%
कुल	**4375.21**	**4064.76**	**4032.36**	**92.16%**	**99.20%**

2020-21

स्कीम/गैर-स्कीम	बी.ई.	आर.ई.	वास्तविक व्यय	बी.ई. के संदर्भ में % व्यय	आर.ई. के संदर्भ में % व्यय
स्कीम	740.00	346.73	333.34	45.05%	96.14%
गैर-स्कीम	3635.21	3303.52	3047.10	83.82%	92.24%
कुल	**4375.21**	**3650.25**	**3380.44**	**77.26%**	**92.61%**

2021-22

स्कीम/गैर-स्कीम	बी.ई.	आर.ई.	वास्तविक व्यय	बी.ई. के संदर्भ में % व्यय	आर.ई. के संदर्भ में % व्यय
स्कीम	632.05	450.00	452.66	71.62%	100.59%
गैर-स्कीम	3439.18	3314.69	3276.33	95.26%	98.84%
कुल	**4071.23**	**3764.69**	**3728.99**	**91.60**%	**99.05**%

2022-23

स्कीम/गैर-स्कीम	बी.ई.	आर.ई.	वास्तविक व्यय	बी.ई. के संदर्भ में % व्यय	आर.ई. के संदर्भ में % व्यय
स्कीम	630.00	639.00	569.68	90.43%	89.15%
गैर-स्कीम	3350.77	3543.01	3454.45	103.09%	97.50%
कुल	**3980.77**	**4182.01**	**4024.13**	**101.09%**	**96.23%**

2023-24

स्कीम/गैर-स्कीम	बी.ई.	आर.ई.	वास्तविक व्यय	बी.ई. के संदर्भ में % व्यय	आर.ई. के संदर्भ में % व्यय
स्कीम	1105.00	1027.28	1037.02	93.85%	100.95%
गैर-स्कीम	3587.00	3422.48	3277.21	91.36%	95.76%
कुल	**4692.00**	**4449.76**	**4314.24**	**91.95%**	**96.95%**

पिछले पांच वर्षों के लिए बी.ई. के संदर्भ में प्रतिशत के साथ बजट प्राक्कलन (बी.ई.) और व्यय वार तिमाही विवरण

(₹ करोड़ में)

				2019-20					
स्कीम/गैर-स्कीम	**बी.ई.**	**पहली तिमाही में व्यय.**	**दूसरी तिमाही में व्यय.**	**तीसरी तिमाही में व्यय.**	**चौथी तिमाही में व्यय**	**बी.ई. की तुलना में पहली तिमाही में % व्यय**	**बी.ई. की तुलना में दूसरी तिमाही में % व्यय.**	**तीसरी तिमाही में बी.ई. की तुलना में % व्यय.**	**चौथी तिमाही में बी.ई. की तुलना में % व्यय..**
स्कीम	900.00	105.00	171.09	187.41	143.93	11.67%	19.01%	20.82%	15.99%
गैर-स्कीम	3475.21	869.51	1064.03	640.00	851.39	25.02%	30.62%	18.42%	24.50%
कुल	**4375.21**	**974.51**	**1235.12**	**827.41**	**995.32**	**22.27%**	**28.23%**	**18.91%**	**22.75%**
				2020-21					
स्कीम/गैर-स्कीम	**बी.ई.**	**पहली तिमाही में व्यय.**	**दूसरी तिमाही में व्यय.**	**तीसरी तिमाही में व्यय.**	**चौथी तिमाही में व्यय**	**बी.ई. की तुलना में पहली तिमाही में % व्यय**	**बी.ई. की तुलना में दूसरी तिमाही में % व्यय.**	**तीसरी तिमाही में बी.ई. की तुलना में % व्यय.**	**चौथी तिमाही में बी.ई. की तुलना में % व्यय..**
स्कीम	740.00	89.72	47.12	138.54	57.96	12.12%	6.37%	18.72%	7.83%
गैर-स्कीम	3635.21	923.83	747.64	592.62	783.01	25.41%	20.57%	16.30%	21.54%
कुल	**4375.21**	**1013.55**	**794.76**	**731.16**	**840.97**	**23.17%**	**18.17%**	**16.71%**	**19.22%**
				2021-22					
स्कीम/गैर-स्कीम	**बी.ई.**	**पहली तिमाही में व्यय.**	**दूसरी तिमाही में व्यय.**	**तीसरी तिमाही में व्यय.**	**चौथी तिमाही में व्यय**	**बी.ई. की तुलना में पहली तिमाही में % व्यय**	**बी.ई. की तुलना में दूसरी तिमाही में % व्यय.**	**तीसरी तिमाही में बी.ई. की तुलना में % व्यय.**	**चौथी तिमाही में बी.ई. की तुलना में % व्यय..**
स्कीम	632.05	99.26	41.38	117.38	194.64	15.70%	6.55%	18.57%	30.80%
गैर-स्कीम	3439.18	1003.74	754.36	890.56	627.67	29.19%	21.93%	25.89%	18.25%
कुल	**4071.23**	**1103.00**	**795.74**	**1007.94**	**822.31**	**27.09%**	**19.55%**	**24.76%**	**20.20%**
				2022-23					
स्कीम/गैर-स्कीम	**बी.ई.**	**पहली तिमाही में व्यय.**	**दूसरी तिमाही में व्यय.**	**तीसरी तिमाही में व्यय.**	**चौथी तिमाही में व्यय**	**बी.ई. की तुलना में पहली तिमाही में % व्यय**	**बी.ई. की तुलना में दूसरी तिमाही में % व्यय.**	**तीसरी तिमाही में बी.ई. की तुलना में % व्यय.**	**चौथी तिमाही में बी.ई. की तुलना में % व्यय..**

स्कीम	630.00	132.45	71.34	143.20	222.69	21.02%	11.32%	22.73%	35.35%
गैर-स्कीम	3350.77	1120.17	837.78	858.27	638.22	33.43%	25.00%	25.61%	19.05%
कुल	**3980.77**	**1252.62**	**909.12**	**1001.47**	**860.91**	**31.47%**	**22.84%**	**25.16%**	**21.63%**
2023-24									
स्कीम/गैर-स्कीम	**बी.ई.**	**पहली तिमाही में व्यय.**	**दूसरी तिमाही में व्यय.**	**तीसरी तिमाही में व्यय.**	**चौथी तिमाही में व्यय**	**बी.ई. की तुलना में पहली तिमाही में % व्यय**	**बी.ई. की तुलना में दूसरी तिमाही में % व्यय.**	**तीसरी तिमाही में बी.ई. की तुलना में % व्यय.**	**चौथी तिमाही में बी.ई. की तुलना में % व्यय..**
स्कीम	1105.00	252.80	119.61	199.34	465.27	22.88%	10.82%	18.04%	42.11%
गैर-स्कीम	3587.00	1103.71	786.94	854.63	531.93	30.77%	21.94%	23.83%	14.83%
कुल	**4692.00**	**1356.51**	**906.55**	**1053.97**	**997.20**	**28.11%**	**19.32%**	**22.46%**	**21.25%**

अध्याय - 7(घ)

एनईआर के लिए स्कीम परिव्यय

केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा अपने वार्षिक योजना बजट का 10% पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित करना, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास घाटे को दूर करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया एक साहसिक कदम है। 1998-99 से हर साल केंद्र सरकार के 52 मंत्रालयों के वार्षिक योजना बजट का 10% पूर्वोत्तर क्षेत्र में खर्च के लिए निर्धारित किया जाता है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारत का 7.9% (3287263 वर्ग किमी में से 2,62,179 वर्ग किमी) भूभाग और 3.76% (121 करोड़ में से 4.55 करोड़) जनसंख्या है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए परियोजनाओं/स्कीमों का एकमुश्त प्रावधान राजस्व व्यय के लिए मुख्य शीर्ष '2552' और पूंजीगत व्यय के मामले में '4552' के अंतर्गत किया जाना चाहिए। इन्हें शुरू में संबंधित मंत्रालय/विभाग के बजट अनुमान विवरण (एसबीई) और अनुदानों की विस्तृत मांगों में एकमुश्त प्रावधान के रूप में दिखाया जाता है। ऐसी राशियों को बाद में व्यय करने के उद्देश्य से लेखाओं के कार्यात्मक शीर्षों में पुनः विनियोजित किया जाता है। मुख्य शीर्ष '2552' और '4552' से एकमुश्त प्रावधान से पुनर्विनियोजन संबंधित मंत्रालय/विभाग के सचिवों के अनुमोदन से किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विभिन्न स्कीमों के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को ₹138.31 करोड़ की राशि जारी की है। विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्कीमों/परियोजनाओं के नाम (सभी स्कीमों/परियोजनाएं)	वित्तीय प्रगति/पूर्णता पिछले 3 वित्त वर्षों में योजना/परियोजनावार आवंटन (बीई) पिछले 3 वित्त वर्षों में योजना/परियोजनावार व्यय (करोड़ रुपये में और प्रतिशत में))								
		2021-22			2022-23			2023-24		
		बीई	व्यय	%	बीई	व्यय	%	बीई	व्यय	%
1	डीसीआईडी	19.00	17.55	92.37%	18.68	9.38	50.21%	20.00	17.52	87.60%
2	डीसीडीएफसी	9.00	0.41	4.56%	13.00	12.62	97.08%	30.00	35.07	116.90%
3	भारत में सामुदायिक रेडियो अभियान का समर्थन	0.24	0.00	0.00%	0.32	0.24	75.00%	0.50	0.13	26.00%
4	बीआईएनडी	35.00	8.31	23.74%	31.00	3.00	9.68%	60.00	34.08	56.80%

अध्याय -8

लेखाओं का कम्प्यूटरीकरण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभागीय लेखांकन संगठन में लेखाओं के कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया वित्त मंत्रालय के लेखा महानियंत्रक कार्यालय द्वारा लेखांकन कार्य के कम्प्यूटरीकरण के साथ शुरू हुई। मासिक समेकित खाते के कम्प्यूटरीकरण के लिए वेतन और लेखा कार्यालयों में कॉम्पैक्ट नामक सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया था। इस मंत्रालय में कॉम्पैक्ट नामक सॉफ्टवेयर पर सभी पीएओ, वाउचर स्तर का कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा था। प्रीचेक-, चेक लेखन, चेक समीक्षा, स्क्रॉल, ट्रांसफर प्रविष्टियां और समेकन जैसे सभी चरण इस पैकेज का उपयोग करके किए जा रहे थे। नवंबर, 2008 से प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा ऑनलाइन स्वीकृति के साथ पुट थ्रू स्टेटमेंट के पीएओवार समायोजन के - बाद मासिक लेखा सीजीए कार्यालय कोप्रस्तुत किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल जैसे विंडो आधारित एप्लिकेशन का उपयोग शीर्षवार विनियोग लेखे-, संघ सरकार के वित्त लेखे की सामग्री (सिविल) और मंत्रालय को प्रस्तुत करने और अन्य विविध उद्देश्यों के लिए मासिक व्यय और रसीद विवरण तैयार करने के लिए भी किया जाता है।

इम्प्रूव, कॉम्पैक्ट से लेकर पीएफएमएस तक, लेखांकन में आईटी पहल अभूतपूर्व रही है:

मौजूदा इम्प्रूव सॉफ्टवेयर को बदलने के लिए वेतन और लेखा कार्यालय स्तर पर उपयोग के लिए एक बहु उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर शामिल किया गया था। यह सॉफ्टवेयर सभी वेतन एवं लेखा कार्यालयों में काम को कम्प्यूटरीकृत करने की दृष्टि से विकसित किया गया था।

ईपेमेंट पर पहल-

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी वेतन और लेखा कार्यालयों में ई पेमेंट प्रणाली को-2011 से चरण-II के तहत सफलतापूर्वक लागू किया गया था।

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)

सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत पूर्ववर्ती योजना आयोग की (पीएफएमएस) सीपीएसएमएस नामक योजना स्कीम के रूप में2008-09 में चार राज्यों मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब और मिजोरम में चार प्रमुख स्कीमों जैसे एमजीएनआरईजीएस, एनआरएचएम, एसएसए और पीएमजीएसवाई के लिए पायलट के रूप में हुई थी। मंत्रालयोंविभागों में नेटवर्क स्थापित करने के शुरुआती चरण के / बाद, केंद्र, राज्य सरकारों और राज्य सरकारों की एजेंसियों के वित्तीय नेटवर्क को जोड़ने के लिए सीपीएसएमएस को राष्ट्रीय स्त (पीएफएमएस)र पर लागू करने का निर्णय लिया गया है। इस स्कीम को पूर्ववर्ती योजना आयोग और वित्त मंत्रालय की 12वीं पंचवर्षीय स्कीम की पहलों में शामिल किया गया

था। वर्तमान में पीएफएमएस वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की योजना है और इसे पूरे देश में लेखा महानियंत्रक कार्यालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

2.वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के दिनांक 15.07.2016 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 66 (29) पीएफ-II/2016 के अनुसार, माननीय प्रधानमंत्री ने केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन में बेहतर वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता पर बल दिया है, ताकि समय पर धन जारी करने की सुविधा प्राप्त हो और अंतिम उपयोग की जानकारी सहित निधियों के उपयोग की निगरानी की जा सके। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का संचालन व्यय विभाग में लेखा महानियंत्रक कार्यालय द्वारा किया जाता है (पीएफएमएस), जो भुगतान प्रक्रिया, ट्रैकिंग, निगरानी, लेखा, समाधान और रिपोर्टिंग के लिए एक संपूर्ण समाधान है। यह योजना प्रबंधकों को रिलीज को ट्रैक करने और उनके अंतिम उपयोग की निगरानी के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता है।

3. जस्टटाइम रिलीज को लागू करने और धन के अंतिम उपयोग की निगरानी करने क-इन-े निर्देशों का पालन करने के लिए, वित्त मंत्रालय द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत सभी लेनदेनभुगतान / को कवर करने के लिए पीएफएमएस के उपयोग को सार्वभौमिक बनाने का निर्णय लिया गया है। इन योजनाओं की संपूर्ण निगरानी के लिए पीएफएमएस पर सभी कार्यान्वयन एजेंसियों का (आईए) अनिवार्य पंजीकरण और सभी आईए द्वारा पीएफएमएस के व्यय, अग्रिम और हस्तांतरण (ईएटी) मॉड्यूल का अनिवार्य उपयोग आवश्यक है।कार्यान्वयन योजना में केंद्रीय क्षेत्र की संपूर्ण योजनाओं को शामिल किया गया है, जिसके लिए अन्य बातों के साथसाथ प्रत्येक मंत-्रालयविभाग द्वारा / - :निम्नलिखित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है

i. सभी केंद्रीय योजनाओं को मैपकॉन्फ़िगर कर पीएफएमएस प्लेटफॉर्म पर लाना होगा।/
ii. धन प्राप्त करने और उपयोग करने वाली सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को अनिवार्य रूप (आईए) से पीएफएमएस पर पंजीकृत होना।
iii. भुगतान, अग्रिम और हस्तांतरण करने के लिए सभी पंजीकृत एजेंसियों के लिए पीएफएमएस मॉड्यूल का उपयोग अनिवार्य किया जाना चाहिए।
iv. केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के संबंध में व्यय करने वाली सभी विभागीय एजेंसियों कोपंजीकरण करना होगा और अनिवार्य रूप से पीएफएमएस मॉड्यूल का उपयोग करना होगा।
v. सभी अनुदान प्राप्त संस्थानों को केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान से भुगतानअग्रिम /हस्तांतरण/ करने के लिए पीएफएमएस मॉड्यूल अपनाना होगा। इससे केंद्र सरकार से धन का दावा करने के लिए ऑनलाइन उपयोगिता प्रमाणपत्र तैयार करने में मदद मिलेगी।
vi. मंत्रालयों को अपने संबंधित सिस्टमएप्लिकेशन को पीएफएमएस के साथ एकीकृत करने के लिए / कार्रवाई करनी होगी।

4.पीएफएमएस शिवाजी स्टेडियम), नई दिल्ली (सीपीएमयू) की केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई (विभागों को केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए कार्यान्वयन/केंद्रीय मंत्रालयोंएजेंसियों के पंजीकरण में सहायता करती है। इसके बाद, मंत्रालयों को विभागीय एजेंसियों के साथसाथ अनुदान प्राप्त संस्थानों -

आवंटित करने की आवश्यकता /का समर्थन करने के लिए अपने स्वयं के संसाधन व्यक्तियों को तैनात होती है। पीएफएमएस के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए पदानुक्रम के सभी स्तरों पर कार्यान्वयन की सुविधा के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कनेक्टिविटी और तकनीकी संसाधनों सहित संसाधनों के नए मूल्यांकन की आवश्यकता है।

5. मुख्य लेखा नियंत्रक का यह कर्तव्य है कि वे संबंधित मंत्रालय के (सीए) लेखा नियंत्रक/(सीसीए) वित्त/सचिवीय सलाहकार के परामर्श से अपने संबंधित मंत्रालयों में पीएफएमएस को पूर्ण रूप से लागू करने की सुविधा के लिए एक कार्य योजना तैयार करें।

गैर कर प्राप्ति पोर्टल :(एनटीआरपी)

- गैर अन्य उपयोगकर्ताओं / कॉर्पोरेट / का उद्देश्य नागरिकों (एनटीआरपी) कर प्राप्ति पोर्टल-को भारत सरकार स्टॉप विंडो -कर राजस्व का ऑनलाइन भुगतान करने के लिए वन-को देय गैर (जीओआई) प्रदान करना है।
- भारत सरकार के गैरकर राजस्व में प्राप्तियों का एक बड़ा समूह शामिल है-, जिसे अलगअलग - मंत्रालयों द्वारा एकत्र किया जाता है। मुख्य रूप से ये प्राप/विभागोंतियां लाभांश, ब्याज प्राप्तियों, स्पेक्ट्रम शुल्क, आरटीआई आवेदन शुल्क, छात्रों द्वारा फॉर्मपत्रिकाओं की खरीद और / अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा किए गए कई अन्य भुगतानों से आती हैं।/कॉर्पोरेट/नागरिकों
- पूरी तरह से सुरक्षित आईटी वातावरण में ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, आम उपयोगकर्ताओं / नागरिकों को ड्राफ्ट बनाने के लिए बैंकों में जाने और फिर सेवाओं का लाभ उठाने के लिए दस्तावेज जमा करने के लिए सरकारी कार्यालयों में जाने की परेशानी से छुटकारा दिलाएगा। यह इन उपकरणों को सरकारी खाते में जमा करने में होने वाली देरी से बचने में भी मदद करता है और साथ ही इन उपकरणों को बैंक खातों में देरी से जमा करने की अवांछनीय कार्य पद्धतियों को भी समाप्त करता है।
- एनटीआरपी इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिटडेबिट कार्ड जैसी ऑनलाइन भुगतान प्रौद्योगिकियों का उपयोग / करके पारदर्शी वातावरण में त्वरित भुगतान की सुविधा प्रदान करता है।
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय में एनटीआर पोर्टल दिनांक 1 नवंबर 2016 से कार्यात्मकहै।
- वित्तीय वर्ष)2023-24) में मंत्रालय के गैर कर राजस्व का संग्रह-एनटीआर ई पोर्टल-(https://bhartkosh.gov.in/) के माध्यम से **1056. 29**करोड़ रुपये था।

  एनटीआरपी पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न वेबसाइट लिंक http://cga.nic.in//Page/FAQs.aspx पर उपलब्ध हैं।

ट्रेजरी सिंगल अकाउंट्स :मॉड्यूल (टीएसए)

टीएसए प्रणाली के तहत स्वायत्त निकायों को लाने का उद्देश्य स्वायत्त निकायों कार्यान्वयन /(एबी) एजेंसियों को सरकारी अनुदान'समय पर' जारी करने और पीएसबी में धन जमा करनेएजेंसियों के /एबी/ एजेंसियों को एकमुश्त नकद हस्तांतरण से भी बचा /पास अप्रयुक्त अनुदान के संचय से बचना। इससे एबी जा सकेगा और आवश्यकता पड़ने पर सरकारी खाते से निकासी की सुविधा भी मिलेगी।

टीएसए का उद्देश्य:

- निधि जारी करने के लिए'जस्ट इन टाइम' सिद्धांत का उपयोग करके स्वायत्त निकायों में धन प्रवाह की दक्षता को बढ़ाना और इस तरह भारत सरकार में बेहतर नकदी प्रबंधन सुनिश्चित करना।
- उधार की मात्रा कम करके सरकार के ब्याज के बोझ को कम करना।
- सरकार द्वारा स्वायत्त निकायों को जारी की गई धनराशि को उनके बैंक खातों में जमा होने से बचाना।

पिछले वर्ष सूचना और प्रसारण मंत्रालय के स्वायत निकाय यानी प्रसार भारती में से एक में टीएसए प्रणाली लागू की गई थी तथा शेष चार स्वायत्तशासी संस्थाओं अर्थात एसआरएफटीआई, एफटीआईआई, आईआईएमसी तथा पीसीआई में भी वित्तीय वर्ष2022-23 के दौरान टीएसए लागू किया गया है। स्वायत्तशासी संस्थाओं के अलावा एनएफडीसी में भी वित्तीय वर्ष (एक पीएसयू)2023-24 के दौरान टीएसए लागू किया गया है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में टीएसए के कार्यान्वयन का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹करोड़ में (

योजनाएंपीएसयू/स्वायत्त निकाय/	टीएसए के कार्यान्वयन की तिथि	2023-24 के दौरान टीएसए के माध्यम से हस्तांतरित कुल राशि	टीएसए वापसी2023-24 के अंतर्गत अव्ययित शेष राशि
सीएस योजना			
प्रसारण अवसंरचना नेटवर्क विकास बीआईएनडी))	01.10.2020	371.32	25.94
फिल्मी सामग्री का विकास संचार और प्रसार (डीसीडीएफसी)	01.01.2023	339.92	0.04
कुल		**711.24**	**25.98**
ओसीई योजना			
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी)	01.11.2022	35.90	0.00
भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई)	01.11.2022	9.97	0.70
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई)	01.12.2022	70.64	0.00
सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई)	01.12.2022	59.17	0.00
भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी)	01.01.2023	23.37	0.00
प्रसार भारती (सैलरी)	01.10.2020	2565.73	11.32
कुल		**2764.78**	**12.02**

पीएफएमएस में इलेक्ट्रॉनिक बिल :प्रणाली मॉड्यूल (बिल-ई)

श्रीमती निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री ने 46 वें सिविल अकाउंट्स डे के अवसर पर केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रोसेसिंग सिस्टम लॉन्च किया। (बिल-ई) यह व्यापक पारदर्शिता लाने और भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सिस्टम-और डिजिटल इंडिया इको (ईओडीबी)' का हिस्सा है। यह आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों को अपना दावा ऑनलाइन जमा करने की अनुमति देकर पारदर्शिता, दक्षता और फेसलेसपेपरलेस भुगतान प्रणाली - को बढ़ाएगा, जिसे वास्तविक समय के आधार पर ट्रैक किया जा सकेगा।

पीएफएमएसका ई बिल मॉड्यूल सीजीएकार्यालय के पीएफएमएसमें-विकसित किया गया है। पीएफएमएस, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा सीजीए कार्यालय के माध्यम से प्रबंधित भुगतान प्लेटफ़ॉर्म है, जिसका उपयोग केंद्रीय मंत्रालयोंविभागों के पीएओ//डीडीओद्वारा किया जाता है। नई प्रणाली में संपूर्ण भुगतान प्रक्रिया को कागज रहित अवधारणा में बदलने के लिए केंद्र सरकार प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर बिजनेस प्रोसेस रीबिल प्रणाली का उद्देश्य भुगतान -शामिल है। ई (बीपीआर) इंजीनियरिंग-चक्र समय को कम करना और सरकारी भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाना है। यह एक नागरिककेंद्रित दृष्टिकोण है जिसमें दावों को प्राप्त करने और संसाधित करने के लिए जिम्मेदार दावेदारों और सरकारी अधिकारियों के बीच फिजिकल इंटरफ़ेस को कम से कम किया जाएगा।

इस मंत्रालय के देश भर में 14 पीएओ हैं, जिनमें से 08 पीएओ मुख्य लेखा नियंत्रक के (सू और प्र) प्रशासनिक नियंत्रण में हैं और 06 पीएओ प्रसार भारती के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। पीएफएमएस का ई बिल मॉड्यूल वित्तीय वर्ष-2023-24 के दौरान सीजीए कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए कार्यक्रम के अनुसार इस मंत्रालय के 09 पीएओ में शुरू किया गया था, जिसका विवरण निम्न रूप से है:

क्र.सं.	**पीएओ का नाम**	**ईबिल मॉड्यूल - के कार्यान्वयन की तिथि**	**वित्त वर्ष2023-24के दौरान संसाधित सामान्य बिल**			**वित्त वर्ष2022-23 के दौरान ई-बिलिंग मोड के माध्यम से संसाधित बिल**		
			कुल बिल	**टी5 प्लस दिनों से भी कम समय में संसाधित बिल**	**टी5 प्लस दिनों में संसाधित बिल**	**कुल बिल**	**T5 प्लस दिनों से भी कम समय में संसाधित बिल हैं**	**T5 प्लस दिनों में संसाधित बिल**
1	पीएओ (एमएस), दिल्ली	03.08.2022	5708	5707	01	4919	4915	04
2	पीएओ (डीडी), कोलकाता	26.08.2022	3207	3207	00	362	362	00

3	पीएओ (एफडी), मुंबई	11.11.2022	3143	3114	29	1577	1500	77
4	पीएओ (डीडी), नागपुर	11.11.2022	661	657	04	112	112	00
5	पीएओ (सीबीसी), दिल्ली*	23.11.2022	7845	7838	07	2878	2832	46
6	पीएओ (डीडी), चेन्नई	22.02.2023	4418	4413	05	03	03	00
7	पीएओ (डीडी), गुवाहाटी (पीबी)	05.08.2022	2119	2109	10	1501	1479	22
8	पीएओ (आईआरएलए), दिल्ली	15.05.2023	2359	2354	05	192	181	11
9	पीएओ (एआईआर), लखनऊ	11.05.2023	1776	1760	16	832	805	27

* सीबीसी मीडिया से संबंधित बिलों बिल लागू करने की प्रक्रिया -में ई (स्थापना के अलावा) में है।

नोट बिल मॉड्यूल वित्तीय वर्ष-पीएफएमएस का ई -:2023-24 के दौरान इस मंत्रालय के 02 पीएओ पीएओ), आकाशवाणी, लखनऊ और पीएओ, आईआरएलए, नई दिल्लीमें भी शुरू किया गया है। प्रसार (भारती के05 पीएओ हैं जो किसी भी प्रतिष्ठान से संबंधित बिलों को संसाधित नहीं कर रहे हैं और केवल जीपीएफ और पेंशनरी लाभ से संबंधित बिलों को संसाधित कर रहे हैं। इसलिए, वर्तमान में ये 05 पीएओ ईबिल प्रोटोकॉल के अंतर्गत नहीं आते हैं। सूचना और-
प्रसारण मंत्रालय के सभी पात्र पीएओ)9) में ई-बिल कार्यान्वयन पूरा हो चुका है। यह मंत्रालय अब ई-बिल मोड के माध्यम से संसाधित बिलों का प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास करेगा।

आईआरएलए व्यवस्था और पीएओ की भूमिका:

1976 में सभी मंत्रालयों के लेखाओं के विभागीकरण के बाद अन्य मंत्रालयों के विभागीय लेखा कार्यालयों के साथ वेतन और लेखा कार्यालय अस्तित्व में आया। आईआरएलए (आईआरएलए) प्रणाली का विचार सभी सेवा और भुगतान संबंधी विवरणों को एक केंद्रीकृत (इंडिविजुअल रनिंग लेजर अकाउंट) प्रणाली में रखने के लिए लाया गया ताकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय और प्रसार भारती की मीडिया यूनिटों के अधिकारी, जिनके पास अखिल भारतीय स्थानांतरण दायित्व है, वे अपना वेतन आसानी से निकाल सकें। वेतन और लेखा कार्यालय पूरे भारत के विभिन्न शहरों में स्थित सूचना (आईआरएलए) दूरदर्शन और) और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया यूनिटों कार्यालयों और प्रसार भारती के कार्यालयों में तैनात आईआरएलए अधिकारियों के सेवा औ (आकाशवाणीर वेतन रिकॉर्ड का रखरखाव कर रहा है। यह कार्यालय लगभग 1300 सेवारत अधिकारियों को वेतन भुगतान वितरित करता है और सूचना और प्रसारण मंत्रालय और प्रसार मंत्रालय के लगभग 11400 सेवानिवृत्त अधिकारियों को पेंशन लाभ के भुगतान की सुविधा प्रदान करता है।

पेंशन मामलों को अंतिम रूप देने के लिए भविष्य पोर्टलपीएफएमएस की शुरुआतः/

भारत में पेंशन प्रणालियों का कम्प्यूटरीकरणपारदर्शिता और सुगमता में ,पेंशन प्रबंधन में दक्षता , सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भविष्य पोर्टल भारत सरकार द्वारा पेंशन संबंधी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने और सुव्यवस्थित करने के लिए शुरू की गई एक पहल है। इसे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों के लिए पेंशन से संबंधित विभिन्न कार्यों को सरल और स्वचालित बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य पेंशन के प्रबंधन में पारदर्शितादक्षता और पहुंच , को बढ़ाना है।

पेंशन मामलों की स्थिति:

वित्तीय वर्ष 2023-2 4के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत सभी वेतन और लेखा कार्यालयों द्वारा संसाधित पेंशन मामलों की स्थिति नीचे दी गई है:

क्र.सं.	पीएओ का नाम और पीएओ कोड	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त पेंशन मामलें	वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान निपटान किए गये पेंशन मामलें
1	पीएओ नागपुर (डीडी))029100)	74	72
2	पीएओ कोलकाता (डीडी))028750)	15	15
3	पीएओ (आईआरएलए))028062)	210	210
4	पीएओ) (एमएस)027667)	29	29
5	पीएओ सीबीसी)027973)	45	45
6	पीएओ मुंबई (एफडी)	279	269

	)028825)		
7	पीएओ आकाशवाणी लखनऊ)028139)	129	128
8	पीएओ चेन्नई (दूरदर्शन))028660)	131	118
9	पीएओ आकाशवाणी नई दिल्ली)027752)	287	284
10	पीएओ आकाशवाणी मुंबई)028233)	220	220
11	पीएओ आकाशवाणी कोलकाता)028438)	339	321
12	पीएओ आकाशवाणी चेन्नई {028554)	231	225
13	पीएओ नई दिल्ली (दूरदर्शन))027886)	174	171
14	पीएओ गुवाहाटी (दूरदर्शन))028875)	136	127
	कुल	**2299**	**2234**

नोटः इसमें पिछले वर्ष के लंबित पेंशन मामले और अनंतिम रूप से निपटाए गए मामले भी शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2023-के दौरान पीएओ में पेंशन मामले प्राप्त करने की समयसीमा का विवरण निम्नानुसार 24 हैः

क्रम सं	पीएओ का नामपीएओ / कोड	सेवानिवृत्ति की तारीख से 4 माह पहले एचओओ से पीएओ को प्राप्त मामलों की संख्या जैसा कि पेंशन) नियमों में (निर्धारित है	सेवानिवृत्ति की तारीख से एक माह पूर्व पीएओ में प्राप्त पेंशन मामले	सेवानिवृत्ति की तारीख से एक माह के भीतर पीएओ में प्राप्त पेंशन मामले	सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद पीएओ में प्राप्त पेंशन मामले
1	पीएओ (डीडीके) कोलकाता	3	6	2	4

2	पीएओ नागपुर (डीडी)	0	12	29	33
3	पीएओ (डीडी)चेन्नई	27	69	16	19
4	पीएओ (एआईआर) मुंबई	43	37	62	78
5	पीएओ (एआईआर) लखनऊ	15	55	15	44
6	पीएओ मुंबई (एफडी)	7	111	62	99
7	पीएओ (सीबीसी), नई दिल्ली	1	11	13	20
8	पीएओ (आईआरएलए) नई दिल्ली	0	1	87	122
9	पीएओ नई (एमएस) दिल्ली	0	2	27	0
10	पीएओ (एआईआर) चेन्नई	5	74	52	100
11	पीएओ (एआईआर) कोलकाता	10	74	54	201
12	पीएओ नई (एआईआर) दिल्ली	12	136	89	50
13	पीएओ गुवाहाटी (डीडी)	1	24	40	71
14	पीएओ नई (डीडी) दिल्ली	8	64	51	51
	कुल	132	676	599	892

नोटः पेंशन मामलों को अंतिम रूप देने और पीपीओ जारी करने में देरीपीएओ में पेंशन दस्तावेजों की , देरी से प्राप्ति के कारण हुई।

स्थापना संबंधी जानकारी :

वित्तीय वर्ष 2023-2 4के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों की स्थापना संख्या, बजटीय आवंटन और व्यय निम्नानुसार है :

प्रभागइकाई/	**स्वीकृत संख्या (वास्तव में)**	**कार्यरत संख्या (वास्तव में(**	**बीई 2023-24 (₹ करोड़ में(**	**आरई 2023-24 (₹ करोड़ में(**	**वास्तविक व्यय 2023-24 (₹ करोड़ में(**

मुख्य सचिवालय एवं वेतन और लेखा कार्यालय	702	589	44.00	44.05	41.54
डीपीडी और रोजगार समाचार	464	203	14.00	13.57	11.50
सीबीएफसी	97	52	10.38	20.85	19.32
एनएमडब्ल्यू	41	09	0.93	0.90	0.72
पीआईबी	1016	610	46.50	42.00	41.01
आरएनआई	81	47	3.62	3.65	3.63
सीबीसी	2322	1353	90.00	84.63	81.05
ईएमएमसी	5	3	0.36	0.35	0.27
अधिशेष कर्मचारी प्रतिष्ठान	284	284	8.08	17.75	16.28

अध्याय-9

महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

क्र.सं.	नाम और पदनाम	कार्यालय का पता	दूरभाष और मोबाइल नं
01.	डॉसिंह .अजय एस ., मुख्य लेखा नियंत्रक	कमरा नं.744, 7वां तल 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001	011-23387231 011-23381763(एफ(
02.	श्री दीपक अरोड़ा, सीसीए के निजी सचिव	कमरा नं.748-ए, 7वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001	011-23387231(टी(011-23381763 (एफ(09717664726
03.	श्री नवनीत कुमार, सीसीए के निजी सहायक	कमरा नं.744, 7वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001	011-23381549(टी(011-23381763 (एफ(09718882225
04.	श्री अमित पांडे, सीसीए के पीए	कमरा नंबर744, 7वां तल , 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001	011-23381549(टी(011-23381763 (एफ(
05.	डॉ रंजीता, लेखा नियंत्रक	कमरा नं.540, 5वां तल, सूचना भवन, नई दिल्ली-110003	011-23381124 011-23381544
06.	श्री अमन सीए के पीए	कमरा नंबर748-ए, 7वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001	011-23381124 011-23381544 (एफ(08112402714
07.	श्री अनिल कुमार शर्मा, वरिओ.ए . (प्रशासन (	कमरा नंबर744-ए, 7वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001	011-23380596 09810040740
08.	श्री राकेश शर्मा, वरि.ओ.ए ., (बजट और लेखा(	कमरा नं.702, 7वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001	011-23385646 011-23380263 (एफ(09910806936
09.	श्री वीरेंद्र शर्मा, वरि.ओ.ए . (आंतरिक लेखापरीक्षा मुख्यालय(	कमरा नं.702, 7वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001	011-23384279 09897640101

10.	श्री उत्तम कुमार यादव, एएओ (. स्था)	कमरा नंबर 703-ए, 7वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001	011-23074286 (टी(एफ/ 09717356352
11.	श्री महेश कुमार, एएओ (प्रशासन)	कमरा नंबर 703, 7वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001	011-23074285 09650396601
12.	श्री विश्वनाथ शर्मा, एएओ (बी एंड ए)	कमरा नं .702, 7वां तल 'ए' विंग, शास्त्री भवन,नई दिल्ली-110001	011-23380263 0 9782123751
13.	श्रीमती हिना,एएओ (बी एंड ए)	कमरा नं .702, 7वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन,नई दिल्ली-110001	011-23380291 (टी(एफ/ 09999553825
14.	श्री उदित नारायण सिंह, एएओ (आईएडब्ल्यू)	कमरा नं .702, 7वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन,नई दिल्ली-110001	011-23384950 09717089807
15.	(रिक्त), एएओ (आईएडब्ल्यू)	कमरा नंबर 702, 7वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन,नई दिल्ली-110001	011-23384950
16.	श्री अनिल कुमार शर्मा एएओ (आईएडब्ल्यू)	कमरा नंबर 702, 7वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001	011-23384950 09891526323
17.	श्री विकास गोयल एएओ (आईएडब्ल्यू)	कमरा नंबर 702, 7वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001	011-23384950 08920309894

वेतन और लेखा कार्यालय (सचिवालय मुख्य), नई दिल्ली

क्र.सं.	नाम और पदनाम	कार्यालय का पता	दूरभाष और मोबाइल नं
01.	श्री मनंजय कौशिक, वरि.ओ.ए .	कमरा नं .701, 7वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001	011-23384793 09868447893
02.	सुश्री मोमोता देवी, एएओ	कमरा नं .701, 7वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001	011-23384793 09868149723
03.	श्री जय भारत, एएओ	कमरा नं .701, 7वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन,नई दिल्ली-110001	011-23383542 (टी(एफ/ 09711358572

वेतन और लेखा कार्यालय (सीबीसी आदि(, नई दिल्ली

क्र.सं.	नाम और पदनाम	कार्यालय का पता	दूरभाष और मोबाइल नं
01.	श्री मनीष श्रीवास्तव, वरि.ओ.ए .	कमरा नं.749, 7वां तल 'सी' विंग, सूचना भवन, नई दिल्ली-110003	011-24364503 09335802526
02.	श्रीमति सुनीता चोपड़ा, वरिएओ.	कमरा नं.749, 7वां तल 'सी' विंग, सूचना भवन,नई दिल्ली-110003	011-24364503 09968305134
03.	श्री प्रांशु सिंह, एएओ	कमरा नं.749, 7वां तल 'सी' विंग, सूचना भवन,नई दिल्ली-110003	011-24364501 07290830383
04.	श्री सीभार्गव.जी., एएओ	कमरा नं.749, 7वां तल 'सी' विंग, सूचना भवन,नई दिल्ली-110003	011-24364509 09560470563
05	श्री दीपू कुमार, एएओ	कमरा नं.749, 7वां तल 'सी' विंग, सूचना भवन,नई दिल्ली-110003	011-24364501 09891814026
06	श्री वैभव शाक्य, एएओ	कमरा नं.749, 7वां तल 'सी' विंग, सूचना भवन,नई दिल्ली-110003	011-24364509 09532997290

वेतन और लेखा कार्यालय (फिल्म प्रभाग(, मुंबई

क्र.सं.	नाम और पदनाम	कार्यालय का पता	दूरभाष और मोबाइल नं
01.	श्री राजेश कुमार, एओ.	जी-24, डॉदेशमुख मार्ग ., पेडर रोड, मुंबई-400026	022-23524728/23551391 08369189173
02.	श्रीमती प्रीति एम . बोरोले,एएओ	जी-24, डॉदेशमुख मार्ग ., पेडर रोड, मुंबई-400026	022-23551392 09869454688
03.	श्रीमती दिशा ओमर,	जी-24, डॉदेशमुख मार्ग ., पेडर रोड,	022-23551394

	एएओ	मुंबई-400026	08076161048
04.	श्री नीरज कुमार, एएओ	जी-24, डॉदेशमुख मार्ग ., पेडर रोड, मुंबई-400026	022-23551394 07503530768

आंतरिक लेखापरीक्षा विंग, मुंबई

क्र.सं.	नाम और पदनाम	कार्यालय का पता	दूरभाष और मोबाइल नं
01.	रिक्त	24-जी, डॉदेशमुख मार्ग ., पेडर रोड, मुंबई-400026	022-23551390

वेतन और लेखा कार्यालय (आईआरएलए), नई दिल्ली

क्र.सं.	नाम और पदनाम	कार्यालय का पता	दूरभाष और मोबाइल नं
01.	श्री नरेंद्र कुमार, वरि . .ओ.ए	7वां तल, 'सी' विंग, सूचना भवन, नई दिल्ली-110003	011-24362240 09453578117
02.	श्रीमति हरकिरण कौर, वरि. ए.ओ.	7वां तल, 'सी' विंग, सूचना भवन, नई दिल्ली-110003	011-24362306 09811633200
03.	श्रीमतीअंजना चोपड़ा ., एओ.	7वां तल, 'सी' विंग, सूचना भवन, नई दिल्ली-110003	011-24362287 09810158777
04.	श्रीमति प्रीतम सिंह, एओ.	7वां तल, 'सी' विंग, सूचना भवन, नई दिल्ली-110003	011-24366303 09812036606
05.	श्रीमती .पिंकी एच . मिश्रा,एएओ	7वां तल, 'सी' विंग, सूचना भवन, नई दिल्ली-110003	011-24362304 08527926371
06.	श्री संजय सिंह, एएओ	7वां तल, 'सी' विंग, सूचना भवन, नई दिल्ली-110003	011-24362240 09810478074
07.	श्री सुरेश कुमार वर्मा, एएओ	7वां तल, 'सी' विंग, सूचना भवन, नई दिल्ली-110003	011-24362301 09968478066
08.	श्री दीपक भारद्वाज, एएओ	7वां तल, 'सी' विंग, सूचना भवन, नई दिल्ली-110003,	011-24362305 09999020182
09.	श्रीमती अनिता कुमारी, एएओ	7वां तल, 'सी' विंग, सूचना भवन, नई दिल्ली-110003	011-24366303 09953117424
10.	श्री पवित्रा प्रताप सिंह देवड़ा, एएओ	7वां तल, 'सी' विंग, सूचना भवन, नई दिल्ली-110003	011-24362302 09868475195

11.	श्री सुधीर कुचौधरी ., एएओ	7वां तल, 'सी' विंग, सूचना भवन, नई दिल्ली-110003	011-24362301 09868472371

वेतन और लेखा कार्यालय (आकाशवाणी(, चेन्नई

क्र.सं.	नाम और पदनाम	कार्यालय का पता	दूरभाष और मोबाइल नं
01.	श्रीमती पीप्रमीला ., वरि.ओ.ए .	7, कामराजर सलाई, मायलापुर, चेन्नई-600004	044-24985146(टी(एफ/ 07904173845
02.	श्री अखिलेश प्रताप सिंह,एएओ	7, कामराजरसलाई, मायलापुर, चेन्नई-600004	044-29510129 (टी(एफ/ 09871377252
03.	श्रीमती तरुणा मित्रा, एएओ	7, कामराजार सलाई, मायलापुर, चेन्नई-600004	044-24985146(टी(एफ/ 09999807536

वेतन और लेखा कार्यालय (आकाशवाणी(, कोलकाता

क्र.सं.	नाम और पदनाम	कार्यालय का पता	दूरभाष और मोबाइल नं
01.	श्रीमती दीपाश्री चौधरी, वरि एओ	आकाशवाणी भवन, ईडन गार्डन, कोलकाता-700001	033-22485968 07278931869
02.	श्री विश्वजीत दत्ता, एएओ	आकाशवाणी भवन, ईडन गार्डन, कोलकाता-700001	033-22485968 09831189010
03.	श्री बिपिन कुमार, एएओ	आकाशवाणी भवन, ईडन गार्डन, कोलकाता-700001	033-22485968 08583928260
04.	श्री उमेश कुमारएएओ ,	आकाशवाणी भवन, ईडन गार्डन, कोलकाता-700001	033-22485968 09748204727
05.	श्री मंटू कुमार वर्माएएओ ,	आकाशवाणी भवन, ईडन गार्डन, कोलकाता-700001	033-22485968 08013246258

वेतन और लेखा कार्यालय (आकाशवाणी), लखनऊ

क्र.सं.	नाम और पदनाम	कार्यालय का पता	दूरभाष और मोबाइल नं

01.	श्री मुकलेश रंजन, वरि.ओ.ए.	द्वितीय तल, 18, आकाशवाणी भवन, विधान सभा मार्ग, लखनऊ-226001	0522-2237420 (टी(एफ/ 09451088011
02.	श्री निमित कश्यप, एएओ	द्वितीय तल, 18, आकाशवाणी भवन, विधान सभा मार्ग, लखनऊ-226001	0522-2237420 09410818569
03.	श्री वी .एस . भटनागर,एएओ	द्वितीय तल, 18, आकाशवाणी भवन, विधान सभा मार्ग, लखनऊ-226001	0522-2237420 09936872686
04.	श्रीमती अभय सिंह,एएओ	द्वितीय तल, 18, आकाशवाणी भवन, विधान सभा मार्ग, लखनऊ-226001	0522-2237420 08896036191

वेतन और लेखा कार्यालय (आकाशवाणी(, मुंबई

क्र.सं.	नाम और पदनाम	कार्यालय का पता	दूरभाष और मोबाइल नं
01.	श्रीमती कविता ए. पटोले, वरि.ओ.ए.	प्रथम तल, बीएच, चर्च गेट, मुंबई-400020	022-22029947(टी(एफ/ 09820107741
02.	श्रीमतीप्रणाली अमोल . सुले,एएओ	पहली मंजिल, बीएच, चर्च गेट, मुंबई-400020	022-22029947(टी(एफ/ 09320283027
03.	श्री वीर चन्द्र सिंहएएओ ,	पहली मंजिल, बीएच, चर्च गेट, मुंबई-400020	022-22029947(टी(एफ/ 09699439626
04.	श्री सुधीर मनिकरावएएओ ,	पहली मंजिल, बीएच, चर्च गेट, मुंबई-400020	022-22029947(टी(एफ/ 09967229545

वेतन और लेखा कार्यालय (आकाशवाणी(, नई दिल्ली

क्र.सं.	नाम और पदनाम	कार्यालय का पता	दूरभाष और मोबाइल नं
01.	श्री विजय दादू, वरिएओ .	आकाशवाणी, आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली-110001	011-23421258(टी(एफ/ 09868539091
02.	श्री लाजपत राय	आकाशवाणी, आकाशवाणी भवन, नई	011-23421258

	डोटानिया,एएओ	दिल्ली-110001	09899325397
03.	श्री चंदन मोहन चावला,एएओ	आकाशवाणी, आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली-110001	011-23422151 09873534514
04.	श्री अमित कुमार, एएओ	आकाशवाणी, आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली-110001	011-23422151 09555790262
	प्रसार भारती सचिवालय		
05.	श्री प्रेमेंद्रा कुमार, वरिएओ .	छठवां तल, टावरसी-, प्रसार भारती सचिवालय, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली-110001	011-23118459 08016301556
06.	श्री विनोद कुमार पंडित, वरिएओ .	छठवां तल, टावरसी-, प्रसार भारती सचिवालय, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली-110001	011-23118459 0 7295891759
07.	श्री जीतेन्द्र सिंह, एएओ	छठवां तल, टावरसी-, प्रसार भारती सचिवालय, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली-110001	011-23118459 09968886441
08.	श्री मुकेश कुमार मीना , एएओ	छठवां तल, टावरसी-, प्रसार भारती सचिवालय, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली-110001	011-23118459 07503297545
09.	श्री नवीन कौशिक, एएओ	छठवां तल, टावरसी-, प्रसार भारती सचिवालय, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली-110001	011-23118459 08527601357
10.	श्री संतोष कुमारएएओ ,	छठवां तल, टावरसी-, प्रसार भारती सचिवालय, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली-110001	011-23118459 09891924515
11.	श्री सौरभ सिंहा ,एएओ	छठवां तल, टावरसी-, प्रसार भारती सचिवालय, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली-110001	011-23118459 08076313682
12.	श्री सुनील कुमार वर्मा , एएओ	छठवां तल, टावरसी-, प्रसार भारती सचिवालय, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली-110001	011-23118459 09810561546
13.	श्री मिखैल काजल, एएओ	छठवां तल, टावरसी-, प्रसार भारती सचिवालय, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली-110001	011-23118459 09654909372
14.	श्री रजनीश कुमार गुप्ता ,	छठवां तल, टावरसी-, प्रसार भारती	011-23118459

	एएओ	सचिवालय, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली-110001	09529748194
15.	श्री सुबोध कुमारएएओ ,	छठवां तल, टावरसी-, प्रसार भारती सचिवालय, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली-110001	011-23118459 09920801565
16.	श्री नीतिन कुमारएएओ ,	छठवां तल, टावरसी-, प्रसार भारती सचिवालय, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली-110001	011-23118459 09457943289
17.	श्री आशीष कुमारएएओ ,	छठवां तल, टावरसी-, प्रसार भारती सचिवालय, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली-110001	011-23118459 08010734811

वेतन और लेखा कार्यालय (दूरदर्शन(, गुवाहाटी

क्र.सं.	**नाम और पदनाम**	**कार्यालय का पता**	**दूरभाष और मोबाइल नं**
01.	श्री गौतम दास, वरि . एओ	मकान सं-04, समन्नय पथ, बेलटोला, गुवाहाटी-781028	0361-2204000(टी(0361-2235011(एफ(08011223045
02.	श्रीमती ललित प्रसाद, एएओ	मकान सं-04, समन्नय पथ, बेलटोला, गुवाहाटी-781028	0361-2204000 08787687843
03.	श्री कृपानिधान सारण, एएओ	मकान सं-04, समन्नय पथ, बेलटोला, गुवाहाटी-781028	0361-2204000 07979838446
04.	श्री विद्या नंद चौधरी एएओ	मकान सं-04, समन्नय पथ, बेलटोला, गुवाहाटी-781028	0361-2204000

वेतन और लेखा कार्यालय (दूरदर्शन(, चेन्नई

क्र.सं.	**नाम और पदनाम**	**कार्यालय का पता**	**दूरभाष और मोबाइल नं**
01.	श्रीमती वीभुवनेश्वरी., वरिएओ.	कमरा नं.319,तीसरा तल, दूरदर्शन केंद्र, स्वामी शिवानंद सलाई, चेन्नई-600005	044-25363553(टी(एफ/ 09840075967
02.	श्री वीमुरली.,	कमरा नं.319, तीसरा तल, दूरदर्शन केंद्र, स्वामी	044-25361998

	एएओ	शिवानंद सलाई, चेन्नई-600005	09791139515
03.	श्रीमती जीतेंद्र नाथ गुप्ता,एएओ	कमरा नं.319, तीसरा तल, दूरदर्शन केंद्र, स्वामी शिवानंद सलाई, चेन्नई-600005	044-25361998 09681431603

आंतरिक लेखापरीक्षा विंग, चेन्नई

क्र.सं.	नाम और पदनाम	कार्यालय का पता	दूरभाष और मोबाइल नं
01.	श्रीमतीभुवनेश्वरी .वी ., वरि . ,एओआईएडब्ल्यू अतिरिक्त) (.क्षे.दक्षि) (प्रभार	कमरा नं.317, तीसरा तल, दूरदर्शन केंद्र, स्वामी शिवानंद सलाई, चेन्नई-600005	044-25381080 09840075967
02.	श्री आशीष शर्मा, एएओ, आईएडब्ल्यू (.क्षे.दक्षि)	कमरा नं.317, तीसरा तल, दूरदर्शन केंद्र, स्वामी शिवानंद सलाई, चेन्नई-600005	044-25381080 08949223386
03.	श्री अंकित कुमार शर्मा, एएओ, आईएडब्ल्यू (.क्षे.दक्षि)	कमरा नं.317, तीसरा तल, दूरदर्शन केंद्र, स्वामी शिवानंद सलाई, चेन्नई-600005	044-25381080 07568116070

वेतन और लेखा कार्यालय (दूरदर्शन(, कोलकाता

क्र.सं.	नाम और पदनाम	कार्यालय का पता	दूरभाष और मोबाइल नं
01.	श्री पलाश दास, एओ	पहला तल, दूसरी चैनल बिल्डिंग, दूरदर्शन भवन, गोल्फ ग्रीन, कोलकाता-700095	033-24235130 09563915851
02.	श्री अनुपम कुमार,एएओ	पहला तल, दूसरी चैनल बिल्डिंग, दूरदर्शन भवन, गोल्फ ग्रीन, कोलकाता-700095	033-24235130 09899805603
03.	श्री ज्योति सुर,एएओ	पहला तल, दूसरी चैनल बिल्डिंग, दूरदर्शन भवन, गोल्फ ग्रीन, कोलकाता-700095	033-24235130 08017773511

आंतरिक लेखापरीक्षा विंग, कोलकाता

क्र.सं.	नाम और पदनाम	कार्यालय का पता	दूरभाष और मोबाइल नं
01.	श्री एसके महतो, वरिएओ .	पहला तल, दूसरी चैनल बिल्डिंग, दूरदर्शन भवन, गोल्फ ग्रीन, कोलकाता-700095	033-24235365 09709033703
02.	श्री राजीव कुमार सिंह,एएओ	5वां तल, दूसरी चैनल बिल्डिंग, दूरदर्शन भवन, गोल्फ ग्रीन, कोलकाता-700095	033-22435365 08013860063
03.	श्री सोमनाथ दास, एएओ	5वां तल, दूसरी चैनल बिल्डिंग, दूरदर्शन भवन, गोल्फ ग्रीन, कोलकाता-700095	033-22435365 09831505224

वेतन और लेखा कार्यालय (दूरदर्शन), नागपुर

क्र.सं.	नाम और पदनाम	कार्यालय का पता	दूरभाष और मोबाइल नं
01.	श्री मुदलियार पी .जी. गोपीकुमार, वरिएओ.	द्वितीय तल, नया सचिवालय भवन, सिविल लाइन्स, नागपुर-440001	0712-2543268 0712-2540494(एफ(0942268223
02.	श्री यू बी वासनिक, एएओ	द्वितीय तल, नया सचिवालय भवन, सिविल लाइन्स, नागपुर-440001	0712-2540494 09371537023
03.	श्री पी .डब्लयू.खड़जी, एएओ	द्वितीय तल, नया सचिवालय भवन, सिविल लाइन्स, नागपुर-440001	0712-2540494 09421930391
04.	श्री एचधापोड़कर.एन., एएओ	द्वितीय तल, नया सचिवालय भवन, सिविल लाइन्स, नागपुर-440001	0712-2540494 07972280383

वेतन और लेखा कार्यालय (दूरदर्शन(, नई दिल्ली

क्र.सं.	नाम और पदनाम	कार्यालय का पता	दूरभाष और मोबाइल नं
01.	श्री राकेश आनंद, वरि.एओ .	आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली-110001	011-23421330/23421236(टी(एफ/ 09811368567
02.	श्री देवेंद्र कुमार, वरि .एओ . (आंतरिक लेखा परीक्षा)	आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली-110001	011-23421006(टी(एफ/ 09654838644
03.	श्री रविन्द्र कुमार निमावत, एओ.	आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली-110001	011-23421330/23421236(टी(एफ/ 09728694880
04.	श्री संजय कुमार, एएओ (आंतरिक लेखा परीक्षा)	आकाशवाणी भवन,नई दिल्ली-110001	011-23421330(टी(एफ/ 09810599370
05.	श्रीमती इंदु बाला, एएओ	आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली-110001	011-23421330(टी(एफ/ 09999628931
06.	श्री राजेश कुमार,एएओ	आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली-110001	011-23421006(टी(एफ/ 07678352828
07.	श्री दीपक कुमार, एएओ	आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली-110001	011-23421006(टी(एफ/ 09135217451
08.	श्री दीपक रंगा, एएओ	आकाशवाणी भवन, नई दिल्ली-110001	011-23421006(टी(एफ/ 08802804814

प्रधान लेखा कार्यालय
मुख्य लेखा नियंत्रक कार्यालय
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
7 तल, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

द्वारा तैयार और डिज़ाइन किया गया